



24-12-02

23

प्रभारी

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

P.O. 265.

K.M. 5

Deptt- 15

Advt. 5

C.P.B. 240

सं. 248]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 18, 2002/कार्तिक 27, 1924

No. 248]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 18, 2002/KARTIKA 27, 1924

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 2002

प्रभारी

रा० वि० एकक

फा. संख्या 9-18/2002/रा.अ.शि.प.—राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की स्थापना के प्रारम्भिक वर्षों में मान्यता के लिए आवेदन पत्र के प्रपत्र, आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की समय-सीमा, राज्यों/संघशासित क्षेत्रों द्वारा 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' तथा विभिन्न अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए मानदण्डों और मानकों आदि सम्बन्धी विषयों पर अनेक विनियम और संशोधन जारी किए गए हैं। इन सभी विनियमों को समेकित करने की एक कार्रवाई की गई है ताकि ये सभी विनियम एक ही स्थान पर उपलब्ध कराए जा सकें। अतः अब राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 (1993 का 73वां) की धारा धारा 14 और 15 के साथ पठित धारा 32 की उपधारा (2) के खण्ड (च) और (छ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् निम्न विनियम बनाती है -

1. लघु शीर्ष और प्रवर्तन

(i) ये विनियम (संस्थाओं की मान्यता के लिए आवेदन पत्र का प्रपत्र, आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की समय-सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदण्डों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति) विनियम, 2002 कहलाएंगे।

(ii) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. प्रयोज्यता

ये विनियम मुक्त तथा दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रमों सहित अध्यापक शिक्षा में कोई पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए मान्यता/अनुमति प्रदान किए जाने से सम्बन्धित सभी विषयों पर लागू होंगे।

3521 GI/2002 -jg

(1)

Attested

[Signature]

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)

भारत सरकार, प्रकाशन विभाग

सचिवता, दिल्ली-34

439

3. आवेदन करने की पद्धति

- (i) आमने-सामने पद्धति के माध्यम से आयोजित किए जाने वाले पाठ्यक्रमों में दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि के लिए आवेदन सहित अध्यापक शिक्षा संस्थानों/कार्यक्रमों को मान्यता/अनुमति प्रदान किए जाने के लिए आवेदन पत्र परिशिष्ट 1ए पर दिए गए प्रपत्र में सम्बन्धित क्षेत्रीय समिति को प्रस्तुत किया जाएगा। आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों की सूची परिशिष्ट 1बी के अनुसार होगी। भूमि के स्वामित्व का प्रमाण पत्र स्थानीय रूप से वकालत करने वाले वकील द्वारा परिशिष्ट 1सी में दिए गए फोरमैट के अनुसार होगा। गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किए जाने वाला आश्वासन परिशिष्ट 1डी में दिए गए फोरमैट के अनुसार होगा।
- (ii) मुक्त तथा दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से आयोजित किए जाने वाले पाठ्यक्रमों में दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि के लिए आवेदन सहित अध्यापक शिक्षा संस्थानों/पाठ्यक्रमों को मान्यता/अनुमति प्रदान किए जाने के लिए आवेदन पत्र परिशिष्ट 2ए पर दिए गए प्रपत्र में सम्बन्धित क्षेत्रीय समिति को प्रस्तुत किया जाएगा। मुक्त तथा दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों की सूची परिशिष्ट 2बी के अनुसार होगी। गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किए जाने वाला आश्वासन परिशिष्ट 2सी में दिए गए फोरमैट के अनुसार होगा।
- (iii) उपर्युक्त (i) तथा (ii) पर उल्लिखित प्रत्येक आवेदन पत्र सभी अनुलग्नकों की प्रतियों सहित तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जाएगा।

4. आवेदन पत्र का मूल्य

आवेदन पत्र सम्बन्धित क्षेत्रीय समिति के कार्यालय से रु.100/- की राशि नकद अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की सम्बन्धित क्षेत्रीय समिति के पक्ष में तथा क्षेत्रीय समिति जिस शहर में स्थित है वहां देय रेखांकित डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में देकर प्राप्त किया जा सकता है। अन्यथा, आवेदन पत्र राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की वेबसाइट (www.ncte-in.org) से भी प्राप्त किया जा सकता है और उस स्थिति में आवेदन पत्र के मूल्य में रु.100/- की राशि का भुगतान राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की सम्बन्धित क्षेत्रीय समिति के पक्ष में रेखांकित डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में किया जा सकता है और उसे आवेदन पत्र के साथ भेजा जा सकता है।

Attested

Signature

हायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

3521 GI/2002-1B

440

5. शुल्क

कोई अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम आयोजित करने के लिए मान्यता अथवा किसी मान्यताप्राप्त संस्थान में अध्यापक शिक्षा में कोई नया पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने अथवा अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम में दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि के लिए अनुमति प्रदान किए जाने के लिए प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ नियमों में समय-समय पर यथानिर्धारित शुल्क अवश्य अदा करना होगा और यह अदायगी सम्बन्धित क्षेत्रीय समिति के नाम तथा जिस शहर में क्षेत्रीय समिति स्थित है उस शहर में देय रेखांकित डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में होगी ।

6. राज्य सरकार/संघशासित क्षेत्र प्रशासन से अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्त

- (i) अध्यापक शिक्षा में कोई नया पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण शुरू करने के निमित्त मान्यता प्रदान किए जाने के लिए प्रत्येक संस्थान द्वारा अथवा कोई नया पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने तथा/अथवा दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि के लिए अनुमति प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में मौजूदा संस्थान के आवेदन पत्र के साथ, जिस स्थान पर संस्थान स्थित है वहां की राज्य सरकार अथवा संघशासित क्षेत्र की ओर से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) संलग्न किया जाएगा ।
- (ii) मान्यता के लिए आवेदन पत्र पर निर्णय लेते समय क्षेत्रीय समिति द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी किए जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार/संघशासित क्षेत्र प्रशासन के पृष्ठांकन पर विचार किया जाएगा ।
- (iii) यदि राज्य सरकार/संघशासित क्षेत्र प्रशासन द्वारा जारी किए गए अनापत्ति प्रमाण पत्र में दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या का कोई उल्लेख नहीं है तो इससे सम्बन्धित निर्णय क्षेत्रीय समिति द्वारा लिया जाएगा जो कि इस बारे में संस्थान में उपलब्ध आधारीक और अनुदेशात्मक सुविधाओं तथा सम्बन्धित अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम के मामले में लागू मानदण्डों और मानकों के अन्य संगत प्रावधानों को ध्यान में रखेगी ।
- (iv) राज्य सरकार/संघशासित क्षेत्र प्रशासन द्वारा जारी किया गया अनापत्ति प्रमाण पत्र तब तक वैध रहेगा जब तक कि राज्य सरकार/संघशासित क्षेत्र प्रशासन उसे वापिस/रद्द नहीं कर देती/देता ।

Attested

Sm. 1511

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-34

- (v) यदि संस्थान अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए जाने की तारीख के बाद तीन वर्ष के भीतर मान्यता प्राप्त नहीं कर पाता तो अनापत्ति प्रमाण पत्र को व्यपगत समझा जाएगा ।
- (vi) सरकारी संस्थानों के मामले में अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्त लागू नहीं होगी ।
- (vii) अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्त अधिक से अधिक 50 (केवल पचास) छात्रों के लिए नवाचारी अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम शुरू करने वाले विश्वविद्यालय शिक्षा विभागों के मामले में भी लागू नहीं होगी । कोई कार्यक्रम नवाचारी है या नहीं, इस बात का निर्णय सम्बन्धित क्षेत्रीय समिति द्वारा लिया जाएगा ।

7. आवेदन पत्र देने की समय-सीमा

अध्यापक शिक्षा में कोई पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण शुरू करने के लिए मान्यता प्रदान किए जाने का इच्छुक प्रत्येक संस्थान अथवा कोई नया पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण शुरू करने तथा/ या दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि करने की अनुमति प्रदान किए जाने का इच्छुक मौजूदा संस्थान निर्धारित प्रपत्र में एक आवेदन पत्र इस तरह भेजेगा कि वह प्रतिवर्ष 31 दिसम्बर को या उससे पूर्व सम्बन्धित क्षेत्रीय समिति में पहुंच जाए । लेकिन शर्त यह है कि जिन राज्यों में शैक्षणिक सत्र हर वर्ष जनवरी से आरम्भ होता है उनके मामले में आगामी शैक्षणिक सत्र से शुरू किए जाने वाले पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाने की अन्तिम तारीख प्रतिवर्ष 30 जून होगी ।

8. विभिन्न अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए मानदण्ड और मानक

- (i) विभिन्न अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रमों की पेशकश करने वाले संस्थान को नीचे परिशिष्ट 3 से परिशिष्ट 14 तक में यथानिर्दिष्ट मानदण्डों और मानकों का पालन करना होगा ।

- | | |
|--|--------------|
| (i) स्कूल-पूर्व अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के लिए मानदंड और मानक | परिशिष्ट - 3 |
| (ii) नर्सरी अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के लिए मानदंड और मानक | परिशिष्ट - 4 |
| (iii) प्रारम्भिक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के लिए | परिशिष्ट - 5 |

Attested

[Signature]

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-110

442

- मानदंड और मानक
- (iv) प्रारम्भिक शिक्षा स्नातक (बी.एल.एड.) के लिए परिशिष्ट - 6
मानदंड और मानक
- (v) माध्यमिक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के लिए परिशिष्ट - 7
मानदंड और मानक
- (vi) मास्टर आफ एजुकेशन (एम.एड.) कार्यक्रम के लिए परिशिष्ट - 8
मानदंड और मानक
- (vii) मास्टर आफ एजुकेशन (एम.एड.) कार्यक्रम (अंशकालिक) के लिए मानदंड और मानक परिशिष्ट - 9
- (viii) शारीरिक शिक्षा में प्रमाण-पत्र (सी.पी.एड.) कार्यक्रम के लिए मानदंड और मानक परिशिष्ट - 10
- (ix) बैचलर आफ फिजीकल एजुकेशन (बी.पी.एड.) कार्यक्रम के लिए मानदंड और मानक परिशिष्ट - 11
- (x) मास्टर आफ फिजीकल एजुकेशन (एम.पी.एड.) कार्यक्रम के लिए मानदंड और मानक परिशिष्ट - 12
- (xi) बी.एड. (मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धति) के लिए मानदंड और मानक परिशिष्ट - 13
- (xii) एम.एड. (मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धति) के लिए मानदंड और मानक परिशिष्ट - 14
- (ii) प्रस्तुत किए गए ये मानदंड और मानक न्यूनतम और अनिवार्य हैं । संस्थान, अपने भौतिक और आधारिक तंत्र को और आगे सुदृढ़ कर सकता है ।
- (iii) ये मानदंड और मानक ऐसे संस्थानों के मामले में भी लागू होंगे जिन्हें राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की मान्यता पहले से ही प्राप्त है तथा इन मानदंडों और मानकों में जहां कहीं दाखिल किए जाने वाले छात्रों की अधिकतम सीमा निर्दिष्ट है, यदि उनके कारण दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या में कमी लाना जरूरी हो जाता है तो यह कमी इन विनियमों के प्रकाशन के बाद वाले शैक्षणिक सत्र से लागू की जाएगी । तथापि यदि इन मानदंडों और मानकों के कारण दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या के पुनर्नियतन के फलस्वरूप की जाने वाली वृद्धि के लिए ऐसे संस्थानों को, इन विनियमों के पैरा 7 में निर्दिष्ट अन्तिम तारीख के बीतने से पूर्व स्थिति अनुसार परिशिष्ट 1ए/परिशिष्ट 2ए में सम्बन्धित क्षेत्रीय समिति को आवेदन पत्र भेजना होगा ।

Attested
Smt. H. S. 11

हायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार प्रकाशन विभाग
सेविंग प्रकाशन, दिल्ली-११००५४

- (iv) किसी भी संस्थान को दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या में, इन विनियमों के परिशिष्ट - 3 से परिशिष्ट - 14 तक में यथानिर्दिष्ट मूल इकाई से बढ़कर वृद्धि के लिए आवेदन पत्र देने की अनुमति नहीं होगी। लेकिन वह इस तरह की वृद्धि के लिए आवेदन पत्र भेज सकेगा यदि उसे स्थायी मान्यता मिल चुकी हो और उसने ऐसा अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम अथवा पाठ्यक्रम सतत रूप से तीन वर्ष तक चलाया हो।
- (v) यदि मानदंडों और मानकों के अनुपालन के कारण उत्पन्न किसी कठिनाई को दूर किए जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित राज्य सरकार/संघशासित क्षेत्र प्रशासन से कोई अनुरोध प्राप्त होता है तो परिषद्, संस्थानों के किसी समूह अथवा श्रेणी के लिए इन मानदंडों और मानकों के किसी भी प्रावधान में आवश्यक समझे जाने वाली सीमा तक तथा शर्तों के अधीन ढील दे सकती है, ऐसे ढील दिए जाने के कारण लिखित रूप में रिकार्ड किए जाएंगे।

9. मान्यता के लिए शर्तें

अधिनियम की धारा 14 अथवा 15 के अधीन मान्यता/अनुमति प्रदान किए जाने का कोई आदेश जारी करने से पहले क्षेत्रीय समिति मान्यता/अनुमति प्रदान किए जाने के लिए आवेदन पत्र में यथाउल्लिखित तथ्यों की छानबीन और सत्यापन के आधार पर तथा/अथवा जहां कहीं आवश्यक हो वहां संस्थान के निरीक्षण अथवा किसी अन्य विधि के आधार पर जो कि समीचीन समझी जाए, क्षेत्रीय समिति अपने आप को इस सम्बन्ध में सन्तुष्ट करेगी कि क्या संस्थान सम्बन्धित अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम के बारे में इन विनियमों के परिशिष्ट-3 से परिशिष्ट-14 तक में निर्धारित मानदंडों और मानकों की पूर्ति करता है।

10. नवाचारी पाठ्यक्रम

अध्यापक शिक्षा में नवाचारी प्रकृति के तथा अथवा पाठ्यक्रम अन्तर्वस्तु प्रविधि, अवधि आदि की दृष्टि से भिन्न प्रकृति के किसी पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण की पेशकश करने वाले संस्थानों की मान्यता के लिए आवेदन पत्रों पर, सम्बन्धित क्षेत्रीय समिति द्वारा, परिषद् द्वारा सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा निर्धारित तरीके से कार्रवाई की जाएगी।

Attested

11/5/11

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिबिल लाइन्स, दिल्ली-54

11. विनियमों का निरसन

(i) प्रस्तुत विनियम लागू हो जाने की बात को ध्यान में रखते हुए निम्न विनियम निरस्त हो गए हैं -

| क्र.सं | राजपत्र अधिसूचना संख्या/ आदेश संख्या तथा तारीख | राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् विनियम का नाम |
|--------|---|---|
| 1. | 8, 24.2.96/28-11/95 राअशिप दिनांक 29.12.95 | राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (संस्थानों की मान्यता के लिए आवेदन, आवेदन की पद्धति, मान्यता की शर्तों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति) विनियम 1995 |
| 2. | 27, 6.7.96/28-3/96 राअशिप दिनांक 14.6.96 | राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (नियमित सेवारत अध्यापकों के लिए पत्राचार के माध्यम से बी.एड. के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत) विनियम 1996 |
| 3. | 14, 5.4.97, 28-9/96 राअशिप | राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (पत्राचार शिक्षा अथवा दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से अथवा आमने-सामने की शिक्षा प्रणाली के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से शिक्षा स्नातक की उपाधि (बी.एड.) या उसके समकक्ष किसी पाठ्यक्रम को चलाने वाले अथवा चलाने के इच्छुक संस्थानों की मान्यता की शर्तों के निर्धारण तथा किसी नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति) विनियम, 1996 |
| 4. | 19, 10.5.97/28-3/96 राअशिप दिनांक 19.3.97 | राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (नियमित सेवारत अध्यापकों के लिए पत्राचार के माध्यम से बी.एड. के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत) संशोधन विनियम, 1997 |
| 5. | 29, 19.7.97/28-11/95 राअशिप दिनांक 24.6.97 | राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (संस्थानों को मान्यता के लिए आवेदन, आवेदन की पद्धति, मान्यता की शर्तों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण शुरू करने की अनुमति) संशोधन विनियम 1997 |

Attested

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

445

| | | |
|-----|--|---|
| 6. | 17, 25.4.98, 28.3/96 राअशिप दिनांक 30.3.98 | राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (नियमित सेवारत अध्यापकों के लिए पत्राचार के माध्यम से बी.एड. के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत) संशोधन विनियम, 1998 |
| 7. | 7, 13.2.99/28-2/98राअशिप दिनांक 29.12.98 | राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (आमने-सामने पद्धति से तथा दूरस्थ शिक्षा प्रणाली से एम.एड. की मान्यता के लिए मानदण्ड और शर्तें) विनियम, 1998 |
| 8. | 12, 20.3.99, 28-9/96राअशिप दिनांक 29.12.98 | राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (पत्राचार शिक्षा अथवा मुक्त दूरस्थ शिक्षा प्रणाली सहित दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से अथवा आमने-सामने की शिक्षा प्रणाली के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से शिक्षा स्नातक की उपाधि (बी.एड.) या उसके समकक्ष किसी पाठ्यक्रम को चलाने वाले अथवा चलाने के इच्छुक संस्थानों की मान्यता की शर्तों का निर्धारण तथा किसी नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति) संशोधन विनियम, 1998 |
| 9. | 12, 20.3.99, 28-3/98-99/राअशिप दिनांक 29.12.98 | राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (शारीरिक शिक्षा में अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम - सी.पी.एड., बी.पी.एड. तथा एम.पी.एड. की मान्यता के लिए मानदंड और शर्तें) विनियम 1998 |
| 10. | 12, 20.3.99, 28- 4/98-99/ राअशिप दिनांक 29.12.98 | राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (प्रारम्भिक शिक्षा स्नातक - बी.एल.एड. की मान्यता के लिए मानदंड और शर्तें) विनियम, 1998 |
| 11. | 13, 27.3.99/28-11/95राअशिप दिनांक 29.12.98 | राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (संस्थाओं की मान्यता के लिए आवेदन, आवेदन की पद्धति, मान्यता की शर्तों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति) संशोधन विनियम, 1998 |
| 12. | 44, 28.10.2000, | राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता के |

Attested

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

| | | |
|-----|--|---|
| | 1-30/2000 राअशिप दिनांक 18 सितम्बर, 2000 | लिए आवेदन पत्र देने की समय-सीमा (संशोधन) विनियम, 2000 |
| 13. | 239, दिनांक 4 सितम्बर 2001 9-3/2001 राअशिप दिनांक 3 सितम्बर, 2001 | राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंड और मानक) विनियम 2001 |
| 14. | 307, दिनांक 26 नवम्बर 2001 9-3/2001 राअशिप दिनांक 6 नवम्बर, 2001 | राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंड और मानक) (संशोधन) विनियम 2001 |
| 15. | 328 दिनांक 8 दिसम्बर 2001 9-1/2001 राअशिप (प्रशासन) दिनांक 28 नवम्बर, 2001 | राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (अनापत्ति प्रमाण पत्र का विचार) (संशोधन) विनियम, 2001 |
| 16. | 139 दिनांक 8 जुलाई 2002 9-14/2002/राअशिप दिनांक 1 जुलाई, 2002 | राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (संस्थाओं की मान्यता के लिए आवेदन, आवेदन की पद्धति, मान्यता की शर्तों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण के शुरू करने की अनुमति) (संशोधन) विनियम, 2002 |

- (ii) उपर्युक्त विनियमों का निरसन, इस प्रकार निरसित किए गए किसी विनियम अथवा उसके अधीन की गई किसी कार्रवाई के पूर्व कार्यचालन को प्रभावित नहीं करेगा।

एस. के. रॉय, सदस्य सचिव

[सं. विज्ञापन-3/4/असाधारण/131/02]

Attested
11/5/11

सहायक निष्पत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

परिशिष्ट - 1ए

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्

अध्यापक शिक्षा संस्थानों को मान्यता/कोई नया पाठ्यक्रम (मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धति से इतर) शुरू करने अथवा दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि के लिए अनुमति/मान्यता प्रदान किए जाने के लिए आवेदन पत्र

1. सामान्य विवरण/जानकारी

1.1 संस्थान का नाम

1.2 डाक का पूरा पता
(पिन कोड सहित)

1.3 टेलीफोन नं./फैक्स/ई-मेल

1.4 निकटतम रेलवे स्टेशन और उसकी दूरी(किलोमीटर में)

1.5 यदि ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है तो निकटतम शहर से उसकी दूरी
(किलोमीटर में)

1.6 कार्यक्रम का नाम

1.7 यूनिटों/दाखिल किए जाने वाले छात्रों की प्रस्तावित संख्या(बताएं कि क्या यह आवेदन पत्र किसी नए कार्यक्रम के लिए है अथवा किसी मान्यताप्राप्त कार्यक्रम में दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि के लिए है)

1.8 शैक्षणिक वर्ष (महीना निर्दिष्ट करें) जिससे कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव है

Attested
11/5/11अहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

448

1.9 सम्बंधक/परीक्षण निकाय का नाम

1.10 संस्थान की कोटि (लड़कों के लिए/लड़कियों के लिए/सहशिक्षात्मक)

1.11 क्या प्रस्तावित कार्यक्रम शुरू करने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन.ओ.सी.) संलग्न किया गया है ?

1.12 आवेदन शुल्क संबंधी विवरण

(क) राशि

(ख) ड्राफ्ट संख्या और तारीख

(ग) बैंक का नाम

2. प्रबन्धन की कोटि

2.1 कृपया बताएं कि संस्थान का प्रबन्ध सोसायटी अथवा न्यास/बोर्ड में से किसके द्वारा किया जाएगा (पंजीकरण के प्रमाण पत्र, संस्था की बहिर्नियमावली, उपनियमों आदि में से प्रत्येक की एक-एक प्रति संलग्न की जाए)

3. आधारिक सुविधाएं

3.1 कृपया बताएं कि क्या भूमि स्वामित्व के आधार पर है अथवा दीर्घकालीन पट्टे पर संस्थान के नाम में उपलब्ध है।

3.2 यदि पाठ्यक्रम पहले से ही निर्मित किसी भवन में शुरू करने का विचार है तो निम्न ब्यौरे/दस्तावेज़ प्रस्तुत किए जाएं :

(क) फर्श/कमरे -वार क्षेत्रफल के ब्यौरों सहित भवन का अनुमोदित नक्शा

(ख) कुल कुरसी क्षेत्रफल

(ग) स्थानीय निकाय से निर्माण कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र

Attested
Smt. J. S. Singh

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सेविल लाइन्स, दिल्ली-84

449

3.3 यदि भवन का निर्माण अभी किया जाना है, तो निम्न ब्यौरे/दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएं :

(क) स्थान का नक्शा

(ख) फर्श/कमरे-वार क्षेत्रफल सहित भवन का अनुमोदित नक्शा

(ग) निर्माण कार्य शुरू करने की तारीख

(घ) निर्माण कार्य पूरे होने की सम्भावित तारीख

3.4 जब तक भवन का निर्माण नहीं हो जाता तब तक पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए तय किए गए भवन(भवनों) के ब्यौरे

3.5 यदि एक से अधिक भवनों की पहचान की गई है तो एक भवन से दूसरे भवन की दूरी निर्दिष्ट करें

3.6 भवन(भवनों) में प्रयोज्य क्षेत्र (वर्गफुट में)

3.7 क्या पानी, बिजली और टॉयलेट सुविधाएं उपलब्ध हैं ?

Attested
11/5/11

हायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सेविल लाइन्स, दिल्ली-54

450

3.8 भवन कहां स्थित है - आवासीय अथवा गैर-आवासीय क्षेत्र में

3.9 स्थान के संबंध में निम्न विशिष्ट ब्यौरे प्रस्तुत किए जाएं :

कमरों की संख्या

क्षेत्रफल (वर्गफुट में)

क्लास रूम

क्रियाकलाप कक्ष

प्रिंसीपल कक्ष

संकाय कक्ष

पुस्तकालय

अधिगम संसाधन केन्द्र

कार्यालय कक्ष

स्टोर रूम

3.10 आउटडोर (खेल का मैदान आदि) /इन्दोर खेलों के लिए उपलब्ध स्थान के ब्यौरे प्रस्तुत करें

3.11 उपलब्ध फर्नीचर के पूरे ब्यौरे प्रस्तुत करें

4. पाठ्यचर्या संचालन

4.1 यदि मानदंडों के अनुसार पूर्णकालिक अध्यापन स्टाफ/शिक्षकेतर स्टाफ पहले से नियुक्त/चयनित/अभिज्ञात किया जा चुका है तो उसके ब्यौरे (नाम, जन्मतिथि, शैक्षिक और व्यावसायिक अर्हताएं तथा उन्हें प्राप्त करने वाले वर्ष और कार्यभार संभालने की तारीख दर्शाने वाला एक अलग विवरण-पत्र संलग्न किया जाए)

Attested
11/5/11

हायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सेविल लाइन्स, दिल्ली-54

451

4.2 पाठ्यक्रम के लिए अध्यापन स्टाफ तथा शिक्षकेतर-स्टाफ की भर्ती करने के लिए की जा रही कार्रवाई निर्दिष्ट करें (भर्ती की क्रियाविधि और चयन समिति का गठन निर्दिष्ट करें)

4.3 अध्यापन अभ्यास/स्थानबद्ध प्रशिक्षण के लिए अभिज्ञात प्राथमिक स्कूलों/निम्न प्राथमिक स्कूलों/प्रारंभिक स्कूलों/माध्यमिक स्कूलों/उच्च माध्यमिक स्कूलों के नाम और संस्थान से उनकी दूरी निर्दिष्ट करें

5. अनुदेशात्मक सुविधाएं

5.1 उपलब्ध उपस्कर तथा साफ्टवेयर और हार्डवेयर सुविधाओं सहित विज्ञान प्रयोगशाला/मनोविज्ञान प्रयोगशाला/शिक्षा प्रौद्योगिकी और मीडिया प्रयोगशाला जैसी प्रयोगशाला सुविधाओं के ब्यौरे प्रस्तुत करें
(क) विज्ञान प्रयोगशाला

(ख) मनोविज्ञान प्रयोगशाला,

(ग) शिक्षा प्रौद्योगिकी और मीडिया प्रयोगशाला

5.2 प्रयोगशाला उपस्कर, कम्प्यूटर हार्डवेयर तथा साफ्टवेयर तथा अन्य अध्यापन सहायक-सामग्री के ब्यौरे प्रस्तुत करें

Attested
[Signature]
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सेविल लाइन्स, दिल्ली-54

5.3 सी.पी.एड./बी.पी.एड./एम.पी.एड. पाठ्यक्रमों के संबंध में निम्न ब्यौरे प्रस्तुत करें

(क) खेल के मैदान/बहुउद्देशीय हाल/इन्दोर खेलों के लिए व्यायामशाला के ब्यौरे

(ख) खेलों और खेलकूद के लिए विभिन्न उपस्करों के ब्यौरे

(ग) उपस्करों के ब्यौरों सहित स्वास्थ्य शिक्षा और शरीर रचना विज्ञान तथा शरीर विज्ञान प्रयोगशाला संबंधी सुविधाएं

5.4 उपलब्ध पुस्तकों, पत्रिकाओं, जर्नलों, श्रव्य-दृश्य सहायक सामग्री, अध्यापन सहायक-सामग्री तथा खेल सामग्री के ब्यौरे प्रस्तुत करें ।

6. वित्त

6.1 संस्थान/कार्यक्रम चलाने के लिए वित्तीय साधनों और उपलब्ध निधियों के बारे में बताएं

6.2 क्या संस्थान ने स्थायी और आरक्षित निधियों की व्यवस्था कर ली है ? स्थायी निधि के निमित्त 5 लाख रुपये की मूल सावधि जमा

Attested
11/5/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

453

रसीद संलग्न की जाए जिसे मान्यता प्रदान किए जाने के बाद संयुक्त संचालन के लिए बदल दिया जाएगा।

7. अन्य जानकारी

7.1 कोई अन्य पाठ्यक्रम यदि संस्थान द्वारा चलाए जा रहे हों तो

| | | | |
|-----------|------------------------|------|----------------|
| पाठ्यक्रम | दाखिल किए जाने | अवधि | संबंधक/परीक्षण |
| का नाम | वाले छात्रों की संख्या | | निकाय |

7.2 सोसायटी/न्यास/बोर्ड द्वारा चलाए जा रहे अन्य संस्थानों के ब्यौरे, यदि कोई हों तो

संस्थान का नाम

आयोजित पाठ्यक्रम

संस्थान की मुहर सहित आवेदनकर्ता
के हस्ताक्षर, नाम और पदनाम

स्थान

तारीख

Attested
11/5/11
*हायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सेविल लाइन्स, दिल्ली-54

454

परिशिष्ट - 1सी

भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र

प्रेषक :- जारी करने वाला वकील/विधिक सलाहकार

सेवा में :- क्षेत्रीय निदेशक

_____ समिति
 राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्
 जयपुर/भोपाल/भुवनेश्वर/बंगलौर

विषय :- भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र

महोदय,

_____ न्यास/सोसायटी/संस्थान के अनुरोध पर मैंने
 निम्न भूमि से सम्बन्धित विभिन्न भूमि दस्तावेजों/अभिलेखों की व्यक्तिगत रूप
 से जांच कर ली है।

(1) पता :- _____

(2) स्थान :- _____

(3) क्षेत्रफल/पैमाइश :- _____

दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक जांच करने और अपने आपको आश्वस्त कर लेने के
 बाद मैं यह प्रमाणित करता हूं कि सम्प्रति, उपर्युक्त भूमि _____
 सोसायटी/न्यास/संस्थान के नाम/स्वामित्व में है।

आगे यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए प्रयोग में लाए
 जाने वाले भवनों का निर्माण करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

(वकील)

हस्ताक्षर

नाम : _____

स्थान : _____

तारीख : _____

Attested
 11/1/2011

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
 भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
 सविल लाइन्स, दिल्ली-34

457

परिशिष्ट - 1डी

प्रबंधकवर्ग/संस्थान के सक्षम/प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नोटैरी के सत्यापन के बाद गैर-न्यायिक पक्के कागज पर प्रस्तुत किए जाने वाला आश्वासन

_____ (कालेज/संस्थान/न्यास/
सोसायटी आदि का नाम) का/के _____ (न्यासी/अध्यक्ष/प्रिंसीपल/निदेशक/
हेड/कुलसचिव/संवाददाता का नाम) _____
मैं/हम एतद्वारा यह वचन देता/देते हूँ/हैं कि सत्र _____
(शैक्षणिक वर्ष) से _____
(संस्थान/पाठ्यक्रम/कार्यक्रम का नाम) की मान्यता प्राप्त करने के सम्बन्ध में
अपने/हमारे आवेदन पत्र के संबंध में निम्न की पूर्ति की जाएगी

1. कि राअशिप के समय-समय पर यथानिर्धारित मानदंडों, मानकों और मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार आधारिक, अनुदेशात्मक तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
2. कि पात्रता की शर्तें पूरी करने वाले छात्रों का दाखिला या तो अर्हक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अथवा राज्य सरकार/विश्वविद्यालय की नीति के अनुसार उसके द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर किया जाएगा।
3. कि राज्य सरकार की नीति के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों/विकलांगों आदि के लिए सीटों का आरक्षण किया जाएगा।
4. कि पाठ्यक्रम में दाखिला राअशिप की संबंधित क्षेत्रीय समिति द्वारा मान्यता प्रदान करने के बाद ही किया जाएगा।
5. (क) कि समुचित रूप से व्यापक विज्ञापन के माध्यम से और विधिवत रूप से गठित चयन समिति की सिफारिशों पर मुक्त चयन के

Attested
[Signature]

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सेविल लाइन्स, दिल्ली-54

458

आधार पर मानदंडों और मानकों में निर्धारित अर्हताओं के अनुसार पूर्णकालिक स्टाफ नियमित आधार पर नियुक्त किया जाएगा ।

(ख) कि अंशकालिक स्टाफ की नियुक्ति राज्य सरकार/संबंधक विश्वविद्यालय के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार की जाएगी ।

6. कि शिक्षण शुल्क तथा अन्य शुल्क संबंधित राज्य सरकार/संबंधक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित दरों पर वसूल किए जाएंगे ।
7. कि संस्थान के शैक्षणिक तथा अन्य स्टाफ (अंशकालिक स्टाफ सहित) को संबंधित राज्य सरकार/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित वेतन का भुगतान किया जाएगा ।
8. कि प्रबंधकवर्ग अपने सभी कर्मचारियों के संबंध में भविष्य निधि, पेंशन, उपदान आदि से संबंधित सांविधिक दायित्वों की पूर्ति करेगा ।
9. कि प्रबंधकवर्ग संतोषजनक सुविधाएं उपलब्ध कराने और कार्यक्रम के समुचित कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराएगा ।
10. कि प्रबंधकवर्ग (i) प्रबंधकवर्ग के प्राधिकृत प्रतिनिधि और क्षेत्रीय समिति के एक अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से चलाए जाने वाली 5 लाख रु. (पांच लाख रुपये मात्र) की एक स्थायी निधि तथा (ii) स्टाफ के 3 महीने के बराबर की एक आरक्षित निधि रखेगा ।
11. कि संस्थान के खाते विधिवत रूप से रखे जाएंगे और उनकी लेखापरीक्षा अधिकारियों अथवा सनदी लेखाकार द्वारा प्रतिवर्ष लेखा-परीक्षा की जाएगी और वे निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगे ।
12. कि प्रबंधकवर्ग राअशिप द्वारा समय-समय पर निर्धारित सभी शर्तों और मानदंडों का कड़ाई से पालन करेगा, पूरी निष्ठा के साथ कार्यक्रम आयोजित करेगा और जब कभी आवश्यक होगा राअशिप द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगा ।
13. यदि किसी मामले में _____ (सोसायटी/न्यास/कालेज/संस्थान आदि का नाम) द्वारा मानदंडों और मानकों तथा राअशिप द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट/निर्धारित किसी अन्य शर्त की पूर्ति नहीं हो पाती है तो राअशिप अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी निकाय अथवा व्यक्ति को किसी अन्य मामले पर विचार किए बिना अपनी मान्यता अथवा अनुमति रद्द करने के संबंध में सभी आवश्यक कार्रवाई करने की छूट होगी और ऐसी कार्रवाई के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले सभी दायित्व नितांत रूप से संस्थान/प्रबंधकवर्ग द्वारा वहन किए जाएंगे ।

Attested
11/11/11

1. प्रायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सेविल लाइन्स, दिल्ली-54

459

14. कि प्रबंधकवर्ग किसी वर्ष के दौरान अथवा किसी बैच के लिए न तो पाठ्यक्रम का समापन होने देगा और न इस तरह के समापन की अनुमति देगा और यदि वह ऐसा करने के लिए विवश है तो वह वर्ष/बैच के पूरा होने के बाद पाठ्यक्रम के समापन के लिए राअशिप की सहमति प्राप्त करेगा ।
15. कि प्रबंधकवर्ग ने प्रस्तावित पाठ्यक्रम के लिए राअशिप द्वारा प्रदान की गई मान्यता में निर्धारित मानदंडों और शर्तों को देख लिया है, उनका अध्ययन कर लिया है और उन्हें समझ लिया है और वह ऐसा महसूस करता है कि वह इस संबंध में संतुष्ट है अथवा निरीक्षण के समय तक संतुष्ट हो सकता है और ऐसा न होने की स्थिति में वह प्रतिकूल निर्णय स्वीकार करने को तत्पर होगा ।
16. राअशिप द्वारा प्रदान किए गए अनुमोदन के बल पर (कालेज/संस्थान) केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार से किसी प्रकार के वित्तीय अनुदान अथवा सहायता अथवा राअशिप से किसी प्रकार के सहयोग का स्वतः दावेदार नहीं हो जाएगा ।

(आश्वासन देने वाले प्राधिकृत पद नामित प्राधिकारी
के हस्ताक्षर, पदनाम और कार्यालय की मुहर)

नाम (स्पष्ट अक्षरों में)

स्थान
तारीख

साक्षी :

(1)

(2)

Attested
[Signature]

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

परिशिष्ट - 2ए

मुक्त तथा दूरस्थ शिक्षा पद्धति के अधीन बी.एड. तथा
एम.एड. अध्यापक शिक्षा संस्थानों/कार्यक्रमों की मान्यता
प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र

1. सामान्य विवरण/जानकारी
 - 1.1 विश्वविद्यालय का नाम
 - 1.2 डाक का पूरा पता
(पिन कोड सहित)
 - 1.3 टेलीफोन नं./फैक्स/ई-मेल
 - 1.4 कार्यक्रम का नाम
 - 1.5 यूनिटों/दाखिल किए जाने वाले छात्रों की प्रस्तावित संख्या (बताएं कि क्या यह आवेदन पत्र किसी नए कार्यक्रम के लिए है अथवा किसी मान्यताप्राप्त कार्यक्रम में दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि के लिए है)
 - 1.6 शैक्षणिक वर्ष (महीना निर्दिष्ट करें) जिससे कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव है।
 - 1.7 क्या राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन.ओ.सी.) संलग्न किया गया है ?
 - 1.8 आवेदन शुल्क संबंधी विवरण
(क) राशि

Attested
11/5/11
हायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सेविल लाइन्स, दिल्ली-54

- (ख) ड्राफ्ट संख्या और तारीख
(ग) बैंक का नाम

2. आधारिक सुविधाएं

- 2.1 संकाय सदस्यों, सामग्री उत्पादन केन्द्र, कम्प्यूटर रूम, कार्यालय कक्ष, सम्मेलन कक्ष, श्रव्य-दृश्य स्टूडियो आदि के लिए उपलब्ध स्थान के ब्यौरे
- 2.2 कार्यक्रम सम्बन्धी पुस्तकालय तथा पुस्तकें, इलेक्ट्रानिक प्रकाशनों, सीडी-रोम और पत्रिकाओं के संग्रह संबंधी ब्यौरे

3. पाठ्यचर्या संचालन

- 3.1 यदि पूर्णकालिक अध्यापन स्टाफ/गैर-अध्यापन स्टाफ मानदंडों के अनुसार पहले से नियुक्त/चयनित/अभिज्ञात किया जा चुका है तो उसके ब्यौरे (नाम, जन्मतिथि, शैक्षिक और व्यावसायिक अर्हताएं तथा उन्हें प्राप्त करने वाले वर्ष और कार्यभार संभालने की तारीख दर्शाने वाला एक अलग विवरण पत्र संलग्न किया जाए)
- 3.2 पाठ्यक्रम के लिए अध्यापन स्टाफ तथा शिक्षकेतर-स्टाफ की भर्ती करने के लिए की जा रही कार्रवाई निर्दिष्ट करें (भर्ती की क्रियाविधि और चयन समिति का गठन निर्दिष्ट करें)
- 3.3 पाठ्यक्रम सामग्री तैयार और विकसित करने के लिए की गई/उपलब्ध व्यवस्था
- 3.4 अभिज्ञात अध्ययन केन्द्रों के नाम । अध्ययन केन्द्रों में उपलब्ध सुविधाओं के ब्यौरे भी दें
- 3.5 अध्यापन-अभ्यास के लिए अभिज्ञात माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्कूलों के नाम
- 3.6 क्या परीक्षा की योजना सहित पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम तैयार कर लिए गए हैं ?

Attested

सहायक निबंधक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सेविल लाइन्स, दिल्ली-54

462

- 3.7 क्या मुद्रित और अमुद्रित पाठ्यक्रम-सामग्री तैयार कर ली गई है ?
- 3.8 अनुश्रवण और पर्यवेक्षण के लिए प्रस्तावित व्यवस्था
- 3.9 क्या दूरस्थ शिक्षा प्रणाली (डी.ई.सी.) से इस आशय का प्रमाण-पत्र ले लिया गया है कि अध्ययन सामग्री डी.ई.सी. के मानदंडों के अनुसार तैयार और विकसित की गई है, यदि हां तो उसकी एक प्रति संलग्न करें।

4. वित्त

- 4.1 संस्थान/कार्यक्रम चलाने के लिए वित्तीय साधनों और उपलब्ध निधियों के बारे में बताएं

5. अन्य जानकारी

- 5.1 कोई अन्य पाठ्यक्रम यदि संस्थान द्वारा चलाए जा रहे हों तो

| पाठ्यक्रम का नाम | दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या | अवधि |
|---------------------|--|------|
|---------------------|--|------|

संस्थान की मुहर सहित आवेदनकर्ता
के हस्ताक्षर, नाम और पदनाम

स्थान
तारीख

परिशिष्ट-2बी

अनिवार्य दस्तावेजों की सूची

दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि के लिए अनुमति सहित मान्यता प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र निम्न आवश्यक दस्तावेजों सहित

Attested
11/5/11

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सेविल लाइन्स, दिल्ली-54

463

परिशिष्ट 2ए में दिए गए प्रपत्र में संबंधित क्षेत्रीय समिति को संलग्न फोरमेट में तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

- (i) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की संबंधित क्षेत्रीय समिति को जहां वह स्थित है उस स्थान पर उसके नाम देय रेखित डिमांड ड्राफ्ट के रूप में निर्धारित आवेदन शुल्क (जो वापिस नहीं होगा)
- (ii) राज्य सरकार/संघशासित क्षेत्र प्रशासन से अनापत्ति प्रमाण पत्र (मूल रूप में)
- (iii) आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र में गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर आश्वासन (परिशिष्ट 2सी में दिए गए प्रपत्र के अनुसार)
- (iv) आवेदन पत्र में दी गई सामग्री और उसके साथ संलग्न दस्तावेजों का सत्यापन करने वाला एक शपथ पत्र। शपथ पत्र पहली श्रेणी के दण्डाधिकारी/एस.डी.एम./ए.डी.एम. द्वारा सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
- (v) दूरस्थ शिक्षा परिषद् (डी.ई.सी.) से इस आशय का प्रमाण पत्र लिया जाए कि अध्ययन सामग्री डी.ई.सी. के मानदंडों के अनुसार तैयार और विकसित की गई है।

टिप्पणी

- (1) यदि आवेदन पत्र अधूरा पाया जाता है अर्थात् उसके साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न नहीं किए जाते तो संस्थान को विनियमों में निर्धारित अन्तिम तारीख तक या उससे पूर्व आवेदन पत्र में पाई गई कमियों को दूर करने के लिए कहा जा सकता है।
- (2) यदि किसी मामले में आवेदन पत्र की कमियां अन्तिम तारीख के बाद ही दूर हो पाती हैं तो संस्थान के आवेदन पत्र को क्षेत्रीय

समिति द्वारा अगले शैक्षणिक वर्ष अर्थात् एक वर्ष बाद आयोजित किए जाने वाले पाठ्यक्रम के लिए विचार किए जाने के निमित्त ले जाया जायेगा।

Attested
11/5/11

हायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सेविल लाइन्स, दिल्ली-54

परिशिष्ट - 2सी

विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाले सक्षम/प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नोटैरी के सत्यापन के बाद गैर-न्यायिक पक्के कागज पर प्रस्तुत किए जाने वाला आश्वासन

_____ (विश्वविद्यालय का नाम) का/के (कुलसचिव अथवा विश्वविद्यालय द्वारा पदनामित किसी अन्य व्यक्ति का/के नाम) मैं/हम _____ एतद्वारा यह वचन देता हूँ/देते हैं कि सत्र _____ (शैक्षणिक वर्ष) से _____ (संस्थान/पाठ्यक्रम/ कार्यक्रम का नाम) की मान्यता प्राप्त करने के बारे में अपने/हमारे आवेदन पत्र के संबंध में निम्न की पूर्ति की जाएगी :

1. कि राअशिप द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित मानदंडों, मानकों और मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार आधारिक, अनुदेशात्मक तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी ।
2. कि पात्रता की शर्तें पूरी करने वाले छात्रों का दाखिला या तो अर्हक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अथवा राज्य सरकार/विश्वविद्यालय की नीति के अनुसार उसके द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर किया जाएगा ।
3. कि राज्य सरकार की नीति के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों/विकलांगों आदि के लिए सीटों का आरक्षण किया जाएगा ।
4. कि पाठ्यक्रम में दाखिला राअशिप की संबंधित क्षेत्रीय समिति द्वारा मान्यता प्रदान करने के बाद ही किया जाएगा ।
5. (क) कि समुचित रूप से व्यापक विज्ञापन के माध्यम से और विधिवत रूप से गठित चयन समिति की सिफारिशों पर मुक्त चयन के

Attested
G. M. S. 11

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सेविल लाइन्स, दिल्ली-54

465

आधार पर मानदंडों और मानकों में निर्धारित अर्हताओं के अनुसार पूर्णकालिक स्टाफ नियमित आधार पर नियुक्त किया जाएगा ।

(ख) कि अंशकालिक स्टाफ की नियुक्ति राज्य सरकार/ विश्वविद्यालय के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार की जाएगी ।

6. कि शिक्षण शुल्क तथा अन्य शुल्क संबंधित राज्य सरकार/सम्बन्धक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित दरों पर वसूल किए जाएंगे ।
7. कि संस्थान के शैक्षणिक तथा अन्य स्टाफ (अंशकालिक स्टाफ सहित) को संबंधित राज्य सरकार/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित वेतन का भुगतान किया जाएगा ।
8. कि विश्वविद्यालय अपने सभी कर्मचारियों के संबंध में भविष्य निधि, पेंशन, उपदान आदि से संबंधित सांविधिक दायित्वों की पूर्ति करेगा ।
9. कि विश्वविद्यालय संतोषजनक सुविधाएं उपलब्ध कराने और कार्यक्रम के समुचित कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराएगा ।
10. कि विश्वविद्यालय के कार्यक्रम सम्बन्धी खाते विधिवत रूप से रखे जाएंगे और उनकी लेखापरीक्षा अधिकारियों अथवा सनदी लेखाकार द्वारा प्रतिवर्ष लेखा परीक्षा जाएगी और वे निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगे ।
11. कि विश्वविद्यालय राअशिप द्वारा समय-समय पर निर्धारित सभी शर्तों और मानदंडों का कड़ाई से पालन करेगा, पूरी निष्ठा के साथ कार्यक्रम आयोजित करेगा और जब कभी आवश्यक होगा राअशिप द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगा ।
12. यदि किसी मामले में राअशिप द्वारा निर्धारित मानदंडों और मानकों तथा समय-समय पर निर्दिष्ट/निर्धारित किसी अन्य शर्त की पूर्ति नहीं हो पाती है तो राअशिप अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी निकाय अथवा व्यक्ति को किसी अन्य मामले पर विचार किए बिना अपनी मान्यता अथवा अनुमति रद्द करने के संबंध में सभी आवश्यक कार्रवाई करने की छूट होगी और ऐसी कार्रवाई के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले सभी दायित्व नितांत रूप से विश्वविद्यालय द्वारा वहन किए जाएंगे ।

Attested
Gm 11/5/11

हायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

466

13. कि विश्वविद्यालय किसी वर्ष के दौरान अथवा किसी बैच के लिए पाठ्यक्रम का समापन नहीं होने देगा अथवा इस तरह के समापन की अनुमति नहीं देगा और यदि वह ऐसा करने के लिए विवश है तो वह पाठ्यक्रम के समापन के लिए वर्ष/बैच के पूरा होने के बाद राअशिप की सहमति प्राप्त करेगा ।
14. कि विश्वविद्यालय ने प्रस्तावित पाठ्यक्रम के लिए राअशिप द्वारा प्रदान की गई मान्यता में निर्धारित मानदंडों और शर्तों को देख लिया है, उनका अध्ययन कर लिया है और उन्हें समझ लिया है और वह ऐसा महसूस करता है कि वह इस संबंध में संतुष्ट है अथवा निरीक्षण के समय तक संतुष्ट हो सकता है और ऐसा न होने की स्थिति में वह प्रतिकूल निर्णय स्वीकार करने को तत्पर होगा ।
15. राअशिप द्वारा प्रदान किए गए अनुमोदन के बल पर विश्वविद्यालय, केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार से किसी प्रकार के वित्तीय अनुदान अथवा सहायता अथवा राअशिप से किसी प्रकार के सहयोग का स्वतः दावेदार नहीं हो जाएगा ।

(आश्वासन देने वाले प्राधिकृत नामित प्राधिकारी के
हस्ताक्षर, पदनाम और कार्यालय की मुहर)

नाम (स्पष्ट अक्षरों में)

स्थान
तारीख

साक्षी

(1)

(2)

Attested

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

परिशिष्ट - 3

स्कूल-पूर्व अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के लिए मानदंड और मानक

1. प्रस्तावना

इस कार्यक्रम का उद्देश्य 4-6 वर्ष के आयु-वर्ग के बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल-पूर्व अध्यापक तैयार करना है। इससे बच्चों की स्कूल-पूर्व शिक्षा के लिए अध्यापकों का एक संवर्ग तैयार हो सकेगा। क्योंकि स्कूल-पूर्व शिक्षा को अभी तक प्राथमिक स्कूली शिक्षा में समाकलित नहीं किया गया है और क्योंकि यह प्रायः निजी प्रयासों से चलाई जा रही है, अतः इसे नर्सरी अध्यापक प्रशिक्षण से जो कि 4-8 वर्ष के आयु-वर्ग के बच्चों के लिए होता है अलग मान्यता प्रदान किए जाने की आवश्यकता है।

2. अवधि और दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या

(क) कार्यक्रम की अवधि एक शैक्षणिक वर्ष होगी।

(ख) भौतिक और अनुदेशात्मक आधारिक तंत्र तथा अध्यापक स्टाफ की विशेषज्ञता का इष्टतम प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए 50 छात्रों का एक यूनिट होगा।

3. पात्रता

(क) माध्यमिक परीक्षा (कक्षा 10) अथवा समतुल्य

(ख) दाखिले राज्य सरकार की नीति के अनुसार या तो अर्हक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अथवा राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर किए जाएंगे।

(ग) सम्बन्धित राज्य सरकार के नियमों के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों/विकलांगों/महिलाओं आदि के लिए स्थानों का आरक्षण होगा।

4. पाठ्यचर्या संचालन तथा अध्यापन स्टाफ की आवश्यकता

Attested

[Signature]

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सेविल लाइन्स, दिल्ली-54

468

- (क) दाखिले, परीक्षा आदि की अवधि को छोड़कर कम से कम 150 अध्यापन दिवस होंगे । प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी अध्यापक को निकटस्थ स्कूल-पूर्व संस्थानों में कम से कम 30 दिन तक स्थानबद्ध रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा । नन्हें बच्चों के साथ अध्यापक-प्रशिक्षणार्थियों का इष्टतम वैचारिक आदान-प्रदान सुनिश्चित करने के लिए यह कार्यक्रम नर्सरी स्कूल अध्यापन से युक्त संस्थान द्वारा भी आयोजित किया जा सकता है ।
- (ख) पाठ्यचर्या निष्पादन में ऐसी प्रणालियों तथा पद्धतियों पर बल दिया जाना चाहिए जैसेकि भूमिका निर्वाह, खेल, प्रश्नोत्तरी, सामग्री निर्माण, परियोजना कार्य, बाल मेला आदि जिससे कि भावी अध्यापकों को आनन्दपूर्ण वातावरण निर्मित करने में प्रशिक्षित किया जा सके ताकि 4-6 वर्ष के आयु-वर्ग के बच्चे स्कूली शिक्षा के प्रति आकृष्ट हो सकें ।
- (ग) 50 छात्रों के यूनिट के लिए संकाय में प्रिंसीपल/प्रधान के अलावा दो पूर्णकालिक अध्यापक और दो अंशकालिक अध्यापक शामिल होने चाहिए । निर्धारित यूनिट से अधिक छात्रों का दाखिला किए जाने की स्थिति में अध्यापकों की संख्या में आनुपातिक रूप से वृद्धि की जाएगी ।
- (घ) शारीरिक शिक्षा, कला, कार्य अनुभव, संगीत आदि जैसे सहपाठ्यचर्यात्मक क्रियाकलापों के लिए अंशकालिक अध्यापक नियुक्त किए जा सकते हैं ।

5. अध्यापन स्टाफ की योग्यता

(क) प्रिंसीपल/प्रधान

- शैक्षणिक और व्यावसायिक अर्हताएं वही होंगी जोकि अध्यापक के पद के लिए निर्धारित हैं ।
- प्रारम्भिक अध्यापक शिक्षा/स्कूल-पूर्व अध्यापक शिक्षा संस्थान में पढ़ाने का कम से कम पांच वर्ष का अनुभव ।

(ख) अध्यापक

अभ्यर्थी का निम्न शैक्षणिक अर्हता सहित उत्तम शैक्षणिक रिकार्ड होना चाहिए ।

बी.एड./बी.एल.एड./बी.एड.(नर्सरी) के साथ स्नातक सहित उत्तम शैक्षणिक रिकार्ड

Attested
Signature

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-64

469

अथवा

स्कूल-पूर्व तथा निम्न प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा/प्रारम्भिक शिक्षा में डिप्लोमा सहित स्नातक ।

- (ग) शारीरिक शिक्षा, कला, कार्य-अनुभव आदि पढ़ाने के लिए अध्यापकों की योग्यता सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए अनुसार होगी ।

6. प्रशासनिक स्टाफ

प्रशासनिक तथा अन्य सहयोगी स्टाफ सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा माध्यमिक स्कूलों के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुसार मुहैया कराया जाए ।

7. आधारिक सुविधाएं

- (क) दाखिल किए जाने वाले छात्रों की अनुमोदित संख्या के अनुसार संस्थान में क्लास रूमों की उपयुक्त संख्या तथा क्रियाकलाप कक्ष, प्रिंसीपल और संकाय सदस्यों के लिए कमरे तथा प्रशासनिक स्टाफ के लिए एक कार्यालय और एक स्टोर उपलब्ध होना चाहिए । अनुदेशात्मक स्थल का आकार प्रत्येक छात्र के लिए 10 वर्ग फुट से कम नहीं होना चाहिए ।

- (ख) आउटडोर और इन्डोर खेलों के लिए उपयुक्त स्थान होना चाहिए ।

- (ग) ये सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आवेदन करते समय प्रबन्धक वर्ग/संस्थान के अधिकार में सभी प्रकार के ऋणभारों से मुक्त स्वामित्व के आधार पर उपयुक्त भूमि/भूमि तथा भवन होने चाहिए । इस प्रयोजन के लिए सम्बन्धित राज्य/संघशासित क्षेत्र की विधि के अनुसार लम्बी अवधि के लिए पट्टे पर ली गई सरकारी भूमि को भी वैध मान लिया जाएगा । उक्त भूमि पर स्थायी भवन का निर्माण किए जाने तक संस्थान ये सुविधाएं अधिक से अधिक तीन वर्ष की अवधि के लिए उपयुक्त अस्थायी परिसर में उपलब्ध करा सकता है किन्तु तीन वर्ष की अवधि पूरी होने से पहले संस्थान को अपने स्थायी भवन में जाना होगा ।

8. अनुदेशात्मक सुविधाएं

एक बड़े कमरे में एक अधिगम संसाधन केन्द्र होना चाहिए और साथ ही पुस्तकें, पत्रिकाएं, जर्नल, श्रव्य-दृश्य सहायक सामग्री, अध्यापन सहायक सामग्री, खेल सामग्री, कम्प्यूटर आदि होने चाहिए ।

Attested
[Signature]

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

ह ४०

9. स्टाफ की सेवा के उपबन्ध और शर्तें

- (क) नियुक्तियां संबंधित राज्य सरकार की नीति के अनुसार गठित चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाएंगी ।
- (ख) सभी नियुक्तियां पूर्णकालिक और नियमित आधार पर की जाएं ।
- (ग) उपयुक्त प्रत्याशियों के उपलब्ध न होने की स्थिति में संस्थान, अन्तरिम उपाय के रूप में प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा आधार पर नियुक्तियां कर सकते हैं ।
- (घ) संबंधित सरकार के मानदंडों के अनुसार अंशकालिक अनुदेशकों तथा अन्य स्टाफ की नियुक्ति की जा सकती है ।
- (ङ.) संस्थान के शैक्षणिक तथा अन्य स्टाफ (अंशकालिक स्टाफ सहित) को संबंधित राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित वेतन दिया जाएगा ।
- (च) पेंशन, उपदान, भविष्य निधि आदि से सम्बन्धित सांविधिक दायित्वों की पूर्ति संस्थान के प्रबन्धक वर्ग द्वारा की जाएगी ।
- (छ) स्टाफ की अधिवार्षिकी की आयु का निर्धारण सम्बन्धित सरकार की नीति के आधार पर होगा किन्तु शर्त यह है कि अधिकतम आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

10. प्रबन्ध

- (क) निजी संस्थानों के मामले में संस्थान किसी ऐसी सोसायटी/न्यास द्वारा चलाया जाएगा जो कि संगत अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के पास पंजीकृत हो ।
- (ख) शैक्षणिक शुल्क तथा अन्य शुल्क सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा यथानिर्धारित दरों पर लिए जाएंगे ।
- (ग) गैर-सहायताप्राप्त संस्थानों के मामले में प्रबन्धक वर्ग के प्राधिकृत प्रतिनिधि और सम्बन्धित क्षेत्रीय समिति के अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से संचालित की जाने वाली 5 लाख रुपये की एक स्थायी निधि तथा स्टाफ के 3 महीने के वेतन के बराबर एक आरक्षित निधि उपलब्ध रहेगी ।

11. सम्बन्धन

परीक्षा का आयोजन, राज्य सरकार द्वारा नामित परीक्षा निकाय करेगा ।

3521 GI/2002—3A

Attested
11/5/11
हायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सेविल लाइन्स, दिल्ली-54

471

परिशिष्ट 4

नर्सरी अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के लिए मानदंड और मानक

1. प्रस्तावना

इस कार्यक्रम का उद्देश्य 4-6 वर्ष के आयुवर्ग के बच्चों को स्कूल-पूर्व अवस्था में और उसके बाद औपचारिक स्कूल के पहले दो वर्षों तक अर्थात् 6-8 वर्ष के आयुवर्ग के बच्चों को पढ़ाने के लिए नर्सरी अध्यापक तैयार करना है। इससे प्राथमिक स्तर की पहली और दूसरी कक्षाओं के साथ समाकलित स्कूल-पूर्व शिक्षा की सुविधा से युक्त नर्सरी स्कूलों के बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित अध्यापकों का एक संवर्ग तैयार हो सकेगा।

2. अवधि और दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या

- (क) कार्यक्रम की अवधि दो शैक्षणिक वर्ष होगी।
- (ख) भौतिक और अनुदेशात्मक आधारिक तंत्र तथा अध्यापन स्टाफ की विशेषज्ञता का इष्टतम प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए 50 छात्रों का एक यूनिट होगा।

3. पात्रता

- (क) 45% अंकों सहित उच्च माध्यमिक परीक्षा (कक्षा 12 अथवा समतुल्य) पास करने वाले अभ्यर्थी दाखिले के पात्र होंगे।
- (ख) दाखिले, राज्य सरकार की नीति के अनुसार या तो अर्हक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अथवा राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर किए जाएंगे।
- (ग) सम्बन्धित राज्य सरकार की नीति के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों/ विकलांगों/ महिलाओं आदि के लिए स्थानों का आरक्षण होगा।

4. पाठ्यचर्या संचालन तथा अध्यापन स्टाफ की आवश्यकता

- (क) दाखिले, परीक्षा आदि की अवधि को छोड़कर कम से कम 150 अध्यापन दिवस होंगे। प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी अध्यापक को निकटवर्ती स्कूल-पूर्व

Attested
Signature

सहायक नियंत्रक (प्रशासन) 3521 GI/2002-3B
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सेविल लाइन्स, दिल्ली-54

472

संस्थानों और निम्न प्राथमिक स्कूलों में कम से कम 30 दिन तक स्थानबद्ध रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा । नन्हें बच्चों के साथ अध्यापक-प्रशिक्षणार्थियों का इष्टतम वैचारिक आदान-प्रदान सुनिश्चित करने के लिए यह कार्यक्रम नर्सरी स्कूल अध्यापन से युक्त संस्थान द्वारा भी आयोजित किया जा सकता है ।

- (ख) पाठ्यचर्या संचालन में ऐसी प्रणालियों तथा पद्धतियों पर बल दिया जाना चाहिए जैसेकि भूमिका निर्वाह, खेल, प्रश्नोत्तरी, सामग्री निर्माण, परियोजना कार्य, बाल मेला आदि जिससे कि भावी अध्यापकों को आनन्दपूर्ण वातावरण निर्मित करने में प्रशिक्षित किया जा सके ताकि 4-8 वर्ष के आयु-वर्ग के बच्चे स्कूली शिक्षा के प्रति आकृष्ट हो सकें ।
- (ग) 50 छात्रों के यूनिट के लिए संकाय में प्रिंसीपल/प्रधान के अलावा दो पूर्णकालिक अध्यापक और दो अंशकालिक अध्यापक शामिल होने चाहिए । निर्धारित यूनिट से अधिक छात्रों का दाखिला किए जाने की स्थिति में अध्यापकों की संख्या में आनुपातिक रूप से वृद्धि की जाएगी ।
- (घ) शारीरिक शिक्षा, कला, कार्य अनुभव, संगीत आदि जैसे सहपाठ्यचर्यात्मक क्रियाकलापों के लिए अंशकालिक अध्यापक नियुक्त किए जा सकते हैं ।

5. अध्यापन स्टाफ की योग्यता

(क) प्रिंसीपल/प्रधान

- (i) शैक्षणिक और व्यावसायिक अर्हताएं वही होंगी जोकि लेक्चरर के पद के लिए निर्धारित हैं :
- (ii) नर्सरी/प्राथमिक/प्रारम्भिक अध्यापक शिक्षा संस्थान में पढ़ाने का कम से कम पांच वर्ष का अनुभव ।

(ख) लेक्चरर

अभ्यर्थी का निम्न शैक्षणिक अर्हता सहित उत्तम शैक्षणिक रिकार्ड होना चाहिए ।

- (i) प्रारम्भिक बाल शिक्षा/बाल विकास/प्रारम्भिक शिक्षा में विशेषज्ञता सहित बी.एड. के साथ स्नातक

अथवा

- (ii) बी.एड. नर्सरी अथवा समतुल्य सहित स्नातक

अथवा

Attested

[Signature]

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सेविल लाइन्स, दिल्ली-54

473

(iii) प्रारम्भिक शिक्षा में स्नातक (बी.एल.एड.)

अथवा

बाल विकास अथवा स्कूल-पूर्व शिक्षा में विशेषज्ञता सहित गृह विज्ञान अथवा सामाजिक कार्य में स्नातक की डिग्री

अथवा

(iv) स्कूल-पूर्व शिक्षा में डिप्लोमा अथवा प्रारम्भिक शिक्षा में डिप्लोमा (डी.एड.) सहित स्नातक

शारीरिक शिक्षा, कला, कार्य अनुभव आदि पढ़ाने के लिए अध्यापकों की योग्यता सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी।

6. प्रशासनिक स्टाफ

प्रशासनिक तथा अन्य सहयोगी स्टाफ सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुसार मुहैया कराया जाए।

7. अनुदेशात्मक सुविधाएं

(क) दाखिल किए जाने वाले छात्रों की अनुमोदित संख्या के अनुसार संस्थान में क्लासरूमों की उपयुक्त संख्या तथा क्रियाकलाप कक्ष, प्रिंसीपल और संकाय सदस्यों के लिए कमरे तथा प्रशासनिक स्टाफ के लिए एक कार्यालय और एक स्टोर उपलब्ध होना चाहिए। अनुदेशात्मक स्थल का आकार प्रत्येक छात्र के लिए 10 वर्गफुट से कम नहीं होना चाहिए।

(ख) आउटडोर और इन्डोर खेलों के लिए उपयुक्त स्थान होना चाहिए।

(ग) ये सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आवेदन करते समय प्रबन्धक वर्ग/संस्थान के अधिकार में सभी प्रकार के ऋणभारों से मुक्त स्वामित्व के आधार पर उपयुक्त भूमि/भूमि तथा भवन होने चाहिए। इस प्रयोजन के लिए सम्बन्धित राज्य/संघशासित क्षेत्र की विधि के अनुसार लम्बी अवधि के लिए पट्टे पर ली गई सरकारी भूमि को भी वैध मान लिया जाएगा। उक्त भूमि पर स्थायी भवन का निर्माण किए जाने तक संस्थान ये सुविधाएं अधिक से अधिक तीन वर्ष की अवधि के लिए उपयुक्त अस्थायी परिसर में उपलब्ध करा सकता है किन्तु तीन वर्ष की अवधि पूरी होने से पहले संस्थान को अपने स्थायी भवन में जाना होगा।

8. अनुदेशात्मक सुविधाएं

एक बड़े कमरे में एक अधिगम संसाधन केन्द्र होना चाहिए और साथ ही पुस्तकें, पत्रिकाएं, जर्नल; श्रव्य-दृश्य सहायक सामग्री, अध्यापन सहायक सामग्री, खेल सामग्री, कम्प्यूटर आदि होने चाहिए।

474

Attested
5/11/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-84

9. स्टाफ की सेवा के उपबन्ध और शर्तें

- (क) नियुक्तियां संबंधित राज्य सरकार की नीति के अनुसार गठित चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाएंगी ।
- (ख) सभी नियुक्तियां पूर्णकालिक और नियमित आधार पर की जाएं ।
- (ग) उपयुक्त प्रत्याशियों के उपलब्ध न होने की स्थिति में संस्थान, अन्तरिम उपाय के रूप में प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा आधार पर नियुक्तियां कर सकते हैं ।
- (घ) संबंधित सरकार के मानदंडों के अनुसार अंशकालिक अनुदेशकों तथा अन्य स्टाफ की नियुक्ति की जा सकती है ।
- (ङ.) संस्थान के शैक्षणिक तथा अन्य स्टाफ (अंशकालिक स्टाफ सहित) को संबंधित राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित वेतन दिया जाएगा ।
- (च) पेंशन, उपदान, भविष्य निधि आदि से सम्बन्धित सांविधिक दायित्वों की पूर्ति संस्थान के प्रबन्धक वर्ग द्वारा की जाएगी ।
- (छ) स्टाफ की अधिवार्षिकी की आयु का निर्धारण सम्बन्धित सरकार की नीति के आधार पर होगा किन्तु शर्त यह है कि अधिकतम आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

10. प्रबन्ध

- (क) निजी संस्थानों के मामले में संस्थान किसी ऐसी सोसायटी/न्यास द्वारा चलाया जाएगा जो कि संगत अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के पास पंजीकृत हो ।
- (ख) शैक्षणिक शुल्क तथा अन्य शुल्क सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा यथानिर्धारित दरों पर लिए जाएंगे ।
- (ग) गैर-सहायताप्राप्त संस्थानों के मामले में प्रबन्धक वर्ग के प्राधिकृत प्रतिनिधि और सम्बन्धित क्षेत्रीय समिति के अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से संचालित की जाने वाली 5 लाख रुपये की एक स्थायी निधि तथा स्टाफ के 3 महीने के वेतन के बराबर एक आरक्षित निधि उपलब्ध रहेगी ।

11. सम्बन्धन

परीक्षा का आयोजन, राज्य सरकार द्वारा नामित परीक्षा निकाय करेगा ।

Attested
Gm 21/5/11

हायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

475

परिशिष्ट-5

प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के लिए मानदंड और मानक

1. प्रस्तावना

प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य प्रारंभिक स्कूलों (प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक/मिडिल) के लिए अध्यापक तैयार करना है।

2. अवधि और दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या

(क) प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की अवधि 2 शैक्षणिक वर्ष होगी।

(ख) प्रभावी पाठ्यचर्या संचालन तथा भौतिक और अनुदेशात्मक आधारिक तंत्र और अध्यापन स्टाफ की विशेषज्ञता का इष्टतम प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए प्रतिवर्ष दाखिल किए जाने वाले 50 छात्रों का एक यूनिट होगा।

3. पात्रता

(क) उच्च माध्यमिक परीक्षा (+2) अथवा उसकी समकक्ष परीक्षा में कम से कम 45% अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार दाखिले के लिए पात्र हैं।

(ख) दाखिले, राज्य सरकार की नीति के अनुसार या तो अर्हक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अथवा राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर किए जाएंगे।

(ग) संबंधित राज्य सरकार के नियमों के अनुसार अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों/विकलांगों तथा महिलाओं आदि के लिए स्थानों का आरक्षण होगा।

4. पाठ्यचर्या संचालन तथा अध्यापन स्टाफ की आवश्यकता

(क) दाखिले, परीक्षा आदि की अवधि को छोड़कर एक वर्ष में कम से कम 150 अध्यापन दिवस होंगे। इसके अलावा प्रत्येक प्रशिक्षार्थी अध्यापक को निकटस्थ प्रारंभिक स्कूलों में कम से कम 30 दिन तक अध्यापन

Attested

11/5/11

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

476

(अध्यापन-अभ्यास/कौशल विकास सहित) में स्थानबद्ध प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

- (ख) आधारिक विषयों के अध्यापन के अलावा प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक पाठ्यचर्या के विषयों जैसेकि प्रादेशिक भाषा/मातृभाषा, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के पद्धति शिक्षण के लिए प्रावधान भी होगा।
- (ग) 50 अथवा उससे कम छात्रों (दो वर्ष के पाठ्यक्रम के लिए 100 अथवा उससे कम की संयुक्त क्षमता सहित) के यूनिट के लिए पूर्णकालिक अध्यापन संकाय में प्रिंसीपल/प्रधान तथा कम से कम पांच लेक्चरर होने चाहिए। निर्धारित यूनिट से अधिक छात्रों का दाखिला किए जाने की स्थिति में पूर्णकालिक अध्यापकों की संख्या में आनुपातिक रूप से वृद्धि की जाएगी।
- (घ) अध्यापकों की नियुक्ति इस प्रकार बांटी जाएगी कि शिक्षण प्रविधि पाठ्यक्रमों तथा आधारिक पाठ्यक्रमों के लिए अपेक्षित प्रकृति और विशेषज्ञता का स्तर सुनिश्चित किया जा सके।
- (ङ) शारीरिक शिक्षा, कला, कार्यानुभव, संगीत, सूचना प्रौद्योगिकी साक्षरता आदि जैसे विषयों को पढ़ाने के लिए अंशकालिक अध्यापक नियुक्त किए जा सकते हैं।

5. अध्यापन स्टाफ की योग्यता

(क) प्रिंसीपल/प्रधान

- (i) शैक्षिक और व्यावसायिक अर्हताएं वही होंगी जो कि लेक्चरर के पद के लिए निर्धारित हैं।
- (ii) प्रारंभिक अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान में पढ़ाने का कम से कम पांच वर्ष का अनुभव।

(ख) लेक्चरर

55% अंकों के साथ एम.ए./एम.एड.(शिक्षा) सहित उत्तम शैक्षणिक रिकार्ड, बेहतर हो कि प्रारंभिक शिक्षा में विशेषज्ञता प्राप्त हो।

अथवा

संगत स्कूल विषय में 55% अंकों के साथ एम.ए. की डिग्री सहित उत्तम शैक्षणिक रिकार्ड तथा साथ ही प्रारंभिक शिक्षा में स्नातक (बी.एल.एड.) अथवा बी.एड., बेहतर हो कि प्रारंभिक शिक्षा में विशेषज्ञता

Attested
11/5/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

477

और मान्यताप्राप्त प्रारंभिक स्कूलों में पांच वर्ष के शिक्षण का अनुभव प्राप्त हो ।

(ग) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रत्याशियों के मामले में एम.ए. स्तर पर 5% की ढील प्रदान की जाएगी अर्थात् अंकों का न्यूनतम प्रतिशत 55% से घटा कर 50% कर दिया जाएगा ।

(घ) शारीरिक शिक्षा, कला, कार्यानुभव, सूचना प्रौद्योगिकी साक्षरता आदि पढ़ाने के लिए अन्य शैक्षणिक स्टाफ की योग्यता सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए अनुसार होगी ।

6. प्रशासनिक स्टाफ

प्रशासनिक तथा अन्य सहयोगी स्टाफ सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार मुहैया कराया जाए ।

7. आधारिक सुविधाएं

(क) दाखिल किए जाने वाले छात्रों की अनुमोदित संख्या के अनुसार शिक्षण क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए उपयुक्त संख्या में क्लासरूम, हाल, प्रयोगशाला स्थल उपलब्ध होने चाहिए, प्रिन्सीपल और संकाय सदस्यों के लिए कमरे, प्रशासनिक स्टाफ के लिए एक कार्यालय तथा एक स्टोर उपलब्ध होना चाहिए । अनुदेशात्मक स्थल का आकार प्रत्येक छात्र के लिए 10 वर्ग फुट से कम नहीं होना चाहिए ।

(ख) एक पुस्तकालय होना चाहिए जिसमें अध्ययन के लिए निर्धारित पाठ्यक्रमों से सम्बन्धित पाठ्य और सन्दर्भ पुस्तकें, शैक्षिक विश्वकोष, अब्दकोश, इलैक्ट्रॉनिक प्रकाशन (सीडी-रोम) तथा अध्यापक शिक्षा पर पत्रिकाएं और प्रारंभिक स्तर से सम्बन्धित अन्य सॉफ्टवेयर मौजूद हों ।

(ग) खेल के मैदान सहित खेल-कूद सुविधाएं मौजूद होनी चाहिए अन्यथा सम्बद्ध स्कूल अथवा स्थानीय निकाय में उपलब्ध खेल के मैदान का प्रयोग किया जा सकता है और जहां स्थान की कमी हो जैसे कि महानगरों के शहर/पर्वतीय क्षेत्र, वहां योग, इन्डोर खेलों के लिए सुविधाएं सुलभ कराई जाएं ।

(घ) ये सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आवेदन करते समय प्रबन्धकवर्ग/संस्थान के अधिकार में सभी प्रकार के ऋणभारों से मुक्त स्वामित्व के

Attested
11/5/11

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सेविल लाइन्स, दिल्ली-34

478

आधार पर उपयुक्त भूमि/भूमि तथा भवन होने चाहिए । इस प्रयोजन के लिए सम्बन्धित राज्य/संघशासित क्षेत्र की विधि के अनुसार लम्बी अवधि के लिए पट्टे पर ली गई सरकारी भूमि को भी वैध मान लिया जाएगा । उक्त भूमि पर स्थायी भवन का निर्माण किए जाने तक संस्थान ये सुविधाएं अधिक से अधिक तीन वर्ष की अवधि के लिए उपयुक्त अस्थायी परिसर में उपलब्ध करा सकता है किन्तु तीन वर्ष की अवधि पूरी होने से पहले संस्थान को अपने स्थायी भवन में जाना होगा ।

8. अनुदेशात्मक सुविधाएं

(क) मनोविज्ञान और विज्ञान खंडों सहित एक बहुप्रयोजन शैक्षिक प्रयोगशाला और उसके साथ सम्बद्ध एक कार्यशाला होगी ।

(i) विज्ञान खंड में प्रारंभिक स्कूलों के पाठ्यक्रम के अनुसार सभी प्रयोगों का निदर्शन करने के लिए आवश्यक उपकरण और रासायनिक पदार्थ उपलब्ध होंगे ।

(ii) मनोविज्ञान खंड में निम्न परीक्षण आयोजित करने के लिए सुविधाएं होंगी; संवेदी-मोटर, बुद्धिमत्ता (निष्पादन, मौखिक तथा गैर-मौखिक) अभिवृत्ति, व्यक्तित्व तथा प्रक्षेपणीय परीक्षणों सहित रुचि-सूचियां : साधारण पैजिशियन और ब्रूनेरियन प्रयोग करने की व्यवस्था ।

(ख) भाषा सीखने के लिए हार्डवेयर/साफ्टवेयर सुविधाएं होंगी ।

(ग) सूचना प्रौद्योगिकी साक्षरता (आईटी) प्रदान करने के लिए आवश्यक हार्डवेयर तथा साफ्टवेयर सहित एक शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला होगी ।

9. स्टाफ की सेवा के उपबंध और शर्तें

(क) नियुक्तियां केन्द्रीय/संबंधित राज्य सरकार की नीति के अनुसार गठित चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाएंगी ।

(ख) सभी नियुक्तियां पूर्णकालिक और नियमित आधार पर की जाएं ।

(ग) सरकारी संस्थान/सरकारी सहायताप्राप्त संस्थान संबंधित सरकार द्वारा स्थापित उपयुक्त निकायों द्वारा अनुशंसित उपयुक्त प्रत्याशियों के उपलब्ध न होने की स्थिति में अन्तरिम उपाय के रूप में प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा आधार पर नियुक्तियां कर सकते हैं ।

Attested

[Handwritten Signature]

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सेविल लाइन्स, दिल्ली-54

479

- (घ) संबंधित सरकार के मानदंडों के अनुसार अंशकालिक अनुदेशकों तथा अन्य स्टाफ की नियुक्ति की जा सकती है ।
- (ङ) संस्थान के शैक्षणिक तथा अन्य स्टाफ (अंशकालिक स्टाफ सहित) को संबंधित राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित वेतन दिया जाएगा ।
- (च) पेंशन, उपदान, भविष्य निधि आदि से सम्बन्धित सांविधिक दायित्वों की पूर्ति संस्थान के प्रबन्धक वर्ग द्वारा की जाएंगी ।
- (छ) स्टाफ की अधिवार्षिकी की आयु का निर्धारण सम्बन्धित सरकार की नीति के आधार पर होगा किन्तु शर्त यह है कि अधिकतम आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

10. वित्तीय प्रबन्ध

- (क) शैक्षणिक शुल्क तथा अन्य शुल्क सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा यथानिर्धारित दरों पर लिए जाएंगे ।
- (ख) गैर-सहायताप्राप्त संस्थानों के मामले में प्रबन्धक वर्ग के प्राधिकृत प्रतिनिधि और सम्बन्धित क्षेत्रीय समिति के अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से संचालित की जाने वाली 5 लाख रुपये की एक स्थायी निधि तथा स्टाफ के 3 महीने के वेतन के समकक्ष एक आरक्षित निधि उपलब्ध रहेगी ।

11. पात्रता/पाठ्यक्रम की अवधि में ढील

क्योंकि कुछ राज्यों में प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम की अवधि केवल एक वर्ष है और ऐसे पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए पात्रता 10वीं कक्षा पास है अतः ऐसे राज्यों को अपने कार्यक्रमों को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मानदंडों और मानकों के अनुरूप लाने के लिए शैक्षणिक सत्र 2004-2005 के अन्त तक का समय दिया जाता है । इस बीच पाठ्यक्रम की घटी हुई अवधि जो कि एक वर्ष से कम नहीं होगी तथा/अथवा न्यून पात्रता मानदंड के लिए जो कि कुल मिलाकर कम से कम 50% अंक सहित 10वीं कक्षा पास से कम नहीं होंगे इस शर्त के अधधीन मान्यता दी जा सकती है कि इस प्रकार के पाठ्यक्रम के मामले में राज्य प्राधिकारियों द्वारा दिए जाने वाला प्रमाण-पत्र केवल उसी राज्य में नौकरी के लिए वैध होगा और यह कि ऐसे पाठ्यक्रम, उनकी अवधि और दाखिले के मानदंडों सहित वे पाठ्यक्रम हैं जो कि उस राज्य में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम 1993 के लागू होने की तारीख को मौजूद थे ।

Attest
[Signature]

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सेविल लाइन्स, दिल्ली-54

480

परिशिष्ट - 6

प्रारम्भिक शिक्षा स्नातक (बी. एल. एड.) अध्यापक शिक्षा संस्थानों के लिये मानक और मानदंड

प्रस्तावना

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के पास अब यह सांविधिक प्राधिकार प्राप्त है कि वह अध्यापक शिक्षा का सुनियोजित और समन्वित विकास सुनिश्चित करने तथा विद्यालय स्तर की शिक्षा के क्षेत्र में पूर्व-प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक शिक्षा के स्तरों के लिए तैयारी सहित अध्यापक शिक्षा के मानकों का निर्धारण और उन्हें बनाये रखने का लक्ष्य सुनिश्चित करने की दिशा में वह जो भी उचित समझे, कदम उठाये। अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न स्तरों के लिये अध्यापक एवं अध्यापक-प्रशिक्षक तैयार करने वाले अध्यापक शिक्षा संस्थानों के लिये मानक और मानदंड निर्धारित करना अनेक कारणों से अनिवार्य हो गया है। ये मानक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम चलाने वाले वर्तमान संस्थानों के लिये इस दृष्टि से सहायक सिद्ध होंगे कि इनके आधार पर वे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मानकों से अपने यहां उपलब्ध व्यवस्थाओं की तुलना कर सकेंगे और यदि उनमें कोई खामियां हैं तो उनमें सुधार करने की आवश्यक कार्रवाई कर सकेंगे। इन मानदंडों से अध्यापक शिक्षा के लिये नये संस्थानों, कार्यक्रमों तथा पाठ्यक्रमों की उपयुक्त योजना बनाने में भी सहायता मिल सकेगी।

यहां मानकों एवं मानदंडों में उन 'शर्तों' का निदेश किया गया है जिनकी पूर्ति मान्यता, अनुमति तथा प्रवेश के लिये अतिरिक्त स्थानों के लिये आवश्यक है।

इस दस्तावेज में आमने-सामने के माध्यम से चार वर्ष का पूर्णकालिक एकीकृत प्रारम्भिक शिक्षा स्नातक (बी.ई.एल.ई.डी.) कार्यक्रम चलाने वाले संस्थानों के लिये राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित मानक और मानदंड स्पष्ट किए गए हैं।

आशा है कि इस दस्तावेज का प्रयोग अध्यापक शिक्षा के योजनाकारों तथा प्रशासकों और अध्यापक शिक्षा से जुड़े सरकारी स्वायत्त एवं निजी क्षेत्र के प्रबन्धकों द्वारा प्रारम्भिक अध्यापक शिक्षा स्नातक (बी.एल.एड.) के कार्यक्रमों की

Attested
Gm 11/5/11

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

481

योजना बनाने, उनका आयोजन और उनकी मान्यता के लिये उपयोग किया जा सकेगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् इन मानदण्डों का प्रयोग, प्रारम्भिक अध्यापक शिक्षा (बी.एल.एड.) कार्यक्रम आयोजित करने वाले संस्थानों की व्यावसायिक मान्यता के लिए करेगी। इन मानदण्डों का प्रयोग वर्तमान कार्यक्रमों और संस्थानों के स्तर में सुधार लाने की दृष्टि से उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए सरकारी, स्वायत्त तथा निजी प्रबन्धकों को सलाह देने के लिए भी किया जा सकेगा।

1. पाठ्यक्रम की अवधि

(क) एकीकृत प्रारम्भिक अध्यापक शिक्षा डिग्री कार्यक्रम, जिसे इसके बाद प्रारम्भिक शिक्षा स्नातक (बी.एल.एड.) कहा जाएगा, अध्ययन के चौथे वर्ष/अन्तिम वर्ष में स्थानबद्ध अध्यापन (इन्टर्नशिप) की अवधि सहित, जो कम से कम 16 कार्य-सप्ताहों की होगी, कम से कम चार शैक्षणिक वर्षों की अवधि का होगा।

(ख) इस कार्यक्रम में जिन प्रत्याशियों को प्रवेश दिया जाएगा उन्हें प्रवेश के वर्ष से छः वर्ष के भीतर अपनी अन्तिम वर्ष की परीक्षा को पूरा कर लेना होगा।

2. प्रवेश के मानदंड

(क) प्रारम्भिक अध्यापक शिक्षा में चार वर्ष के डिग्री कार्यक्रम में प्रवेश लेने वाले प्रत्याशियों को, प्रत्याशी की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए विशेष रूप से तैयार की गई केन्द्रीकृत निर्धारित प्रवेश परीक्षा (सीईटी) पास करनी होगी। सीटों में आरक्षण संवैधानिक/कानूनी प्रावधानों के अनुसार किया जाना चाहिए।

(ख) प्रवेश के लिये योग्यताएं

(i) प्रारम्भिक शिक्षा स्नातक (बी.एल.एड.) में प्रवेश के लिये कम से कम 10+2 उच्च माध्यमिक परीक्षा अथवा उसके समकक्ष मान्यताप्राप्त किसी अन्य परीक्षा में कुल मिलाकर कम से कम 50 प्रतिशत सहित उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

(ii) इस कार्यक्रम में प्रवेश लेने वाले प्रत्याशी के लिए यह आवश्यक है कि उसने विद्यालय के कैलेंडर के अनुसार प्रवेश की प्रक्रिया प्रारम्भ होने के दिन या उसके पहले 17 वर्ष पूरे कर लिए हों।

Attested
11/5/11

हायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सेविल लाइन्स, दिल्ली-54

482

3. दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या और स्थानान्तरण

- (क) एक यूनिट में एक कक्षा में 35 से अधिक प्रत्याशियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा ।
- (ख) संस्थानों द्वारा पहले वर्ष के अन्त में केवल एक बार ही राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से पूर्व अनुमति लेकर विद्यार्थियों को एक संस्थान से दूसरे संस्थान में जाने की अनुमति दी जायेगी किन्तु शर्त यह है कि प्रत्याशियों की संख्या दाखिल किए जाने वाले छात्रों की अनुमत्य अधिकतम संख्या से अधिक नहीं होगी ।

4. पाठ्यक्रम तथा अध्ययन की अवधि

मान्यता के लिये आवेदन करने वाले संस्थानों को प्रारम्भिक अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रमों में शिक्षा प्रदान करनी होगी । अध्यापन कार्यक्रम के एक अभिन्न अंग के रूप में हरेक संस्थान को क्षेत्रीय दौरो तथा प्रारम्भिक स्कूली शिक्षा में नवाचारी क्रियाकलापों वाले केन्द्रों के दौरो की व्यवस्था करनी होगी । संस्थानों को पाठ्यक्रमों की निम्नलिखित योजना के अनुसार शिक्षा देने का प्रबन्ध करना होगा :

- (क) प्रारम्भिक शिक्षा स्नातक (बी.एल.एड.) की पाठ्यक्रम योजना
बी.एल.एड. कार्यक्रम की रूपरेखा इस ढंग से बनी होनी चाहिए कि उसमें विषयज्ञान, मानवीय विकास, शिक्षाशास्त्र तथा सम्प्रेषण-कौशल - इन सभी का समेकन हो सके । इस कार्यक्रम के अंतर्गत अनिवार्य एवं वैकल्पिक - दोनों सैद्धांतिक पाठ्यक्रमों, अनिवार्य अभ्यासक्रम पाठ्यक्रमों तथा अनिवार्य स्थानबद्ध स्कूल अनुभव प्राप्त करने की व्यवस्था होनी चाहिए । सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक पाठ्यक्रमों में निम्नलिखित पाठ्यक्रमों का समावेश अनिवार्य है :

सैद्धांतिक पाठ्यक्रम

- आधारिक पाठ्यक्रम
- कोर पाठ्यक्रम
- शिक्षाशास्त्रीय पाठ्यक्रम
- उदासीकृत पाठ्यक्रम
- शिक्षा में अन्य विकल्प

अभ्यासक्रम

Attested
G. S. 11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सेविल लाइन्स, दिल्ली-34

- निष्पादन कलाएं एवं ललित कलाएं, शिल्प तथा शारीरिक शिक्षा
- सहभागितापूर्ण कार्य
- बच्चों का अवलोकन
- आत्म विकास कार्यशाला
- विद्यालय सम्पर्क कार्यक्रम
- विद्यालय में स्थानबद्ध अध्यापन कार्य
- परियोजना कार्य
- ट्यूटोरियल्स एवं गोष्ठीक्रम
- शैक्षणिक संवर्धन क्रियाकलाप

(ख) सैद्धांतिक एवं अभ्यासक्रम का वर्गीकरण तालिका 1क तथा 1ख में सुझाए अनुसार ज्ञान के क्षेत्रों के आधार पर किया जाए।

तालिका 1क : व्यावसायिक शिक्षा के लिये आधारिक आधार

| अध्ययन का क्षेत्र | व्यावसायिक शिक्षा स्नातक (बी.ई.एल.ई.डी.) पाठ्यक्रम |
|-----------------------|---|
| विषय के ज्ञान का आधार | <p>कोर पाठ्यक्रम</p> <p>सी.1.1 भाषा का स्वरूप</p> <p>सी.1.2 कोर गणित</p> <p>सी.1.3 कोर प्राकृतिक विज्ञान</p> <p>सी.1.4 कोर सामाजिक विज्ञान</p> <p><u>द्वि-स्तरीय उदारीकृत विषय विशेष</u></p> <p><u>वैकल्पिक पाठ्यक्रम</u></p> <p>किसी भी एक चुनिन्दा विषय क्षेत्र में 02.एक्स और 03.एक्स</p> <p><u>आधारिक पाठ्यक्रम (बहु-विषय क्षेत्रीय)</u></p> <p>किसी भी चुनिन्दा विषय क्षेत्र में एफ 1.2 समकालीन भारत</p> |
| शिक्षा | <p>आधारिक पाठ्यक्रम</p> <p>एफ.3.6 शिक्षा की मूल अवधारणाएं</p> <p>एफ 3.7 विद्यालय नियोजन तथा</p> |

Attested
[Signature]

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सेविल लाइन्स, दिल्ली-110044

| | |
|------------|---|
| | प्रबन्धन एफ 4.8 पाठ्यचर्या अध्ययन एफ 4.9 लिंग एवं विद्यालय शिक्षा |
| बाल अध्ययन | आधारिक पाठ्यक्रम एफ 1.1 बाल विकास एफ 2.3 संज्ञान तथा सीखना एफ 2.4 भाषा अर्जन |

तालिका 1ख : व्यावसायिक प्रशिक्षण में अनप्रयुक्त पाठ्यक्रम

| अध्ययन का क्षेत्र | बी.एल.एड. पाठ्यक्रम |
|-------------------|---|
| बाल अध्ययन | अभ्यासक्रम पाठ्यक्रम पी.आर. 1.2 (क) विद्यालय सम्पर्क कार्यक्रम (ख) शिल्प पी.आर.2.3 बच्चों का अवलोकन पी.2.1 समूचे पाठ्यक्रम में भाषाज्ञान पी 3.2 तर्कपरक गणित शिक्षा पी.3.3 पर्यावरण अध्ययन का शिक्षाशास्त्र |
| | <u>कोई एक वैकल्पिक शिक्षाशास्त्रीय</u> <u>पाठ्यक्रम</u> ओ.पी. 4.1 भाषा ओ.पी. 4.2 गणित ओ.पी. 4.3 प्राकृतिक विज्ञान ओ.पी. 4.4 सामाजिक विज्ञान अथवा <u>शिक्षा से सम्बन्धित कोई एक</u> <u>वैकल्पिक उदासीकृत पाठ्यक्रम</u> ओ.एल. 4.1 कम्प्यूटर शिक्षा ओ.सी. 4.2 विशेष शिक्षा |

Attested
[Signature]

राहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

485

| | |
|--|--|
| | <u>विद्यालय सम्पर्क कार्यक्रम</u> एस.सी. 3.1 कक्षा प्रबन्धन एस.सी. 3.2 सामग्री विकास तथा मूल्यांकन |
| अध्यापकों का विकास एवं कौशल प्रशिक्षण | <u>आधारिक पाठ्यक्रम</u> एफ 2.5 मानव सम्बन्ध एवं सम्प्रेषण <u>अभ्यासक्रम पाठ्यक्रम</u> पी.आर. 1.1 रंगमंच पी.आर. 1.2 शिल्प पी.आर. 2.4 आत्म-विकास पी.आर. 2.5 शारीरिक शिक्षा गोष्ठीक्रम/ट्यूटोरियल्स शैक्षणिक संवर्धन क्षेत्र-आधारित परियोजनाएं/ एसाइनमेंट्स |
| विद्यालय अनुभव | एस.आई. विद्यालय में स्थानबद्ध परियोजना |

टिप्पणी : महत्वपूर्ण/निदर्शी विवरण अनुबन्ध 'ए' में दिए गए हैं :

(ग) विद्यार्थी सम्पर्क के घंटे
विद्यार्थी सम्पर्क के वर्षवार न्यूनतम घंटों का विवरण तालिका-2 में दिया गया है ।

तालिका 2 वर्षवार विद्यार्थी सम्पर्क कार्यक्रम के कम से कम घंटे

| अध्ययन का वर्ष | प्रतिदिन विद्यार्थी सम्पर्क के घंटे | प्रति सप्ताह विद्यार्थी सम्पर्क के घंटे | सम्पर्क के कुल घंटे |
|----------------|--|---|------------------------|
| I | 6.7 | 33.5 | 837.5 |
| II | 5.3 | 26.5 | 662.5 |
| III | 5.4 | 27.0 | 675.5 |
| IV | 5.8 | 29.0 | 725.0 |
| योग | 23.2 | 116.0 | 2900.0 |

Attested
[Signature]
11/5/11

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-34

486

विद्यार्थी सम्पर्क घंटों को सम्पर्क पीरियडों के रूप में पढ़ा जाए। एक पीरियड आमतौर पर 50 मिनट का होता है। औसत विद्यार्थी सम्पर्क घंटों की गणना प्रति सप्ताह पांच कार्यदिवस मानकर की गई है।

कुल सम्पर्क घंटों की गणना यह मानकर की गई है कि प्रतिवर्ष 25 कार्य सप्ताह रहेंगे।

5. प्रारम्भिक शिक्षा स्नातक (बी.एल.एड.) कार्यक्रम का आयोजन संस्थानों को व्यावसायिक अध्ययन कार्यक्रम से सम्बन्धित निम्नलिखित विशेष मांगों को पूरा करना होगा :

- (क) प्रारम्भिक शिक्षा स्नातक के विद्यार्थियों को संस्थानों के अन्य क्रियाकलापों में शैक्षणिक, साथ ही सह-पाठ्यचर्या क्रियाकलापों में सम्मिलित करना होगा और उन्हें कम्प्यूटर, खेल के मैदान, पुस्तकालय, प्रेक्षागृह (ऑडिटोरियम) आदि जैसी आधारभूत सुविधाओं का उपयोग करने दिया जायेगा।
- (ख) संस्थानों के भीतर विभिन्न विभागों के बीच अन्तःविषय क्षेत्रीय शैक्षणिक क्रियाकलापों को प्रोत्साहन देना होगा।
- (ग) विद्यार्थियों तथा संकाय के लिये संगोष्ठियों, भाषणों तथा सामूहिक परिचर्चाएं आयोजित करके शिक्षा पर चर्चा की शुरुआत की जाएगी।
- (घ) कार्यक्रम सम्बन्धी विशेष क्रियाकलापों के संचालन के लिये (अर्थात् रंगमंच, शिल्प, आत्मविकास कार्यशालाएं) विश्वविद्यालय/संस्थान के भीतर/बाहर उपलब्ध व्यावसायिक विशेषज्ञों से सहायता अवश्य ली जाएगी।
- (ङ.) संस्थान को कम से कम छः प्रारम्भिक विद्यालयों के समूह के बीच विचारों और क्रियाकलापों का आदान-प्रदान प्रारम्भ करना और बनाए रखना आवश्यक है। ये विद्यालय अध्ययन कार्यक्रम की समूची अवधि में सभी अभ्यासक्रम क्रियाकलापों एवं उनसे सम्बन्धित कार्य के लिए मूल सम्पर्क बिन्दु बने रहेंगे।

Attested

11/11/11

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सेविल लाइन्स, दिल्ली-54

- (च) संस्थान को विद्यालयों के स्नातकों की नियुक्ति की दिशा में भी कदम उठाना होगा।

6. परीक्षा, मानक और परीक्षकों की योग्यताएं

सम्बन्धित विश्वविद्यालय/संस्थान के उपयुक्त अध्यादेशों में निम्नलिखित को यथास्थान सम्मिलित कर लिया जाना चाहिए, जो अपने सांविधिक निकायों के माध्यम से साथ ही राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के परामर्श से जब भी उचित समझा जाय, इनकी समीक्षा के लिए प्रावधान बनाएंगे।

- (क) विश्वविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष के अन्त में परीक्षा आयोजित की जाएगी।
- (ख) अभ्यासक्रम पाठ्यक्रमों का मूल्यांकन आन्तरिक रूप से हो सकता है।
- (ग) सभी अभ्यासक्रम पाठ्यक्रमों तथा स्थानबद्ध कार्यक्रमों के सम्बन्ध में संस्थानों के बीच गुणवत्ता एवं समानता से सम्बन्धित प्रश्नों पर निगरानी रखने का काम सम्बन्धित विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा गठित एक मोडरेशन बोर्ड द्वारा किया जाएगा।
- (घ) आन्तरिक स्तर पर हुए मूल्यांकन के आधार पर सैद्धांतिक विषयों के सभी पाठ्यक्रमों में प्राप्त अंकों में 30 प्रतिशत की और अभ्यासक्रम पाठ्यक्रमों में प्राप्त अंकों में 100 प्रतिशत की भारिता प्रदान की जाएगी।
- (ङ.) प्रतिवर्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्रत्येक लिखित प्रश्नपत्र में कम से कम 40 प्रतिशत, आन्तरिक मूल्यांकन में कम से कम 45 प्रतिशत, अभ्यासक्रम में 50 प्रतिशत और कुल मिलाकर कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- (च) केवल उन्हीं प्रत्याशियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी, जो आन्तरिक मूल्यांकन में उत्तीर्ण होंगे।
- (छ) यदि किसी प्रत्याशी ने कुल मिलाकर 50 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त नहीं किए हैं, किन्तु जो केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण है और उस विषय में यदि उसके अंक 25 प्रतिशत से कम नहीं हैं, तो उसे अस्थायी रूप से आगामी वर्ष में प्रवेश करने की अनुमति दे दी जाएगी, किन्तु शर्त यह है कि उसके लिए विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार शुल्क की अदायगी करके आयोजित होने वाली सहायक(कम्पार्टमेन्टल) परीक्षा में बैठना आवश्यक होगा। यदि प्रत्याशी उस सहायक परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहता है या वह सहायक परीक्षा में उपस्थित नहीं होता/होती तो उसे पिछले वर्ष में वापस भेज दिया जाएगा।

Attested

[Signature]
11/5/11

सहायक नियंत्रक (प्रशासन) 3521 GI/2002-4B
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सेविल लाइन्स, दिल्ली-54

488

- (ज) परीक्षा के किसी-भी विषय का परीक्षक होने के लिये परीक्षक के पास अपने अध्ययन के क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष का अध्यापन/व्यावसायिक अनुभव होना चाहिए।

7. कर्मचारी वर्ग, उपस्कर तथा प्रशिक्षण

(क) शैक्षणिक संकाय

| | | | |
|---|------------------------------------|---|------------|
| - | पूर्णकालिक संकाय-सदस्यों की संख्या | - | 14 |
| - | संकाय-विद्यार्थी अनुपात | - | 1:10 |
| - | विद्यार्थियों की संख्या | - | 35x4 = 140 |
| - | अंशकालिक संकाय सदस्यों की संख्या | - | 3 |

- (ख) संस्थानों द्वारा संकाय-सदस्यों को शोधकार्य सहित व्यावसायिक अभ्यास सम्बन्धी क्रियाकलापों में भाग लेने के लिये प्रोत्साहित किया जाएगा।

- (ग) संस्थानों द्वारा शैक्षणिक कार्यक्रम में संकाय सदस्यों के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित किया जाएगा।

(घ) प्रशासनिक स्टाफ

| | | | |
|---|-----------------------------|---|---|
| - | पाठ्यचर्या प्रयोगशाला परिचर | : | 1 |
| - | संसाधन प्रयोगशाला परिचर | : | 1 |
| - | स्टेनो टाइपिस्ट | : | 2 |

(ङ) कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति का स्वरूप

सभी कर्मचारियों को पूर्णकालिक और नियमित आधार पर नियुक्त किया जाएगा। सभी पदों के लिए चयन उपयुक्त रूप से गठित चयन समिति द्वारा ही किया जाएगा। अध्यापक वर्ग के वेतनमान का ढांचा वि.वि.अ. आयोग/सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार रहेगा।

(च) संकाय सदस्यों का चयन

प्रारम्भिक अध्यापक शिक्षा विभाग के संकाय सदस्यों के पास शिक्षा* विषय में स्नातकोत्तर व्यावसायिक डिग्री, अथवा शिक्षा* में शोधकार्य में डिग्री अथवा शिक्षा* के क्षेत्र में प्रमाणित अनुभव/शोधकार्य सहित बहुविध विशेषज्ञताएं (तालिका 3 के विवरण के अनुसार) होनी चाहिए।

*अधिमानतः प्रारम्भिक शिक्षा

Attested
11/11/11

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
संयुक्त सचिवालय, दिल्ली-110054

489

तालिका 3 : प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में संकाय सदस्यों का अपेक्षित प्रोफाइल

| विशेषज्ञता | पदों की संख्या | अनिवार्य अर्हताएं | विशेष रुचि तथा प्रमाणित अनुभव | पढ़ाया जाने वाला प्रस्तावित प्रारम्भिक शिक्षा स्नातक पाठ्यक्रम |
|--------------------------|----------------|---|--|---|
| मनोविज्ञान/ बाल विकास | एक | एम.ए. मनोविज्ञान/ अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान (बाल विकास में विशेषज्ञता सहित)/ एम.एस.सी. बाल विकास तथा शिक्षा में शोध कार्य में डिग्री । | बच्चों के साथ कार्य/बच्चे किस तरह सीखते हैं इन प्रश्नों पर बच्चों के साथ रहकर किया गया कार्य । | बाल विकास संज्ञान तथा सीखना सम्बन्धित शिक्षण-अभ्यास । |
| | एक | तथा एम.ए. मनोविज्ञान/ अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान/ (नैदानिक मनोविज्ञान/ काउंसलिंग में विशेषज्ञता सहित) सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर उपाधि (एम.एस.डब्ल्यू) (व्यक्तित्व विकास तथा काउंसलिंग में विशेषज्ञता सहित) तथा शिक्षा में स्नातकोत्तर उपाधि/ शिक्षा में शोध कार्य | क्लिनिकल मनोविज्ञान/ काउंसलिंग | सम्बन्धित अभ्यासक्रम मानव सम्बन्ध/ और सम्प्रेषण सम्बन्धित अभ्यासक्रम |
| गणित | एक | एम.ए. गणित/ एम.एस.सी. गणित तथा शिक्षा में स्नातकोत्तर व्यावसायिक डिग्री | रचनात्मक अध्यापन पद्धति | कोर गणित तर्कपरक गणित शिक्षा विद्यालय सम्पर्क गणित शिक्षाशास्त्र |
| विज्ञान | एक | एम.एस.सी. जीव विज्ञान तथा शिक्षा में व्यावसायिक | शिक्षा ग्रहण मनोविज्ञान, पाठ्यचर्यात्मक | कोर प्राकृतिक विज्ञान |

Attested
Signature

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सेपिल लाइन्स, दिल्ली-54

490

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|---|---|---|
| जीव-विज्ञान तथा भौतिक विज्ञान | एक | स्नातकोत्तर डिग्री तथा एम.एस.सी. भौतिक-विज्ञान तथा शिक्षा में व्यावसायिक स्नातकोत्तर डिग्री | मुद्दे विज्ञान शिक्षण --वही-- | पर्यावरणात्मक अध्ययन का शिक्षाशास्त्र विद्यालय सम्पर्क प्राकृतिक विज्ञान का शिक्षाशास्त्र |
| सामाजिक विज्ञान | एक तथा एक | एम.ए. राजनीति शास्त्र (विकासोन्मुखी अध्ययन/राजनैतिक अर्थव्यवस्था में विशेषज्ञता सहित)/ एम.ए. समाजशास्त्र, (विकासोन्मुखी अध्ययन/राजनैतिक एवं आर्थिक प्रणालियों में विशेषज्ञता सहित)/ एम.ए. इतिहास (सामाजिक विज्ञान के दर्शनशास्त्र में विशेषज्ञता सहित) तथा शिक्षा में स्नातकोत्तर डिग्री/शिक्षा में शोध कार्य एम.ए. सामाजिक विज्ञान तथा शिक्षा में स्नातकोत्तर व्यावसायिक डिग्री | सामाजिक विज्ञान, पर्यावरणात्मक शिक्षा समकालीन भारतीय समस्याओं के बहुविध क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्यों के समेकित अनुप्रयोग शिक्षाशास्त्रीय अध्ययन, रचनात्मक अध्यापन विधि सामाजिक विज्ञान में | कोर सामाजिक विज्ञान समकालीन भारतवर्ष पर्यावरणात्मक अध्ययन का शिक्षा शास्त्र समाज विज्ञान का शिक्षा शास्त्र |
| भाषा विज्ञान | एक | एम.ए. भाषा विज्ञान/भाषा विज्ञान में डिप्लोमा सहित | बच्चों में भाषा विकास, रचनात्मक भाषा | भाषा का स्वरूप भाषा अर्जन |

Attested
Gm 11/5/11

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सेविल लाइन्स, दिल्ली-54

491

| | | | | |
|-----------------------------|--------|---|---|--|
| | | एम.ए.अंग्रेजी/हिन्दी-भाषा विज्ञान में डिप्लोमा सहित तथा बच्चों में भाषा विकास विषय पर शोधकार्य/शिक्षा में स्नातकोत्तर डिग्री/शिक्षा पर शोध कार्य | अध्यापन | |
| भाषा : हिन्दी अथवा अंग्रेजी | एक | अंग्रेजी/हिन्दी में एम.ए. साथ ही शिक्षा में व्यावसायिक स्नातकोत्तर डिग्री | पाठ्यचर्या सामग्री का विकास; नवीन विधियों से भाषा-शिक्षण, भाषा का शिक्षाशास्त्र | समूची पाठ्यचर्या में भाषा सम्बन्धित अभ्यासक्रम भाषा का शिक्षाशास्त्र |
| शिक्षा | एक तथा | दर्शनशास्त्र में एम.ए. तथा शिक्षा में स्नातकोत्तर डिग्री/शिक्षा में व्यावसायिक डिग्री सामाजिक विज्ञान में एम.ए./विज्ञान में एम.एस.सी. तथा शिक्षा में स्नातकोत्तर डिग्री | शिक्षा-सिद्धान्त, दर्शन तथा नीति पाठ्यचर्या विषयक समस्याएं, विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों का परिप्रेक्ष्य | शिक्षा, बाल विकास तथा पाठ्यचर्या अध्ययन के मूल तत्व पाठ्यचर्या अध्ययन अन्य पाठ्यक्रमों की संगत इकाइयां विद्यालय आयोजना तथा प्रबन्ध |
| उदार विकल्प (कम से कम 4) | तीन* | सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री | अंतर-विषयक परिप्रेक्ष्य | लिये गये उदार विकल्प |
| अंशकालिक संकाय | तीन** | सम्बन्धित क्षेत्र में प्रशिक्षण तथा प्रमाणित अनुभव | | |
| रंगमंच | | शिक्षा में रंगमंच | शिक्षा में आत्म-विकास के लिए रंगमंच के उपयोग की क्षमता | निष्पादन तथा ललित कलाएं |
| शिल्प | | शिल्प-निर्माण/प्रशिक्षण | शिल्प निर्माण में कुशलता तथा दूसरे व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने की क्षमता | शिल्प सहभागितापूर्ण कार्य |
| आत्म-विकास | | नैदानिक/काउंसलिंग | वैयक्तिक विकास/ | आत्म-विकास |

Attested
Signature

हायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सेविल लाइन्स, दिल्ली-54

492

| | | | | |
|----------------|--|---|--|----------------|
| | | अभ्यास/सामूहिक प्रशिक्षण | काउंसलिंग में कायशालाएं संचालित करने की क्षमता | कार्यशालाएं |
| शारीरिक शिक्षा | | शारीरिक शिक्षा में प्रशिक्षण एवं अभ्यास | शिक्षा के साथ शारीरिक संचलन के विभिन्न रूपों का समेकन करने की क्षमता | शारीरिक शिक्षा |

- * ये सेवाएं संस्थान के किसी सहयोगी विभाग से ली जाएंगी ।
- ** एक पूर्णकालिक संकाय के बराबर (ये विशेष योग्यताप्राप्त संसाधन व्यक्ति होंगे जो संस्थान के बाहर रहकर अपनी सेवाएं देंगे) ।

8. अन्य सुविधाएं
संस्थान को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करनी होंगी :

भौतिक सुविधाएं

प्रारम्भिक शिक्षा स्नातक (बी.एल.एड.) पाठ्यक्रम चलाने वाले संस्थान में जिन भौतिक सुविधाओं की व्यवस्था की जानी होगी उन्हें निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है ।

(i) शैक्षणिक क्षेत्र (ii) प्रशासनिक क्षेत्र तथा (3) सुविधा क्षेत्र ।

- शैक्षणिक क्षेत्र में कक्षाओं के कमरे, पाठ्यचर्या प्रयोगशाला, संसाधन प्रयोगशाला, सम्मेलन कक्ष, कार्यशाला, प्रेक्षा गृह, कम्प्यूटर कक्ष तथा पुस्तकालय होंगे ।
- प्रशासनिक क्षेत्र में प्रिन्सीपल का कमरा, संकाय के लिए कमरे, केन्द्रीय कार्यालय, सम्मेलन कक्ष, अभिलेखागार, कम्प्यूटर कक्ष तथा स्वागत कक्ष होंगे ।
- सुविधा क्षेत्र में विद्यार्थियों के लिए कामन रूम, स्टाफ रूम, हाल, खेलकूद/मनोरंजन केन्द्र, जलपान गृह, सहकारी भंडार, औषधालय तथा सुरक्षा सेवाएं शामिल होंगी ।

9. स्थान के लिए मानदण्ड

Attested
11/5/11

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सेविल लाइन्स, दिल्ली-34

जहां अध्यापक शिक्षा की व्यवस्था किसी ऐसे विभाग/महाविद्यालय के माध्यम से की जाती है जो कि किसी ऐसे विश्वविद्यालय/संस्थान का एक अभिन्न अंग है जिसमें अनेक संकाय और अध्ययन के विभाग हैं, वहां केन्द्र में उपलब्ध सभी केन्द्रीय सुविधाओं का उपयोग प्रारम्भिक शिक्षा विभाग और अन्य विभाग मिलकर करेंगे। जहां तक प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं का प्रश्न है, उनके लिये अतिरिक्त व्यवस्था करनी आवश्यक होगी ताकि प्रारम्भिक शिक्षा स्नातक (बी.इ.एल.ई.डी.) पाठ्यक्रम के विद्यार्थी उनका उपयोग कर सकें। विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के पुस्तकालय के अतिरिक्त स्वयं विभाग का अलग से एक पुस्तकालय भी स्थापित किया जाना चाहिए जिससे प्रारम्भिक शिक्षा स्नातक (बी.एल.एड.) के विद्यार्थियों की एक विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। शिक्षाशास्त्र-आधारित अभ्यासक्रम तथा अन्य विद्यालय-संपर्क कार्यक्रमों के लिए आवश्यक अन्य उपस्करों के साथ ही संसाधन प्रयोगशाला में पढ़ने की पर्याप्त सामग्री भी उपलब्ध रहनी चाहिए। प्रेक्षा गृह, हाल, सम्मेलन कक्ष आदि जैसी सुविधाओं का उपयोग अन्य विभागों के साथ मिलकर किया जा सकता है।

10. प्रारम्भिक शिक्षा स्नातक (बी.एल.एड.) के विद्यार्थियों के लिए विशेष आधारिक सुविधाएं

(क) पाठ्यचर्या प्रयोगशाला - एक

पाठ्यचर्या प्रयोगशाला वह प्रयोगशाला होगी, जहां व्यावहारिक अनुभव ग्रहण करने के क्रियाकलाप आयोजित किए जाएंगे। इस प्रयोगशाला का उपयोग पहले वर्ष के पाठ्यक्रमों जैसे कि शिल्प, कोर गणित, कोर विज्ञान तथा आंशिक रूप से कोर समाजिक विज्ञान तथा तीसरे वर्ष के पाठ्यक्रम में तर्कपरक गणित शिक्षा, पर्यावरणात्मक अध्ययन का शिक्षाशास्त्र तथा सामग्री-विकास सम्बन्धी अभ्यासक्रम के प्रयोजन के लिए किया जाएगा।

प्रयोगशाला में विज्ञान तथा गणित में प्रयोग में आने वाली सामग्री तथा साज-सामान जैसे कि उपस्कर, रसायन, किटें, नक्शे, ग्लोब, उपकरण तथा हथौड़ी, प्लास, कैंची और तार जैसे औजार उपलब्ध रहने चाहिए। छोटे-छोटे समूहों में काम करने के प्रयोग में आने वाली मेजें भी रहनी चाहिए। फर्नीचर ऐसा होना चाहिए जिसे एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके ताकि फर्श पर काम करने की जगह भी मिल सके। प्रयोगशाला में एक ओवरहैड प्रोजेक्टर के प्रयोग, सूचनापट्ट तथा कक्षाएं चलाने के लिए ब्लैकबोर्ड के लिए भी स्थान रहना चाहिए।

Attested
[Signature]

महायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सेविल लाइन्स, दिल्ली-54

494

(ख) संसाधन प्रयोगशाला - एक

संसाधन प्रयोगशाला का प्रयोग एक प्रयोगशाला-एवं-विभागीय पुस्तकालय के रूप में किया जाएगा । इसमें एक भंडार कक्ष रहना चाहिए, साथ ही पढ़ने के लिए पुस्तकें, पाठ्यचर्या सामग्री, बाल साहित्य, पाठ्य-पुस्तकें, रिपोर्ट तथा दस्तावेज उपलब्ध रहने चाहिए । यह सामग्री वह होगी, जिसका प्रयोग मुख्य रूप से प्रारंभिक शिक्षा स्नातक (बी.एल.एड.) से संबंधित पाठ्यक्रमों में होता है । इन सभी वस्तुओं की संख्या इतनी रहनी चाहिए जिससे इनका उपयोग विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र भी कर सकें । संसाधन प्रयोगशाला में संकाय तथा विद्यार्थियों के प्रयोग के लिए एक कम्प्यूटर सुविधा भी सुलभ होनी चाहिए । प्रयोगशाला में स्थान भी काफी रहना चाहिए जिससे इसका इस्तेमाल विद्यार्थियों की बैठकों, कक्षाओं तथा सामूहिक परिचर्चा एवं पढ़ने के लिए भी किया जा सके ।

(ग) कार्यशाला के लिए स्थान - दो

संस्थान को रंगमंच कार्यशालाओं, आत्म-विकास कार्यशालाओं तथा शारीरिक शिक्षा कार्यशालाओं जैसी गतिविधियों का आयोजन करने के लिए अलग से स्थान की व्यवस्था करनी होगी । यह स्थान इतना होना चाहिए कि उसमें 30-40 विद्यार्थियों के बैठने के लिए आसानी से आने-जाने की जगह रहे ।

11. शुल्क संरचना एवं छात्रवृत्तियां**अनिवार्य**

शुल्क की संरचना राज्य सरकार/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए अनुसार होनी चाहिए । किन्तु किसी भी स्थिति में विद्यार्थियों से लिया गया शुल्क और दूसरे खर्च की कुल राशि संस्थान के प्रत्येक विद्यार्थी पर हुए आवर्ती खर्च से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

वांछनीय

गरीब वर्ग के योग्य विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त निःशुल्क शिक्षावृत्ति दी जा सकती है । योग्यता के आधार पर कुछ छात्रवृत्तियां देने का प्रावधान भी रहना चाहिए ।

12. कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति का स्वरूप

सभी कर्मचारियों की नियुक्तियां पूर्णकालिक एवं नियमित आधार पर होनी चाहिए । सभी पदों के लिए चयन उचित रूप से गठित चयन समिति द्वारा किया जाएगा । अध्यापक वर्ग के वेतनमान का ढांचा वि.वि.अ.आयोग/सरकार के मानदंडों के अनुसार रहेगा ।

Attested
Signature

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सेविल लाइन्स, दिल्ली-54

495

अनुबन्ध 'ए'

चार वर्षीय प्रारम्भिक शिक्षा स्नातक कार्यक्रम (बी.एल.एड.) की योजना

इस पाठ्यक्रम में छात्रों को +2 के बाद प्रवेश दिया जाएगा

| सिद्धांत | | | अभ्यासक्रम | | गोष्ठीक्रम/ परियोजना | | संदर्भ | | | |
|--|-----------------|------------|---|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------|------------|
| | परीक्षा अवधि | कुल अंक | | प्रति सप्ताह संपर्क के घंटे | कुल अंक | | प्रति सप्ताह संपर्क के घंटे | कुल अंक | प्रति सप्ताह संपर्क के घंटे | कुल योग |
| प्रथम वर्ष | | | | | | | | | | |
| एफ 1.1 बाल विकास | 3 | 100 | पी.आर.1 निष्पादन तथा ललित कलाएं | 4 | 75 | | | | | |
| एफ 1.2 समकालीन भारत | 3 | 100 | | | | | | | | |
| सी-1.1 भाषा का स्वरूप | 3 | 50 | पी.आर.आई-2 शिल्प, सहभागिता-पूर्ण कार्य | 3 | 25 | गोष्ठीक्रम ट्यूटोरियल | 1 | 50 | शैक्षणिक संदर्भ क्रिया- कलाप | 1 |
| सी-1.2 कोर गणित | 2 | 50 | | | | | | | | |
| सी-1.3 कोर प्राकृतिक विज्ञान | 2 | 50 | | | | | | | | |
| सी-1.4 कोर सामाजिक विज्ञान | 2 | 50 | | | | | | | | |
| | | 400 | | 7 | 100 | | 1 | 50 | 1 | 550 |
| द्वितीय वर्ष | | | | | | | | | | |
| एफ-2.3 संज्ञान और सीखना (कौगनीशन एवं लर्निंग) | 3 | 100 | पी.आर. 2.3 बाल अवलोकन | 2 | 75 | | | | | |
| एफ-2.4 भाषा अर्जन | 2 | 50 | | | | | | | | |
| एफ-2.5 मानव सम्बन्ध एवं संप्रेषण | 2 | 50 | | | | | | | | |

Attested

[Signature]

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

966

| पी-2.1 समूची पाठ्यचर्या में भाषा | 2 | 50 | पी.आर. 2.4 आत्म विकास कार्यशाला पी.आर. 2.5 शारीरिक शिक्षा | 3 | 50 | कोलोकिया ट्यूटोरियल | 1 | 50 | शैक्षिक ज्ञानवर्धन क्रिया-कलाप | |
|----------------------------------|---|-----|---|---|-----|---------------------|---|----|--------------------------------|-----|
| उदाहरण पाठ्यक्रम (वैकल्पिक 1) | 3 | 100 | | 2 | 25 | | | | | |
| 02.1 अंग्रेजी-1 | | | | | | | | | | |
| 02.2 हिन्दी -1 | | | | | | | | | | |
| 02.3 गणित-1 | | | | | | | | | | |
| 02.4 भौतिक विज्ञान-1 | | | | | | | | | | |
| 02.5 रसायन विज्ञान-1 | | | | | | | | | | |
| 02.6 जीवविज्ञान-1 | | | | | | | | | | |
| 02.7 इतिहास-1 | | | | | | | | | | |
| 02.8 राजनीति शास्त्र-1 | | | | | | | | | | |
| 02.9 भूगोल-1 | | | | | | | | | | |
| 02.10 अर्थशास्त्र-1 | | 350 | | 7 | 150 | | 1 | 50 | 1 | 550 |

एफ : आधारिक पाठ्यक्रम; सी : कोर पाठ्यक्रम; पी : शिक्षाशास्त्र पाठ्यक्रम; ओ : वैकल्पिक उदाहरण पाठ्यक्रम; ओ पी : वैकल्पिक शिक्षाशास्त्र पाठ्यक्रम; ओ.एल.वैकल्पिक पाठ्यक्रम; पी.आर. : अभ्यासक्रम; एस.सी. : विद्यालय संपर्क कार्यक्रम; एस.आई. : विद्यालय में स्थानबद्ध अध्यापन-

पाठ्यक्रम के नाम के अक्षरों (एफ, सी, पी, आदि) के तुरन्त बाद दी गई संख्या कार्यक्रम के उस वर्ष की परिचालक है जिसमें पाठ्यक्रम पढ़ाया जाना है। दूसरी संख्या विशिष्ट प्रकार के पाठ्यक्रम के क्रमांक की परिचालक है। उदाहरण के लिए एफ.2.5 से यह पता चलता है कि मानव सम्बन्ध एवं संप्रेषण 5वां आधारिक पाठ्यक्रम है जिसे कार्यक्रम के अध्ययन काल के दूसरे वर्ष में पढ़ाया जाना है।

Attested

11/1/2019
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सेविल लाइन्स, दिल्ली-54

परिशिष्ट-7

माध्यमिक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के लिए मानदंड और मानक

1. प्रस्तावना

माध्यमिक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम जिसे आमतौर पर बी.एड. कहा जाता है का उद्देश्य माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए अध्यापक तैयार करना है।

2. अवधि और दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या

- (क) बी.एड. कार्यक्रम की अवधि कम से कम एक शैक्षणिक वर्ष होगी।
- (ख) प्रभावी पाठ्यचर्या संचालन तथा भौतिक और अनुदेशात्मक आधारिक तंत्र और अध्यापन स्टाफ की विशेषज्ञता का इष्टतम प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए 100 छात्रों का एक यूनिट होगा। प्रभावी पाठ्यचर्या संचालन के लिए छात्रों को संस्थान स्तर पर उपयुक्त समूहों में विभाजित किया जा सकता है।

3. पात्रता

- (क) स्नातक स्तर पर 2 स्कूल विषयों सहित कम से कम 45% अंकों सहित बी.ए./एम.ए. पास प्रत्याशी दाखिले के लिए पात्र हैं।
- (ख) दाखिले राज्य सरकार/विश्वविद्यालय, जिसके साथ संस्थान सम्बद्ध है उसकी नीति के अनुसार या तो अर्हक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अथवा विश्वविद्यालय/राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर किया जाना चाहिए।
- (ग) संबंधित राज्य सरकार के नियमों के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों/विकलांगों तथा महिलाओं आदि के लिए स्थानों का आरक्षण होगा।

4. पाठ्यचर्या संचालन तथा अध्यापन स्टाफ की आवश्यकता

- (क) दाखिले, परीक्षा आदि की अवधि को छोड़कर एक वर्ष में कम से कम 150 अध्यापन दिवस होंगे। इसके अलावा प्रत्येक प्रशिक्षार्थी - अध्यापक को निकटस्थ माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्कूलों में कम से कम 30 दिन

Attested

11/5/11

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

तक अध्यापन (अध्यापन-अभ्यास/कौशल विकास सहित) में स्थानबद्ध प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

- (ख) संस्थानों में आधारिक पाठ्यक्रम पढ़ाने के अलावा माध्यमिक स्तर पर 5 स्कूल विषयों में से 2 विषय (प्रादेशिक भाषा/मातृ भाषा, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान) की अथवा उच्च माध्यमिक स्तर पर विषय क्षेत्र - विशिष्ट विषयों (भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य आदि की) शिक्षण प्रविधि के लिए प्रावधान होगा।
- (ग) 100 अथवा उससे कम छात्र दाखिल किए जाने पर अध्यापन संकाय में प्रिंसीपल/प्रधान और कम से कम 7 लेक्चरर शामिल होंगे। निर्धारित यूनिट से अधिक छात्रों का दाखिला किए जाने पर पूर्णकालिक अध्यापकों की संख्या में आनुपातिक रूप से वृद्धि कर दी जाएगी।
- (घ) अध्यापकों की नियुक्ति इस प्रकार बांटी जाएगी कि शिक्षण प्रविधि पाठ्यक्रमों तथा आधारिक पाठ्यक्रमों के लिए अपेक्षित प्रकृति और विशेषज्ञता का स्तर सुनिश्चित किया जा सके।
- (ङ) शारीरिक शिक्षा, कला, कार्यानुभव, सूचना प्रौद्योगिकी ज्ञान आदि विषयों को पढ़ाने के लिए अंशकालिक अध्यापक नियुक्त किए जा सकते हैं।

5. अध्यापन स्टाफ की योग्यता


(क) प्रिंसीपल/प्रधान

- (i) शैक्षणिक और व्यावसायिक अर्हताएं वही होंगी जो कि लेक्चरर के पद के लिए निर्धारित हैं।
- (ii) 10 वर्ष का अध्यापन अनुभव जिसमें से कम से कम 5 वर्ष का अनुभव किसी माध्यमिक अध्यापक शिक्षा संस्थान में होना चाहिए।

(ख) लेक्चरर

- (i) 55% अंकों सहित एम.एड/एम.ए. (शिक्षा) सहित उत्तम शैक्षणिक रिकार्ड।

अथवा

Attested

 सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
 भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
 सेविल लाइन्स, दिल्ली-84

499

संगत स्कूल विषय में 55% अंकों के साथ एम.ए. की डिग्री सहित उत्तम शैक्षणिक रिकार्ड तथा 50% अंकों के साथ एम.एड./एम.ए. (शिक्षा) पास ।

अथवा

संगत स्कूल विषय में 55% अंकों के साथ एम.ए. की डिग्री सहित उत्तम शैक्षणिक रिकार्ड तथा किसी मान्यताप्राप्त माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्कूल में 5 वर्ष के अध्यापन अनुभव सहित 55% अंकों के साथ बी.एड. की डिग्री । (यह वैकल्पिक योग्यता केवल उन राज्यों के मामले में लागू होगी जहां राअशिप की स्थापना से पूर्व बी.एड. संस्थानों में अध्यापकों की नियुक्ति की योग्यता कम से कम बी.एड. सहित किसी स्कूल विषय में स्नातकोत्तर डिग्री थी । तथापि इस योग्यता के आधार पर नियुक्त अध्यापकों को 5 वर्षों के भीतर एम.एड. अर्हता प्राप्त करनी होगी) ।

- (ग) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रत्याशियों के मामले में एम.ए. स्तर पर 5% की ढील प्रदान की जाएगी अर्थात् अंकों का न्यूनतम प्रतिशत 55% से घटा कर 50% कर दिया जाएगा ।
- (घ) उपर्युक्त (क) तथा (ख) में निर्धारित योग्यताओं के अलावा प्रत्याशियों से यह अपेक्षा की जाती है उनके पास विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) आदि जैसे अन्य विनियामक निकायों द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएं भी होनी चाहिए ।
- (ङ.) शारीरिक शिक्षा, कला, कार्यानुभव, सूचना प्रौद्योगिकी ज्ञान आदि पढ़ाने के लिए अन्य शैक्षणिक स्टाफ की योग्यता सम्बन्धित सम्बन्धक विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित किए अनुसार होगी ।

6. प्रशासनिक स्टाफ

प्रशासनिक तथा अन्य सहयोगी स्टाफ सम्बद्ध राज्य सरकार/सम्बन्धक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार मुहैया कराया जाए ।

7. आधारिक सुविधाएं

- (क) दाखिल किए गए 100 अनुमोदित छात्रों के निमित्त शैक्षणिक कार्यकलाप आयोजित करने के लिए उपयुक्त संख्या में क्लासरूम, हाल, प्रयोगशाला स्थल उपलब्ध होने चाहिए । प्रिंसीपल, संकाय सदस्यों के लिए अलग-

Attested

Sm. 11/11

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सेविल लाइन्स, दिल्ली-34

500

अलग कमरे प्रशासनिक स्टाफ के लिए एक कार्यालय तथा एक स्टोर उपलब्ध होना चाहिए । अनुदेशात्मक स्थल का आकार प्रत्येक छात्र के लिए 10 वर्ग फुट से कम नहीं होना चाहिए ।

(ख) एक पुस्तकालय होना चाहिए जिसमें अध्ययन के निर्धारित पाठ्यक्रमों से सम्बन्धित पाठ्य और संदर्भ पुस्तकें, शैक्षिक विश्वकोष, अब्दकोश, इलैक्ट्रॉनिक प्रकाशन (सीडी-रोम) तथा अध्यापक शिक्षा की पत्रिकाएं मौजूद हों ।

(ग) खेल के एक मैदान सहित खेल-कूद सुविधाएं मौजूद होनी चाहिए अन्यथा सम्बद्ध स्कूल/कालेज में उपलब्ध खेल के मैदान का प्रयोग किया जा सकता है और जहां स्थान की कमी हो जैसे की महानगरों के शहर/पर्वतीय क्षेत्र वहां, योग, इन्डोर खेलों के लिए सुविधाएं सुलभ कराई जाएं ।

(घ) ये सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आवेदन करते समय प्रबन्धक वर्ग/संस्थान के अधिकार में सभी प्रकार के ऋणभारों से मुक्त स्वामित्व के आधार पर उपयुक्त भूमि/भूमि तथा भवन होने चाहिए । इस प्रयोजन के लिए सम्बन्धित राज्य/संघशासित क्षेत्र की विधि के अनुसार लम्बी अवधि के लिए पट्टे पर ली गई सरकारी भूमि को भी वैध मान लिया जाएगा । उक्त भूमि पर स्थायी भवन का निर्माण किए जाने तक संस्थान ये सुविधाएं अधिक से अधिक तीन वर्ष की अवधि के लिए उपयुक्त अस्थायी परिसर में उपलब्ध करा सकता है किन्तु तीन वर्ष की अवधि पूरी होने से पहले संस्थान को अपने स्थायी भवन में जाना होगा ।

8. अनुदेशात्मक सुविधाएं

(क) संस्थान में एक विज्ञान प्रयोगशाला होगी अन्यथा सम्बद्ध स्कूल/कालेज की विज्ञान प्रयोगशाला का प्रयोग किया जा सकता है । प्रयोगशाला में माध्यमिक/उच्च माध्यमिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम में निर्धारित प्रयोग करने और उनका निदर्शन करने के लिए अपेक्षित विज्ञान उपकरणों के एक से अधिक सेट उपलब्ध होंगे । रासायनिक पदार्थ आदि अपेक्षित मात्रा में उपलब्ध कराए जाएंगे ।

(ख) शैक्षिक मनोविज्ञान, बौद्धिक परीक्षणों (निष्पादन, मौखिक, गैर-मौखिक) अभिरुचि परीक्षणों, सृजनात्मकता परीक्षणों, व्यक्तित्व परीक्षणों, अभिवृत्ति परीक्षणों, रुचि सूचियों आदि से संबंधित साधारण प्रयोगों के लिए उपकरण सहित एक मनोविज्ञान प्रयोगशाला होगी ।

(ग) भाषा सीखने के लिए हार्डवेयर/साफ्टवेयर सुविधाएं होंगी ।

Attested
17/11/11
गृहामक निदेशक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-110054

- (घ) सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) ज्ञान के लिए अपेक्षित हार्डवेयर और साफ्टवेयर सहित एक शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला होगी।

9. स्टाफ की सेवा के उपबन्ध तथा शर्तें

- (क) 2नियुक्तियां केन्द्रीय/सम्बन्धित राज्य सरकार/संबंधक विश्वविद्यालय, इनमें से जो भी संगत हो, उसकी नीति के अनुसार गठित चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाएगी।
- (ख) सभी नियुक्तियां पूर्णकालिक और नियमित आधार पर की जाएं।
- (ग) सरकारी संस्थान/सरकारी सहायताप्राप्त संस्थान संबंधित सरकार द्वारा स्थापित उपयुक्त निकायों द्वारा अनुशंसित उपयुक्त प्रत्याशियों के उपलब्ध न होने की स्थिति में अन्तरिम उपाय के रूप में प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा आधार पर नियुक्तियां कर सकते हैं।
- (घ) अंशकालिक अनुदेशकों तथा अन्य स्टाफ की नियुक्ति, संबंधित सरकार/सम्बन्धक विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानदंडों के अनुसार की जा सकती है।
- (ङ.) संस्थान के शैक्षणिक तथा अन्य स्टाफ (अंशकालिक स्टाफ सहित) को संबंधित राज्य सरकार/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित वेतन दिया जाएगा।
- (च) पेंशन, उपदान, भविष्य निधि आदि से सम्बन्धित सांविधिक दायित्वों की पूर्ति संस्थान के प्रबन्धक वर्ग द्वारा की जाएगी।
- (छ) स्टाफ की अधिवार्षिकी की आयु का निर्धारण सम्बन्धित सरकार/सम्बन्धक विश्वविद्यालय की नीति के आधार पर होगा किन्तु शर्त यह है कि अधिकतम आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

10. वित्तीय प्रबन्ध

- (क) शैक्षणिक शुल्क तथा अन्य शुल्क सम्बन्धित राज्य सरकार/सम्बन्धक विश्वविद्यालय द्वारा यथानिर्धारित दरों पर लिए जाएंगे।
- (ख) गैर-सहायताप्राप्त संस्थानों के मामले में प्रबन्धक वर्ग के प्राधिकृत प्रतिनिधि और सम्बन्धित क्षेत्रीय समिति के अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से संचालित की जाने वाली 5 लाख रुपये की एक स्थायी निधि तथा स्टाफ के 3 महीने के वेतन के समकक्ष एक आरक्षित निधि उपलब्ध रहेगी।

502

Attested
11/5/11
आगत नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सेविल लाइन्स, दिल्ली-54

परिशिष्ट-8

एम.एड.(मास्टर ऑफ एजुकेशन) कार्यक्रम के लिए मानदंड और मानक

1. प्रस्तावना

(क) मास्टर आफ एजुकेशन (एम.एड.) कार्यक्रम जो कि सामान्य अथवा विशेषज्ञतापूर्ण हो सकता है, उन प्रत्याशियों के लिए है जो कि पूर्णकालिक आधार पर अध्यापक शिक्षा में स्नातकोत्तर कार्यक्रम में भाग लेने के इच्छुक हैं तथा इसका उद्देश्य अध्यापक प्रशिक्षकों के एक व्यावसायिक संवर्ग का निर्माण करना है।

(ख) केवल बी.एड. कार्यक्रम चलाने वाले विश्वविद्यालय विभाग अथवा संस्थान एम.एड. पाठ्यक्रम की पेशकश करने के पात्र हैं।

2. अवधि तथा दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या

(क) एम.एड. कार्यक्रम की अवधि बी.एड. के बाद एक शैक्षणिक वर्ष की होगी।

(ख) दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या 40 से अधिक नहीं होगी।

3. पात्रता

(क) कम से कम 55% अंकों के साथ बी.एड. की डिग्रीप्राप्त प्रत्याशी दाखिले के लिए पात्र होंगे।

(ख) दाखिले विश्वविद्यालय/राज्य सरकार जिसके साथ संस्थान सम्बद्ध है उसकी नीति के अनुसार या तो अर्हक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अथवा राज्य सरकार/विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर किया जाना चाहिए।

(ग) स्थिति अनुसार राज्य/केन्द्रीय सरकार के नियमों के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों/विकलांगों, महिलाओं आदि के लिए स्थानों का आरक्षण होगा।

Attested
Smt. S. S. 11

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सेविल लाइन्स, दिल्ली-84

4. पाठ्यचर्या संचालन और अध्यापन स्टाफ की आवश्यकता

- (क) दाखिले और परीक्षा की अवधि को छोड़कर शिक्षण, शोध प्रबन्ध सम्बन्धी क्षेत्रीय कार्य तथा स्कूल में स्थानबद्ध प्रशिक्षण के लिए कम से कम 180 अध्यापन दिवस होंगे।
- (ख) क्षेत्र-आधारित शोध प्रबन्ध और स्कूल में स्थानबद्ध प्रशिक्षण एम.एड. कार्यक्रम के अनिवार्य घटक होंगे।
- (ग) (i) शोध प्रबन्ध के लिए क्षेत्रीय दौरे की अवधि 4 सप्ताह होगी।
(ii) क्षेत्र-आधारित शोध प्रबन्ध सम्बन्धी कार्य के पर्यवेक्षण के लिए एक अध्यापक के साथ अधिक से अधिक 7 छात्रों को सम्बद्ध किया जाएगा।
- (घ) प्रत्येक एम.एड. छात्र को बी.एड. छात्रों के स्थानबद्ध प्रशिक्षण कार्यक्रमों के पर्यवेक्षकों के साथ सम्बद्ध किया जाएगा ताकि वे अध्यापन में स्थानबद्ध-प्रशिक्षण-कार्यक्रम आयोजित करने और उसका पर्यवेक्षण करने का अनुभव अर्जित कर सकें।
- (ङ) 25 अथवा उससे कम छात्रों का दाखिला होने की स्थिति में अध्यापन संकाय में प्रोफेसर/रीडर के स्तर का एक प्रधान और 3 रीडर/लेक्चरर शामिल होंगे। दाखिल किए जाने वाले प्रत्येक अतिरिक्त 5 अथवा उससे कम छात्रों के लिए एक अतिरिक्त लेक्चरर नियुक्त किया जाएगा।

5. अध्यापन स्टाफ की योग्यता

(क) प्रोफेसर

- एम.एड. अथवा एम.ए. (शिक्षा)
- पीएच.डी. अथवा समतुल्य प्रकाशित शोध कार्य
- स्नातकोत्तर स्तर पर अध्यापक शिक्षा संस्थानों में कम से कम 10 वर्ष का अध्यापन अनुभव

अथवा

प्रमाणित ख्यातिप्राप्त एक ऐसा असाधारण विद्वान जिसने विद्या में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया हो।

Attested
Smt. 15/11

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

3521 GI/2002-5B

504

(ख) रीडर

- एम.एड. अथवा एम.ए. (शिक्षा) सहित उत्तम शैक्षणिक रिकार्ड ।
- पीएच.डी. अथवा समतुल्य प्रकाशित अनुसंधान कार्य ।
- अध्यापक शिक्षा का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव ।

(ग) लेक्चरर

- 55% अंकों के साथ एम.एड./एम.ए. (शिक्षा) सहित उत्तम शैक्षणिक रिकार्ड ।

अथवा

- 50% अंकों के साथ एम.एड./एम.ए. (शिक्षा) सहित संगत स्कूल विषय में 55% अंकों के साथ एम.ए. की डिग्री सहित उत्तम शैक्षणिक रिकार्ड ।

(घ) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के समुदायों के प्रत्याशियों के मामलों में एम.ए. स्तर पर 5% की ढील दी जाए अर्थात् अंकों का न्यूनतम प्रतिशत 55% से घटा कर 50% कर दिया जाए ।

(ङ.) उपर्युक्त (क), (ख) तथा (ग) में निर्धारित योग्यताओं के अलावा प्रत्याशियों से यह अपेक्षा की जाती है कि उनके पास विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) आदि जैसे अन्य विनियामक निकायों द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएं भी होंगी ।

6. प्रशासनिक स्टाफ

प्रशासनिक तथा अन्य सहयोगी स्टाफ सम्बन्धित राज्य सरकार/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार मुहैया कराया जाए ।

7. आधारिक सुविधाएं

(क) अनुमोदित संख्या में छात्रों के निमित्त शैक्षणिक कार्यक्रमलाप आयोजित करने के लिए उपयुक्त संख्या में क्लासरूम, हाल, संगोष्ठी कक्ष, प्रयोगशाला स्थल उपलब्ध होने चाहिए, प्रधान/प्रिन्सिपल, संकाय सदस्यों के लिए अलग-अलग कमरे, प्रशासनिक स्टाफ के लिए कार्यालय और एक स्टोर उपलब्ध होना चाहिए । अनुदेशात्मक स्थल का आकार प्रत्येक छात्र के लिए 10 वर्ग फुट से कम नहीं होना चाहिए ।

(ख) वाचनालय सुविधा सहित एक पुस्तकालय होना चाहिए जिसमें अध्यापक शिक्षा के बारे में उपयुक्त संख्या में पुस्तकें, इलैक्ट्रॉनिक प्रकाशन, (सीडी-रोम) तथा पत्रिकाएं और अन्य सम्बन्धित साफ्टवेयर मौजूद हों ।

Attested
5/2/11

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

505

8. अनुदेशात्मक सुविधाएं

सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) ज्ञान प्रदान करने और अध्यापक शिक्षा में डिजिटल संसाधनों का प्रयोग करने के लिए हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर सहित एक सुसज्जित शैक्षिक प्रौद्योगिकी और मीडिया प्रयोगशाला तथा मनोविज्ञान प्रयोगशाला उपलब्ध होंगी। मनोविज्ञान प्रयोगशाला में पाठ्यचर्या में सूचीबद्ध प्रयोग करने के लिए परीक्षण और उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। मनोवैज्ञानिक परीक्षण प्रणाली में ये शामिल होंगे : बुद्धिमत्ता (मौखिक, गैर-मौखिक तथा निष्पादन) परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण और अभिरुचि परीक्षण। साथ ही उपयुक्त संख्या में अभिवृत्ति परीक्षणों, रुचि सूचियों आदि का भी समुचित मात्रा में भण्डार रखा जाएगा।

9. स्टाफ की सेवा के उपबन्ध और शर्तें

- (क) नियुक्तियां केन्द्रीय/सम्बन्धित राज्य सरकार/संबंधक विश्वविद्यालय, इनमें से जो भी संगत हो, उसकी नीति के अनुसार गठित चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाएंगी।
- (ख) सभी नियुक्तियां पूर्णकालिक और नियमित आधार पर की जाएं।
- (ग) सरकारी संस्थान/सरकारी सहायताप्राप्त संस्थान संबंधित सरकार द्वारा स्थापित उपयुक्त निकायों द्वारा अनुशंसित उपयुक्त प्रत्याशियों के उपलब्ध न होने की स्थिति में अन्तरिम उपाय के रूप में प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा आधार पर नियुक्तियां कर सकते हैं।
- (घ) अन्य स्टाफ की नियुक्ति, संबंधित सरकार/सम्बन्धक विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानदंडों के अनुसार की जा सकती है।
- (ङ) संस्थान के शैक्षणिक तथा अन्य स्टाफ (अंशकालिक स्टाफ सहित) को संबंधित राज्य सरकार/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित वेतन दिया जाएगा।
- (च) पेंशन, उपदान, भविष्य निधि आदि से सम्बन्धित सांविधिक दायित्वों की पूर्ति संस्थान के प्रबन्धक वर्ग द्वारा की जाएगी।

Attested

Sm 21/5/11

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

- (छ) स्टाफ की अधिवार्षिकी की आयु का निर्धारण सम्बन्धित सरकार की नीति के आधार पर होगा किन्तु शर्त यह है कि अधिकतम आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

10. वित्तीय प्रबन्ध

- (क) शैक्षणिक शुल्क तथा अन्य शुल्क सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा यथानिर्धारित दरों पर लिए जाएंगे ।
- (ख) निजी और गैर-सरकारी सहायताप्राप्त संस्थानों के मामले में प्रबन्धक वर्ग के प्राधिकृत प्रतिनिधि और सम्बन्धित क्षेत्रीय समिति के अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किए जाने के लिए 5 लाख रुपये की एक स्थायी निधि तथा स्टाफ के 3 महीने के वेतन के समकक्ष एक आरक्षित निधि उपलब्ध रहेगी ।

परिशिष्ट-9

एम.एड.(मास्टर ऑफ एजुकेशन)(अंशकालिक) कार्यक्रम के लिए मानदंड और मानक

1. प्रस्तावना

- (क) एम.एड. (मास्टर ऑफ एजुकेशन) (अंशकालिक) कार्यक्रम अध्यापकों तथा शैक्षिक प्रबन्धकों के लिए एक सेवाकालीन व्यावसायिक कार्यक्रम है ताकि अध्यापक प्रशिक्षकों के संवर्ग का सुदृढीकरण हो सके ।
- (ख) केवल एम.एड. कार्यक्रम चलाने वाले विश्वविद्यालय शिक्षा विभाग तथा उन्नत शिक्षा अध्ययन संस्थान (आईएएसई) और अध्यापक शिक्षा कालेज (सी.टी.ई.) इस शर्त के अधीन एम.एड. (अंशकालिक) चलाने के पात्र हैं कि ऐसा पाठ्यक्रम संबंधित संबंधक विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किया गया हो ।

2. अवधि और दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या

- (क) एम.एड. (अंशकालिक) पाठ्यक्रम की अवधि 2 शैक्षणिक वर्ष होगी ।
- (ख) दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या 40 से अधिक नहीं होगी ।

507

Attested
5/11/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सेविल लाइन्स, दिल्ली-54

3. पात्रता

ऐसे सेवारत अध्यापक और शैक्षिक प्रशासक, जिनके पास कम से कम 2 वर्ष का अध्यापन/प्रशासनिक अनुभव हो तथा जिन्होंने कम से कम 55% अंकों के साथ बी.एड. की डिग्री पास की हो इस कार्यक्रम में दाखिले के लिए पात्र हैं।

4. पाठ्यचर्या संचालन और अध्यापन स्टाफ की आवश्यकता

(क) सिर्फ इस बात को छोड़कर कि इस पाठ्यक्रम की अवधि 2 शैक्षणिक वर्ष होगी एम.एड. (अंशकालिक) कार्यक्रम सभी शैक्षणिक अपेक्षाओं की दृष्टि से एम.एड. कार्यक्रम के समान होगा।

(ख) एम.एड. पाठ्यक्रम के संकाय के अलावा एम.एड. (अंशकालिक) पाठ्यक्रम के लिए अतिरिक्त अध्यापक नियुक्त किए जाएंगे जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि क्षेत्र-आधारित शोध प्रबन्ध आदि कार्य के लिए एक अध्यापक के साथ अधिक से अधिक 7 छात्र सम्बद्ध किए जाएं।

(ग) पाठ्यचर्या संचालन की कुल अवधि वही होगी जो कि एम.एड. पाठ्यक्रम के लिए अपेक्षित है किन्तु उसे 2 शैक्षणिक वर्षों के बीच बांट दिया जाएगा।

(घ) शोध प्रबन्ध संबंधी कार्य के निमित्त क्षेत्रीय दौरो तथा बी.एड. पाठ्यक्रम के छात्रों के लिए अध्यापन कार्यक्रम में स्थानबद्ध प्रशिक्षण आयोजित करने और उसका पर्यवेक्षण करने का प्रत्यक्ष अनुभव अर्जित करने के निमित्त एम.एड. (अंशकालिक) छात्रों को पूर्णकालिक आधार पर उपलब्ध रहना होगा।

5. अध्यापन स्टाफ की योग्यता
6. प्रशासनिक स्टाफ
7. आधारिक सुविधाएं
8. अनुदेशात्मक सुविधाएं
9. स्टाफ की सेवा के उपबन्ध और शर्तें
10. वित्तीय प्रबन्ध

इन पक्षों के सम्बन्ध में एम.एड. के लिए यथानिर्धारित मानदंड आवश्यक संशोधनों सहित एम.एड. (अंशकालिक) कार्यक्रम के मामले में भी लागू होंगे।

Attested

[Signature]

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सेविल लाइन्स, दिल्ली-34

परिशिष्ट-10

शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम में प्रमाणपत्र (सी.पी.एड.) के लिए मानदंड और मानक

1. प्रस्तावना

शारीरिक शिक्षा में प्रमाणपत्र (सी.पी.एड.) कार्यक्रम का उद्देश्य प्रारंभिक स्कूलों (प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक/मिडिल) के लिए शारीरिक शिक्षा में अध्यापक तैयार करना है।

2. अवधि और दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या

(क) सी.पी.एड. कार्यक्रम की अवधि 2 शैक्षणिक वर्ष होगी।

(ख) प्रभावी पाठ्यचर्या संचालन तथा भौतिक और अनुदेशात्मक आधारीक तंत्र और अध्यापन स्टाफ की विशेषज्ञता का इष्टतम प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए प्रतिवर्ष 50 छात्रों का एक यूनिट होगा।

3. पात्रता

(क) उच्च माध्यमिक परीक्षा (+2) अथवा इसकी समकक्ष परीक्षा में कम से कम 45% अंकप्राप्त प्रत्याशी दाखिले के लिए पात्र हैं। जिन प्रत्याशियों ने राज्य अथवा राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लिया है उनके मामले में उच्च माध्यमिक परीक्षा (+2) में अंकों का प्रतिशत कम से कम 40 होना चाहिए।

(ख) दाखिले अर्हक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अथवा राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर किए जाएंगे और ऐसा करते समय राज्य सरकार की नीति के अनुसार शारीरिक स्वस्थता/प्रवीणता को वरीयता दी जाएगी।

Attested

5/11

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)

भारत सरकार, प्रकाशन विभाग

सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

- (ग) संबंधित राज्य सरकार के नियमों के अनुसार अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों/विकलांगों तथा महिलाओं आदि के लिए स्थानों का आरक्षण होगा ।

4. पाठ्यचर्या संचालन और अध्यापन स्टाफ की आवश्यकता

- (क) दाखिले, परीक्षा आदि की अवधि को छोड़कर एक वर्ष में कम से कम 150 अध्यापन दिवस होंगे । इसके अलावा प्रत्येक प्रशिक्षार्थी अध्यापक को निकटस्थ प्रारंभिक स्कूलों में कम से कम 30 दिन तक अध्यापन (अध्यापन-अभ्यास/कौशल विकास सहित) में स्थानबद्ध प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा ।

- (ख) 50 अथवा उससे कम छात्रों (दो वर्ष के पाठ्यक्रम के लिए 100 अथवा उससे कम की संयुक्त क्षमता सहित) के यूनिट के लिए पूर्णकालिक अध्यापन संकाय में प्रिंसीपल/प्रधान तथा कम से कम पांच लेक्चरर होने चाहिए । निर्धारित यूनिट से अधिक छात्रों का दाखिला किए जाने की स्थिति में पूर्णकालिक अध्यापकों की संख्या में आनुपातिक रूप से वृद्धि की जाएगी।

- (ग) अध्यापकों की नियुक्ति इस प्रकार बांटी जाएगी कि शारीरिक शिक्षा से संबंधित विभिन्न पाठ्यक्रमों को पढ़ाने के लिए अपेक्षित विशेषज्ञता की प्रकृति तथा स्तर सुनिश्चित हो सके ।

- (घ) पूर्णकालिक अध्यापकों द्वारा विशेषज्ञता के जिन विषयों को छात्रों को पढ़ाया जा रहा है उनसे इतर विशेषज्ञता के जिन कार्यक्रमों की पेशकश की जा रही है उनके लिए अंशकालिक कोच और एक अंशकालिक चिकित्साधिकारी नियुक्त किया जाएगा ।

5. अध्यापन स्टाफ की योग्यताएं

(क) प्रिंसीपल

शारीरिक शिक्षा पढ़ाने में कम से कम 5 वर्ष के अनुभव सहित एम.पी.एड./एम.पी.ई

Attested

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सेविल लाइन्स, दिल्ली-54

(ख) लेक्चरर

55% अंकों के साथ एम.पी.एड./एम.पी.ई. सहित उत्तम शैक्षणिक रिकार्ड, बेहतर हो यदि प्रारंभिक स्तर के लिए शारीरिक शिक्षा में विशेषज्ञता प्राप्त हो।

(ग) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रत्याशियों के मामले में अंकों में एम.ए. स्तर पर 5% की ढील प्रदान की जाएगी अर्थात् अंकों का न्यूनतम प्रतिशत 55% से घटा कर 50% कर दिया जाएगा।

(घ) कोच और चिकित्साधिकारी की अर्हताएं संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए अनुसार होंगी।

6. प्रशासनिक स्टाफ

प्रशासनिक तथा अन्य सहयोगी स्टाफ सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार मुहैया कराया जाए।

7. आधारिक सुविधाएं

(क) छात्रों के अनुमोदित दाखिले के लिए अनुदेशात्मक क्रियाकलाप आयोजित करने के निमित्त उपयुक्त संख्या में क्लासरूमों के अलावा आवश्यक आकार के एक बहुप्रयोजन हाल, प्रिंसीपल, संकाय सदस्यों के लिए कमरों, प्रशासनिक स्टाफ के लिए कार्यालय और एक स्टोर की व्यवस्था की जाएगी। अनुदेशात्मक स्थान प्रति छात्र के लिए 10 वर्गफुट से कम नहीं होना चाहिए।

(ख) बाहरी खेल-कूद के लिए एक बहुप्रयोजन खेल का मैदान और एक 200 मीटर लम्बा ट्रैक और व्यायाम तथा इन्डोर खेल-कूद के लिए एक हाल होगा।

अथवा

पर्वतीय क्षेत्रों और बड़े शहरों में जहां खाली स्थान की उपलब्धता मुश्किल होती है वहां बाहरी खेल-कूदों के लिए यथाव्यवहार्य सीमा तक सुविधाएं और इन्डोर खेलों/खेलकूद, योग, एरोबेटिक्स, व्यायाम आदि के लिए हाल/व्यायामशाला उपलब्ध कराई जाएगी।

Attested

Smt. 11/11

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

511

- (ग) विभिन्न इन्डोर तथा बाहरी खेलों/खेलकूद के लिए उपयुक्त उपकरण मौजूद होंगे ।
- (घ) शारीरिक शिक्षा और सम्बन्धित विषयों पर उपयुक्त संख्या में पुस्तकों, इलैक्ट्रॉनिक प्रकाशन, (सीडी-रोम) तथा पत्रिकाएं और अन्य संगत साफ्टवेयर से युक्त एक पुस्तकालय होगा ।
- (ङ.) ये सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आवेदन करते समय प्रबन्धक वर्ग/संस्थान के अधिकार में सभी प्रकार के ऋणभारों से मुक्त स्वामित्व के आधार पर उपयुक्त भूमि/भूमि तथा भवन होने चाहिए । इस प्रयोजन के लिए सम्बन्धित राज्य/संघशासित क्षेत्र की विधि के अनुसार लम्बी अवधि के लिए पट्टे पर ली गई सरकारी भूमि को भी वैध मान लिया जाएगा । उक्त भूमि पर स्थायी भवन का निर्माण किए जाने तक संस्थान ये सुविधाएं अधिक से अधिक तीन वर्ष की अवधि के लिए उपयुक्त अस्थायी परिसर में उपलब्ध करा सकता है किन्तु तीन वर्ष की अवधि पूरी होने से पहले संस्थान को अपनी स्थायी भवन में जाना होगा ।

8. अनुदेशात्मक सुविधाएं

- (क) निम्न अनिवार्य उपकरणों सहित एक स्वास्थ्य शिक्षा और शरीर रचना विज्ञान तथा शरीर विज्ञान प्रयोगशाला होगी :
- एक मानक भार तुला
 - एक मानवमितिमापी
 - विकास चार्ट और शरीर प्रणाली चार्ट
 - वांछनीय भार/लम्बाई तालिका
 - शरीर के अवयवों/प्रणालियों के माडल
 - संधियुक्त/गैर-संधियुक्त अस्थिपंजर
- (ख) सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) ज्ञान प्रदान करने के लिए अपेक्षित हार्डवेयर और साफ्टवेयर सहित एक शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला होगी ।

9. स्टाफ की सेवा के उपबंध और शर्तें

- (क) नियुक्तियां केन्द्रीय/संबंधित राज्य सरकार की नीति के अनुसार गठित चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाएंगी ।
- (ख) सभी नियुक्तियां पूर्णकालिक और नियमित आधार पर की जाएं ।

Attested
[Signature]

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

512

- (ग) सरकारी संस्थान/सरकारी सहायताप्राप्त संस्थान संबंधित सरकार द्वारा स्थापित उपयुक्त निकायों द्वारा अनुशंसित उपयुक्त प्रत्याशियों के उपलब्ध न होने की स्थिति में अन्तरिम उपाय के रूप में प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा आधार पर नियुक्तियां कर सकते हैं।
- (घ) अंशकालिक अनुदेशकों तथा अन्य स्टाफ की नियुक्ति संबंधित सरकार के मानदंडों के अनुसार की जा सकती है।
- (ङ) संस्थान के शैक्षणिक तथा अन्य स्टाफ (अंशकालिक स्टाफ सहित) को संबंधित राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित वेतन दिया जाएगा।
- (च) पेंशन, उपदान, भविष्य निधि आदि से सम्बन्धित सांविधिक दायित्वों की पूर्ति संस्थान के प्रबन्धक वर्ग के द्वारा की जाएगी।
- (छ) स्टाफ की अधिवार्षिकी की आयु का निर्धारण सम्बन्धित सरकार की नीति के आधार पर होगी किन्तु शर्त यह है कि अधिकतम आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

10. प्रबन्ध

- (क) शैक्षणिक शुल्क तथा अन्य शुल्क सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा यथानिर्धारित दरों पर लिए जाएंगे।
- (ख) गैर-सहायताप्राप्त संस्थानों के मामले में प्रबन्धक वर्ग के प्राधिकृत प्रतिनिधि और सम्बन्धित क्षेत्रीय समिति के अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किए जाने वाली 5 लाख रुपये की एक स्थायी निधि तथा स्टाफ के 3 महीने के वेतन के समकक्ष एक आरक्षित निधि उपलब्ध रहेगी।

11. पात्रता/पाठ्यक्रम की अवधि में ढील

क्योंकि कुछ राज्यों में शारीरिक शिक्षा में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (सी.पी.एड.) की अवधि केवल एक वर्ष है और ऐसे पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए पात्रता 10वीं कक्षा पास है, अतः ऐसे राज्यों को अपने कार्यक्रमों को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मानदंडों और मानकों के अनुरूप लाने के लिए शैक्षणिक सत्र 2004-2005 के अन्त तक का समय दिया जाता है। इस बीच पाठ्यक्रम की घटी हुई अवधि जो कि एक वर्ष से कम

Attested
 सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
 भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
 सेविल लाइन्स, दिल्ली-54

513

नहीं होगी तथा/अथवा न्यून पात्रता मानदंड के लिए जो कि कुल मिलाकर कम से कम 45% अंक सहित 10वीं कक्षा पास से कम नहीं होंगे इस शर्त के अध्याधीन मान्यता दी जा सकती है कि इस प्रकार के पाठ्यक्रम के मामले में राज्य प्राधिकारियों द्वारा दिए जाने वाला प्रमाण पत्र केवल उसी राज्य में नौकरी के लिए वैध होगा और यह कि ऐसे पाठ्यक्रम उनकी अवधि और दाखिले के मानदंडों सहित वे पाठ्यक्रम हैं जो कि उस राज्य में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम 1993 के लागू होने की तारीख को मौजूद थे ।

परिशिष्ट-11

बी.पी.एड. (बैचलर ऑफ फिजीकल एजुकेशन.) कार्यक्रम के लिए मानदंड और मानक

1. प्रस्तावना

बी.पी.एड. (बैचलर ऑफ फिजीकल एजुकेशन.) कार्यक्रम का उद्देश्य माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्कूलों में शारीरिक शिक्षा के अध्यापक तैयार करना है ।

2. अवधि और दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या

(क) बी.पी.एड. (बैचलर ऑफ फिजीकल एजुकेशन.) कार्यक्रम की अवधि कम से कम एक शैक्षणिक वर्ष होगी ।

(ख) प्रभावी पाठ्यचर्या संचालन तथा भौतिक और अनुदेशात्मक आधारिक तंत्र और अध्यापन स्टाफ की विशेषज्ञता का इष्टतम प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए प्रतिवर्ष 50 छात्रों का एक यूनिट होगा ।

3. पात्रता

(क) शारीरिक शिक्षा में 3 वर्ष की अवधि का स्नातक पाठ्यक्रम अर्थात् बी.पी.ई. अथवा इसके समतुल्य ।

अथवा

ऐसा स्नातक जिसने खेलों/खेलकूदों/एथलेटिक्स में राज्य/विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया हो ।

अथवा

ऐसा स्नातक जिसने अन्तःकालेज खेलों/खेलकूद प्रतियोगिताओं में पहला, दूसरा अथवा तीसरा स्थान प्राप्त किया हो, जिसके पास एनसीसी 'सी' प्रमाणपत्र हो अथवा जिसने जोखिमपूर्ण खेलों में बुनियादी पाठ्यक्रम पास किया हो ।

Attested
5/11/11

हायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सेविल लाइन्स, दिल्ली-54

5/11

अथवा

ऐसा स्नातक जिसने खेलकूद विज्ञान, खेलकूद प्रबन्ध, खेलकूद कोचिंग, योग, ओलम्पिक शिक्षा, खेलकूद पत्रकारिता आदि में एक वर्ष का प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा किया हो।

(ख) दाखिले, राज्य सरकार की नीति के अनुसार अर्हक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अथवा विश्वविद्यालय/राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर किए जाएंगे और ऐसा करते समय राज्य सरकार की नीति के अनुसार शारीरिक स्वस्थता/प्रवीणता को वरीयता दी जाएगी।

(ग) संबंधित राज्य सरकार के नियमों के अनुसार अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों/विकलांगों तथा महिलाओं आदि के लिए स्थानों का आरक्षण होगा।

4. पाठ्यचर्या संचालन तथा अध्यापन स्टाफ की आवश्यकता

(क) दाखिले, परीक्षा आदि की अवधि को छोड़कर एक वर्ष में कम से कम 150 अध्यापन दिवस होंगे। इसके अलावा प्रत्येक प्रशिक्षार्थी अध्यापक को निकटस्थ माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्कूलों में कम से कम 30 दिन तक अध्यापन (अध्यापन-अभ्यास/कौशल विकास सहित) में स्थानबद्ध प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

(ख) 50 या उससे कम छात्रों के दाखिल होने की स्थिति में अध्यापन संकाय में एक प्रिंसीपल/प्रधान और कम से कम 3 लेक्चरर शामिल होंगे। निर्धारित यूनिट से अधिक छात्रों के दाखिल होने पर पूर्णकालिक अध्यापकों की संख्या में अनुपातिक रूप से वृद्धि कर दी जाएगी।

(ग) अध्यापकों की नियुक्ति इस प्रकार विभाजित की जाएगी कि शारीरिक शिक्षा से संबंधित विभिन्न पाठ्यक्रमों को पढ़ाने के लिए अपेक्षित विशेषज्ञता की प्रकृति तथा स्तर सुनिश्चित हो सके।

(घ) पूर्णकालिक अध्यापकों द्वारा विशेषज्ञता के जिन विषयों को छात्रों को पढ़ाया जा रहा है उनसे इतर विशेषज्ञता के जिन कार्यक्रमों की पेशकश की जा रही है उनके लिए अंशकालिक कोच और एक अंशकालिक चिकित्साधिकारी नियुक्त किया जाएगा।

5. अध्यापन स्टाफ की योग्यता

(क) प्रिंसीपल

➤ एम.पी.एड./एम.पी.ई.

Attested
Signature

: सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

- पी.एच.डी. अथवा समतुल्य प्रकाशित कार्य
- शारीरिक शिक्षा पढ़ाने का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव

(ख) लेक्चरर

- 55% अंकों के साथ एम.पी.एड./एम.पी.ई. सहित उत्तम शैक्षिक रिकार्ड

(ग) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रत्याशियों के मामले में एम.ए. स्तर पर 5% की ढील प्रदान की जाएगी अर्थात् अंकों का न्यूनतम प्रतिशत 55% से घटा कर 50% कर दिया जाएगा ।

(घ) उपर्युक्त (क) तथा (ख) में निर्धारित योग्यताओं के अलावा प्रत्याशियों से यह अपेक्षा की जाती है कि उनके पास विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) आदि जैसे अन्य विनियामक निकायों द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएं भी होनी चाहिए ।

(ड.) कोच/चिकित्सा अधिकारी की योग्यताएं सम्बन्धित सम्बन्धक विश्वविद्यालय/यूजीसी द्वारा निर्धारित किए अनुसार होंगी ।

6. प्रशासनिक स्टाफ

प्रशासनिक तथा अन्य सहयोगी स्टाफ सम्बद्ध राज्य सरकार/सम्बन्धक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार मुहैया कराया जाए ।

7. आधारिक सुविधाएं

(क) अनुमोदित संख्या में दाखिल किए गए छात्रों के निमित्त अनुदेशात्मक कार्यकलाप आयोजित करने के लिए उपयुक्त संख्या में क्लासरूमों तथा अपेक्षित आकार के एक बहुप्रयोजन हाल, प्रिंसीपल, संकाय सदस्यों के लिए कमरे, प्रशासनिक स्टाफ के लिए कार्यालय और एक स्टोर की व्यवस्था होगी । अनुदेशात्मक स्थल का आकार प्रत्येक छात्र के लिए 10 वर्गफुट से कम नहीं होगा ।

(ख) बाहरी खेल-कूद के लिए एक बहुप्रयोजन खेल का मैदान होगा, एक 200 मीटर लम्बा ट्रैक और व्यायाम तथा इन्डोर खेल-कूद के लिए एक हाल होगा ।

अथवा

Attested

[Signature]

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
एफ.ए. नगर-8 दिल्ली-84

516

अन्यथा पर्वतीय क्षेत्रों और बड़े शहरों में जहां खाली स्थान की उपलब्धता मुश्किल होती है, वहां बाहरी खेल-कूदों के लिए यथाव्यवहार्य सीमा तक सुविधाएं और इन्डोर खेलकूद, योग, एरोबिक्स, व्यायाम आदि के हाल/व्यायामशाला उपलब्ध कराई जाएगी।

- (ग) विभिन्न इन्डोर तथा बाहरी खेलों/खेलकूद के लिए उपयुक्त उपकरण मौजूद होंगे।
- (घ) अध्ययन के निर्धारित पाठ्यक्रमों से सम्बन्धित पाठ्य और संदर्भ पुस्तकें, शैक्षिक विश्वकोश, अब्दकोश, इलैक्ट्रॉनिक प्रकाशनों (सीडी-रोम) तथा शारीरिक शिक्षा और सम्बद्ध विषयों पर पत्रिकाएं तथा अन्य संगत साफ्टवेयर सहित एक पुस्तकालय होगा।
- (ङ) ये सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आवेदन करते समय प्रबन्धक वर्ग/संस्थान के अधिकार में सभी प्रकार के ऋणभारों से मुक्त स्वामित्व के आधार पर उपयुक्त भूमि/भूमि तथा भवन होने चाहिए। इस प्रयोजन के लिए सम्बन्धित राज्य/संघशासित क्षेत्र की विधि के अनुसार लम्बी अवधि के लिए पट्टे पर ली गई सरकारी भूमि को भी वैध मान लिया जाएगा। उक्त भूमि पर स्थायी भवन का निर्माण किए जाने तक संस्थान ये सुविधाएं अधिक से अधिक तीन वर्ष की अवधि के लिए उपयुक्त अस्थायी परिसर में उपलब्ध करा सकता है किन्तु तीन वर्ष की अवधि पूरी होने से पहले संस्थान को अपनी स्थायी भवन में जाना होगा।

8. अनुदेशात्मक सुविधाएं

- (क) शैक्षिक मनोविज्ञान - बुद्धिमत्ता परीक्षणों (निष्पादन, मौखिक, गैर-मौखिक) अभिरुचि परीक्षणों, सृजनात्मकता परीक्षणों, व्यक्तित्व परीक्षणों, अभिवृत्ति परीक्षणों और रुचि सूचियों आदि से सम्बन्धित सामान्य प्रयोग करने के लिए उपकरण सहित एक मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला होगी।
- (ख) निम्न अनिवार्य उपकरणों सहित एक स्वास्थ्य शिक्षा और शरीर रचना विज्ञान तथा शरीर विज्ञान प्रयोगशाला होगी :
 - (i) मानक भार तुला
 - (ii) मानवमितिमापी
 - (iii) विकास चार्ट
 - (iv) वांछनीय भार/लम्बाई तालिकाएं
 - (v) स्किनफोल्ड केलीपर
 - (vi) शरीर के अवयवों/प्रणालियों के माडल, संधियुक्त और गैर-संधियुक्त अस्थिपंजर

Attested

11/5/11

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सेविल लाइन्स, दिल्ली-54

517

(मी) सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) ज्ञान प्रदान करने के लिए अपेक्षित हार्डवेयर और साफ्टवेयर सहित एक प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला होगी।

9. स्टाफ की सेवा के उपबंध और शर्तें

(क) नियुक्तियां केन्द्रीय/संबंधित राज्य सरकार की नीति के अनुसार गठित चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाएंगी।

(ख) सभी नियुक्तियां पूर्णकालिक और नियमित आधार पर की जाएं।

(ग) सरकारी संस्थान/सरकारी सहायताप्राप्त संस्थान, संबंधित सरकार द्वारा स्थापित उपयुक्त निकायों द्वारा अनुशंसित उपयुक्त प्रत्याशियों के उपलब्ध न होने की स्थिति में अन्तरिम उपाय के रूप में प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा आधार पर नियुक्तियां कर सकते हैं।

(घ) अंशकालिक अनुदेशकों तथा अन्य स्टाफ की नियुक्ति संबंधित सरकार के मानदंडों के अनुसार की जा सकती हैं।

(ङ.) संस्थान के शैक्षणिक तथा अन्य स्टाफ (अंशकालिक स्टाफ सहित) को संबंधित राज्य सरकार/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित वेतन दिया जाएगा।

(च) पेंशन, उपदान, भविष्य निधि आदि से सम्बन्धित सांविधिक दायित्वों की पूर्ति संस्थान के प्रबन्धक वर्ग द्वारा की जाएगी।

(छ) स्टाफ की अधिवार्षिकी की आयु का निर्धारण सम्बन्धित सरकार की नीति के आधार पर होगा किन्तु शर्त यह है कि अधिकतम आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

10. वित्तीय प्रबन्ध

(क) शैक्षणिक शुल्क तथा अन्य शुल्क सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा यथानिर्धारित दरों पर लिए जाएंगे।

(ख) गैर-सहायताप्राप्त संस्थानों के मामले में प्रबन्धक वर्ग के प्राधिकृत प्रतिनिधि और सम्बन्धित क्षेत्रीय समिति के अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किए जाने वाली 5 लाख रुपये की एक स्थायी निधि तथा स्टाफ के 3 महीने के वेतन के समकक्ष एक आरक्षित निधि उपलब्ध रहेगी।

Attested

Sm 21/5/11

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

518

परिशिष्ट-12

एम.पी.एड. (मास्टर ऑफ फिजीकल एजुकेशन.) कार्यक्रम के लिए
मानदंड और मानक

1. प्रस्तावना

(क) एम.पी.एड. (मास्टर ऑफ फिजीकल एजुकेशन.) कार्यक्रम शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर कार्यक्रम जारी रखने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए तथा माध्यमिक स्तर पर शारीरिक शिक्षा में अध्यापकों तथा शारीरिक शिक्षा कालेजों और विश्वविद्यालयों के शारीरिक शिक्षा विभागों में अध्यापक प्रशिक्षकों का एक व्यावसायिक संवर्ग निर्मित करने के लिए है।

(ख) केवल वही विश्वविद्यालय विभाग अथवा संस्थान जो कि बी.पी.एड. पाठ्यक्रम चला रहे हैं, एम.पी.एड. पाठ्यक्रम चलाने के पात्र हैं।

2. अवधि और दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या

(क) एम.पी.एड. (मास्टर ऑफ फिजीकल एजुकेशन.) कार्यक्रम की अवधि कम से कम 2 शैक्षणिक वर्ष होगी।

(ख) दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या 30 से अधिक नहीं होगी।

3. पात्रता

(क) कम से कम 50% अंकों सहित बी.पी.एड अथवा कम से कम 50% अंकों सहित तीन वर्ष की अवधि के बी.पी.ई (अथवा इसके समतुल्य) पास प्रत्याशी दाखिले के लिए पात्र हैं।

(ख) दाखिले, विश्वविद्यालय/राज्य सरकार जिसके साथ संस्थान सम्बद्ध है उसकी नीति के अनुसार या तो अर्हक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अथवा राज्य सरकार/विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर किए जाएंगे।

Attested

Smt. J. S. 11

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)

भारत सरकार, प्रकाशन विभाग

सेविल लाइन्स, दिल्ली-54

- (ग) स्थितिअनुसार राज्य/केन्द्र सरकार के नियमों के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों/विकलांगों तथा महिलाओं आदि के लिए स्थानों का आरक्षण होगा।

4. पाठ्यचर्या संचालन तथा अध्यापन स्टाफ की आवश्यकता

- (क) दाखिले और परीक्षा की अवधि को छोड़कर शिक्षण, क्षेत्रीय कार्य तथा स्कूल में स्थानबद्ध प्रशिक्षण के लिए प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में कम से कम 180 शिक्षण दिवस होंगे।
- (ख) 30 अथवा उससे कम छात्रों (2 वर्ष के पाठ्यक्रम के लिए 60 अथवा इससे कम की संयुक्त क्षमता सहित) का दाखिला होने की स्थिति में अध्यापन संकाय में प्रोफेसर/रीडर के स्तर का एक प्रधान तथा 4 रीडर/लेक्चरर शामिल होंगे।
- (ग) प्रत्येक एम.पी.एड. छात्र को बी.पी.एड. छात्रों के स्थानबद्ध प्रशिक्षण का आयोजन करने वाले पर्यवेक्षकों के साथ सम्बद्ध रहना होगा जिससे कि वह अध्यापन में स्थानबद्ध प्रशिक्षण आयोजित करने और उसका पर्यवेक्षण करने का अनुभव प्राप्त कर सकें।
- (घ) पूर्णकालिक अध्यापकों द्वारा विशेषज्ञता के जिन विषयों को छात्रों को पढ़ाया जा रहा है उनसे इतर विशेषज्ञता के जिन कार्यक्रमों की पेशकश की जा रही है उनके लिए अंशकालिक कोच और एक अंशकालिक चिकित्साधिकारी नियुक्त किया जाएगा।

5. अध्यापन स्टाफ की योग्यताएं

(क) प्रोफेसर

- एम.पी.एड. अथवा एम.पी.ई।
- पीएच.डी. अथवा समतुल्य प्रकाशित शोध कार्य।
- एम.पी.एड./एम.पी.ई. कार्यक्रम पढ़ाने का कम से कम 10 वर्ष का अनुभव।

अथवा

प्रमाणित ख्यातिप्राप्त एक ऐसा असाधारण विद्वान जिसने विद्या में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया हो।

Attested

[Signature]

महायक नियंत्रक (प्रशासन)

3521 GI/2002-6B

भारत सरकार, प्रकाशन विभाग

सेविल लाइन्स, दिल्ली-34

520



(ख) रीडर

- कम से कम 50% अंकों के साथ एम.पी.एड./एम.पी.ई. सहित उत्तम शैक्षणिक रिकार्ड ।
- पोएच.डी. अथवा समतुल्य प्रकाशित शोध कार्य ।
- बी.पी.एड./एम.पी.एड./एम.पी.ई. कार्यक्रम पढ़ाने का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव ।

(ग) लेक्चरर

- 55% अंकों के साथ एम.पी.एड./एम.पी.ई. सहित उत्तम शैक्षणिक रिकार्ड ।

(घ) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के समुदायों के प्रत्याशियों के मामलों में एम.ए. स्तर पर 5% की ढील दी जाए अर्थात् अंकों का न्यूनतम प्रतिशत 55% से घटा कर 50% कर दिया जाए ।

(ङ.) उपर्युक्त (क), (ख) तथा (ग) में निर्धारित योग्यताओं के अलावा प्रत्याशियों से यह अपेक्षा की जाती है कि उनके पास विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) आदि जैसे अन्य विनियामक निकायों द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएं भी होंगी ।

(च) कोच/चिकित्साधिकारी की योग्यताएं सम्बन्धित सम्बन्धक विश्वविद्यालय/यूजीसी द्वारा निर्धारित किए अनुसार होंगी ।

6. प्रशासनिक स्टाफ

प्रशासनिक तथा अन्य सहयोगी स्टाफ सम्बद्ध राज्य सरकार/सम्बन्धक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार मुहैया कराया जाए ।

7. आधारिक सुविधाएं

(क) दाखिल किए गए 30 छात्रों के निमित्त अनुदेशात्मक कार्यकलाप आयोजित करने के लिए उपयुक्त संख्या में क्लासरूमों तथा अपेक्षित आकार के एक बहुप्रयोजन हाल, प्रिंसीपल, संकाय सदस्यों के लिए कमरे, प्रशासनिक स्टाफ के लिए कार्यालय और एक स्टोर की व्यवस्था होगी । अनुदेशात्मक स्थल का आकार प्रत्येक छात्र के लिए 10 वर्गफुट से कम नहीं होगा ।

Attested

[Signature]

महायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सेविल लाइन्स, दिल्ली-54

- (ख) अध्ययन के निर्धारित पाठ्यक्रमों से सम्बन्धित पाठ्य और संदर्भ पुस्तकें, शैक्षिक विश्वकोश, अब्दकोशों, इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशनों (सीडी-रोम) तथा शारीरिक शिक्षा और सम्बद्ध विषयों पर पत्रिकाएँ तथा अन्य संगत साफ्टवेयर सहित एक पुस्तकालय होगा ।
- (ग) इन्डोर खेलों के लिए एक बहुप्रयोजन हाल/व्यायामशाला तथा आउटडोर खेलों के लिए सुविधाएँ होंगी ।
- (घ) विभिन्न इन्डोर तथा आउटडोर खेलकूद और खेलों के लिए उपयुक्त उपकरण होंगे ।

8. अनुदेशात्मक सुविधाएँ

- (क) निम्न उपकरणों सहित स्वास्थ्य शिक्षा, भौतिक चिकित्सा तथा खेलकूद औषध प्रयोगशाला होगी :

- (i) एक मानक भार तुला
- (ii) मानवमितिमापी/ऊँचाई मापी स्टैंड
- (iii) वांछनीय भार/ऊँचाई तालिकाएँ
- (iv) अवरक्त लैंप
- (v) पराबैंगनी लैंप
- (vi) शार्टवेव डायथर्मो
- (vii) मोटराइज्ड ट्रेडमिल
- (viii) बाइसिकल इर्गोमीटर
- (ix) बी.पी. उपकरण
- (x) हारवर्ड स्टेप टेस्ट उपकरण

- (ख) शैक्षिक मनोविज्ञान = बुद्धिमत्ता परीक्षणों (निष्पादन, मौखिक, गैर-मौखिक अभिरुचि परीक्षणों, सृजनात्मकता परीक्षणों, व्यक्तित्व परीक्षणों, अभिवृत्ति परीक्षणों और रुचि सूचियों आदि से सम्बन्धित सामान्य प्रयोग करने के लिए उपकरण सहित एक मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला होगी ।

- (ग) निम्न उपकरणों सहित एक शरीर विज्ञान प्रयोगशाला होगी :

- (i) मेट्रोमोमस -1
- (ii) विभिन्न शारीरिक प्रणालियों के माडल और चार्ट
- (iii) स्टापवाच - 5

Attested

5/5/11

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सेविल लाइन्स, दिल्ली-54

- (iv) स्पाईरोमीटर - 2
- (v) इलेक्ट्रॉनिक बैरोमीटर
- (vi) भार तुला -2
- (vii) पीक फ्लो मीटर -1
- (viii) गोनियोमीटर -1
- (ix) डायनिमोमीटर (हैंड, लैग बैक) प्रत्येक के लिए -1

(घ) सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) ज्ञान प्रदान करने और अध्यापन में डिजिटल संसाधनों का प्रयोग करने के लिए आवश्यक हार्डवेयर और साफ्टवेयर सहित एक शैक्षिक प्रौद्योगिकी और मीडिया प्रयोगशाला होगी।

9. स्टाफ की सेवा के उपबन्ध और शर्तें

- (क) नियुक्ति केन्द्रीय/सम्बन्धित राज्य सरकार/सम्बन्धक विश्वविद्यालय, इनमें से जो भी संगत हो की नीति के अनुसरण में गठित चयन समिति की सिफारिशों पर की जाएगी।
- (ख) सभी नियुक्तियां पूर्णकालिक और नियमित आधार पर की जाएं।
- (ग) सरकारी संस्थान/सरकारी सहायताप्राप्त संस्थान सम्बन्धित सरकार द्वारा स्थापित उपयुक्त निकायों द्वारा अनुशंसित उपयुक्त उम्मीदवारों की अनुपस्थिति में अन्तरिम उपाय के रूप में प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा आधार पर नियुक्ति कर सकते हैं।
- (घ) अंशकालिक अनुदेशकों तथा अन्य स्टाफ की नियुक्ति संबंधित सरकार के मानदंडों के अनुसार की जा सकती है।
- (ङ.) संस्थान के शैक्षणिक तथा अन्य स्टाफ (अंशकालिक स्टाफ सहित) को संबंधित राज्य सरकार/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित वेतन दिया जाएगा।
- (च) पेंशन, उपदान, भविष्य निधि आदि से सम्बन्धित सांविधिक दायित्वों की पूर्ति संस्थान के प्रबन्धक वर्ग द्वारा की जाएगी।

Attested

Sm 21/5/11

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सेविल लाइन्स, दिल्ली-54

523

- (छ) स्टाफ की अधिवार्षिकी की आयु का निर्धारण सम्बन्धित सरकार की नीति के आधार पर होगी किन्तु शर्त यह है कि अधिकतम आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

10. वित्तीय प्रबन्ध

- (क) शैक्षणिक शुल्क तथा अन्य शुल्क सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा यथानिर्धारित दरों पर लिए जाएंगे ।
- (ख) गैर-सहायताप्राप्त संस्थानों के मामले में प्रबन्धक वर्ग के प्राधिकृत प्रतिनिधि और सम्बन्धित क्षेत्रीय समिति के अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से संचालित 5 लाख रुपये की एक स्थायी निधि तथा स्टाफ के 3 महीने के वेतन के समकक्ष एक आरक्षित निधि उपलब्ध रहेगी ।

परिशिष्ट - 14

एम.एड. (मुक्त और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली) के लिए मानदंड और मानक

1. प्रस्तावना

मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से एम.एड. कार्यक्रम आयोजित करने के प्रयोजन यह है कि अधिमानतः सेवारत अध्यापकों/अध्यापक प्रशिक्षकों तथा शैक्षिक प्रशासकों को व्यावसायिक उन्नति के लिए एम.एड. पाठ्यक्रम पूरा करने का अवसर प्रदान किया जाए ।

2. पाठ्यक्रम का नाम

मास्टर आफ एजुकेशन (एम.एड.)

3. पाठ्यक्रम की पेशकश करने वाले संस्थान

केवल मुक्त विश्वविद्यालयों अथवा विश्वविद्यालयों के दूरस्थ/अविच्छिन्न निदेशालयों द्वारा इस पाठ्यक्रम की पेशकश की जाएगी ।

4. अधिकार क्षेत्र

पाठ्यक्रम का अधिकार क्षेत्र, विश्वविद्यालय अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा । उत्तर-पूर्वी राज्यों और सिक्किम में अर्हताप्राप्त अध्यापक प्रशिक्षकों के उपलब्ध न होने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, इस क्षेत्र में एम.एड. (दूरस्थ शिक्षा पद्धति) पाठ्यक्रम शुरू करने के इच्छुक विश्वविद्यालय सभी उत्तर-पूर्वी राज्यों और सिक्किम के छात्रों को दाखिला दे सकते हैं ।

524

Attested
Sm 11/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सेविल लाइन्स, दिल्ली-54

5. अवधि और दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या

- (i) दाखिले में लगने वाले समय के अलावा 24 महीने
- (ii) स्थानों की संख्या - एम.एड. (दूरस्थ शिक्षा पद्धति) आयोजित करने के लिए मूल इकाई में 150 स्थान होंगे।

6. पात्रता और दाखिले के लिए मानदंड

- (i) पाठ्यक्रम में दाखिले की पात्रता 55 प्रतिशत अंकों सहित बी.एड. अथवा समतुल्य डिग्री होगी।
- (ii) अभ्यर्थियों के चयन के लिए विश्वविद्यालय एक उपयुक्त क्रियाविधि तैयार करेगा।
- (iii) राज्य/केन्द्रीय सरकार के नियमों के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों/महिलाओं आदि के लिए सीटों का आक्षण होगा।

7. पाठ्यक्रम विकास और आपूर्ति

इस पाठ्यक्रम के लिए अधिगम सामग्री मुद्रित, अमुद्रित (मल्टीमीडिया-श्रव्यदृश्य-इलेक्ट्रॉनिक) स्वअधिगत सामग्री शामिल होगी। पारस्परिक वैचारिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए आपूर्ति की पद्धति के रूप में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का अधिकाधिक रूप से प्रयोग किया जाएगा। पाठ्यचर्या संचालन के लिए विश्वविद्यालय 2/3 स्तरीय तंत्र का निर्माण करेगा। नोडल स्तर विश्वविद्यालय के मुख्यालय में होगा और दूसरे/तीसरे स्तर क्षेत्रीय केन्द्र/अध्ययन केन्द्रों में होंगे। पाठ्य सामग्री डीईसी मानदण्डों के अनुसार अभिकल्पित और विकसित की जाएगी।

(क) मुख्यालय में सुविधाएं

1. संकाय

- (i) दाखिल किए जाने वाले 150 छात्रों के लिए कोर संकाय में एक प्रोफेसर, एक रीडर तथा दो प्राध्यापक शामिल होंगे।
- (ii) बी.एड. तथा एम.एड. - दोनों पाठ्यक्रमों की पेशकश करने वाले विश्वविद्यालय के संकाय में एक प्रोफेसर, तीन रीडर और छः लेक्चरर शामिल होंगे।

(ख) अध्यापन स्टाफ की योग्यताएं

Attested

Smr 11/5/11

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

525

❖ प्रोफेसर/प्रधान

- (i) शैक्षणिक और व्यावसायिक अर्हता वही होगी जोकि लेक्चरर के पद के लिए निर्धारित हैं।
- (ii) पीएच.डी. अथवा समतुल्य प्रकाशित शोध-कार्य।
- (iii) अध्यापक शिक्षा का, अधिमानतः दूरस्थ शिक्षा का कम से इस वर्ष का अनुभव।

❖ रीडर

- (i) शैक्षणिक और व्यावसायिक अर्हताएं वही होगी जोकि लेक्चरर के पद के लिए निर्धारित हैं।
- (ii) शिक्षा अथवा किसी स्कूल विषय में पीएच.डी. अथवा समतुल्य प्रकाशित शोध-कार्य।
- (iii) अध्यापक शिक्षा में, अधिमानतः दूरस्थ शिक्षा में लेक्चरर के रूप में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव।

❖ लेक्चरर

55 प्रतिशत अंकों के साथ एम.एड./एम.ए. (शिक्षा) सहित उत्तम शैक्षणिक रिकार्ड।

अथवा

संगत स्कूल विषय में 55 प्रतिशत अंकों के साथ एम.ए. की डिग्री सहित उत्तम शैक्षणिक रिकार्ड और 50 प्रतिशत अंकों के साथ एम.एड./एम.ए. (शिक्षा) पास।

टिप्पणियां

- (1) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के वर्ग के प्रत्याशियों के मामले में एम.ए. के स्तर पर 5 प्रतिशत अंकों की छूट दी जाएगी अर्थात् अंकों का न्यूनतम प्रतिशत 55 प्रतिशत से घटा कर 50 प्रतिशत कर दिया जाएगा।
- (2) उक्त निर्धारित योग्यताओं के अलावा प्रत्याशियों से यह अपेक्षा की जाती है कि उनके पास विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, डीईसी आदि जैसे अन्य विनियामक निकायों द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएं भी होनी चाहिए।
- (ग) भौतिक आधारिक सुविधाएं
संकाय सदस्यों के लिए कक्षों/केबिनो, कम्प्यूटर कक्ष, सामग्री उत्पादन केन्द्र, स्टोर रूमों, कार्यालय कक्षों, सम्मेलन कक्ष तथा पाठ्यक्रम/सामग्री विकास के लिए श्रव्य-दृश्य स्टूडियो जैसी अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

Attested

15/11

अहायक नियंत्रक (प्रशासन)

भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
1 सेविल लाइन्स, दिल्ली-54

526

(घ) पुस्तकालय

अध्यापक शिक्षा सम्बन्धी पाठ्य और सन्दर्भ पुस्तकों, शैक्षिक विश्वकोष, अब्दकोषों, इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशनों, सी.डी. रोम तथा अध्यापक शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा आदि विषयक पत्रिकाओं से सुसज्जित एक पुस्तकालय होना चाहिए।

8. अध्ययन केन्द्र

- (i) अध्ययन केन्द्र नियमित एम.एड. पाठ्यक्रम की पेशकश करने वाले केवल उन्हीं अध्यापक शिक्षा संस्थानों में स्थित होंगे जिन्हें राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्रदान की गई हो।
- (ii) किसी अध्ययन केन्द्र के माध्यम से दाखिल किए गए छात्रों की अधिकतम संख्या एक बैच में 25 से अधिक नहीं होगी।
- (iii) क्षेत्र आधारित शोध-प्रबन्ध इस पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य घटक होगा।
- (iv) शोध-प्रबन्ध कार्य के पर्यवेक्षण के लिए एक अध्यापक के साथ 5 से अधिक छात्र सम्बद्ध नहीं किए जाएंगे।
- (v) संस्थान के प्रिन्सीपल अथवा किसी वरिष्ठ सदस्य को समन्वयकर्ता के रूप में नियुक्त किया जाएगा। संस्थान के एक संकाय सदस्य को सहायक समन्वयकर्ता के रूप में नियुक्त किया जाएगा। क्षेत्र-आधारित शोध-प्रबन्ध कार्य के पर्यवेक्षण के लिए विश्वविद्यालय/कालेज शिक्षा विभागों/प्रशिक्षण संस्थानों के निम्न अर्हताओं से युक्त अन्य संकाय सदस्यों को छात्रों के 1:10 के अनुपात में सहयोजित किया जाएगा :

शिक्षा में पीएच.डी./एम.फिल अथवा कम से कम 5 वर्ष के अध्यापन अनुभव सहित एम.एड./एम.ए. शिक्षा।

9. शैक्षणिक इन्पुट**(क) सामग्री**

स्वअधिगम मुद्रित तथा गैर-मुद्रित पाठ्यक्रम सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी।

(ख) सम्पर्क कार्यक्रम

अध्ययन केन्द्र में प्रत्येक छात्र के लिए समूची पाठ्यक्रम अविध में समान रूप में विभाजित सम्पर्क कार्यक्रमों तथा क्षेत्र-आधारित शोध प्रबन्ध कार्य सहित कम से कम 300 सम्पर्क घंटे उपलब्ध कराए जाएंगे। सम्पर्क कार्यक्रम तथा शोध प्रबन्ध कार्य का पर्यवेक्षण विश्वविद्यालय/कालेज शिक्षा विभागों/प्रशिक्षण कालेजों के अध्यापक प्रशिक्षकों द्वारा किया जाएगा।

Attested

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सेविल लाइन्स, दिल्ली-54

527

(ग) मूल्यांकन

प्रदत्त कार्य, प्रयोगात्मक कार्य के मूल्यांकन तथा अन्य मूल्यांकनों पर आधारित फीडबैक प्रत्येक छात्र को उपलब्ध कराया जाएगा।

(घ) छात्र सहयोगी सेवाएं

- (i) पाठ्यक्रम के छात्रों को विश्वविद्यालय तथा उसके सम्बद्ध अध्यापक शिक्षा संस्थानों के पुस्तकालय के प्रयोग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
- (ii) अध्ययन केन्द्रों में इन्टरनेट/टेलीविजन/वीसीआर/ओएचपी आदि जैसे गैर-मुद्रित अधिगम सामग्री के प्रयोग की सुलभता की सुविधा प्रदान की जाएगी।
- (iii) अध्ययन केन्द्रों में छात्रों को परामर्शी सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा।

(ड.) अनुश्रवण और पर्यवेक्षण,

शोध-प्रबन्ध कार्य सहित अधिगम क्रियाकलापों के सुचारु संचालन तथा अध्ययन केन्द्रों का उपयुक्त कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए मुख्यालय के कोर संकाय द्वारा नियमित अनुश्रवण किया जाएगा।

10. शुल्क संरचना

शिक्षण शुल्क तथा अन्य शुल्क विश्वविद्यालय/संबंधित सरकार द्वारा यथानिर्धारित दरों पर लिए जाएंगे।

11. कार्यक्रम की मान्यता प्रदान किए जाने के लिए आवेदन करने की पूर्वपेक्षाएं

एम.एड. (दूरस्थ शिक्षा पद्धति) शुरू करने के लिए मान्यता प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् को आवेदन करने से पूर्व विश्वविद्यालय को निम्न कार्य पूरे कर लेने चाहिए -

1. परीक्षा की योजना सहित पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम का निर्माण।
2. मुद्रित तथा गैर-मुद्रित पाठ्यक्रम-सामग्री का निर्माण।
3. अध्ययन केन्द्रों का निर्धारण।
4. डी.ई.सी. से इस आशय का प्रमाण पत्र कि पाठ्यक्रम सामग्री डी.ई.सी. के मानदंडों के अनुसार अभिकल्पित और तैयार की गई है।

Attested

[Signature]

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

परिशिष्ट - 13

बी.एड. (मुक्त और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली) के लिए
मानदंड और मानक

1. पाठ्यक्रम का नाम
बैचलर आफ एजुकेशन (बी.एड.)
2. पाठ्यक्रम की पेशकश करने वाले संस्थान
केवल मुक्त विश्वविद्यालयों अथवा विश्वविद्यालयों के दूरस्थ/अविच्छिन्न निदेशालयों द्वारा इस पाठ्यक्रम की पेशकश की जाएगी।
3. अधिकार-क्षेत्र
प्रत्येक विश्वविद्यालय केवल उन्हीं स्कूलों में कार्यरत छात्रों को दाखिला देगा जोकि विश्वविद्यालय अधिनियम द्वारा उन्हें सौंपे गए क्षेत्रीय अधिकार-क्षेत्र के भीतर स्थित हों।
4. अवधि और दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या
 - (i) दाखिले में लगने वाले समय के अलावा 24 महीने
 - (ii) स्थानों की संख्या : दूरस्थ पद्धति के माध्यम से बी.एड. की मूल इकाई में 500 स्थान होंगे। फिर भी कोई विश्वविद्यालय 100 के गुणकों में इस शर्त पर अतिरिक्त सीटें रख सकता है, कि दाखिल किए जाने वाले अधिकतम छात्रों की संख्या 1000 सीटों तक सीमित होगी और यह कि विश्वविद्यालय मानदंडों के अनुसार अतिरिक्त संकाय तथा अन्य अनुदेशात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

किन्तु शर्त यह है कि दाखिल किए जाने वाले छात्रों की क्षमता उपर्युक्त सीमा में परिषद् द्वारा ऐसे विश्वविद्यालयों के मामलों में गुण-दोष के आधार पर ढील दी जा सकती है जिनका अधिकार क्षेत्र एक से अधिक राज्यों में मौजूद हो।

5. पात्रता और दाखिले के लिए मानदंड
इस पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए पात्रता किसी मान्यताप्राप्त स्कूल में पूर्णकालिक अध्यापक के रूप में कम से कम दो वर्ष के अध्यापन अनुभव सहित स्नातक की डिग्री होगी।

अभ्यर्थियों के चयन के लिए विश्वविद्यालय उपयुक्त मानदंड और क्रियाविधि तैयार करेगा।

Attested

Smt. 15/11

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सेविल लाइन्स, दिल्ली-54

529

संबंधित सरकार के नियमों के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों, विकलांगों, महिलाओं आदि के लिए सीटों का आरक्षण होगा।

6. पाठ्यक्रम विकास और आपूर्ति

बी.एड. पाठ्यक्रम के लिए अधिगम सामग्री में मुद्रित, अ-मुद्रित (मल्टीमीडिया, श्रव्य-दृश्य/इलेक्ट्रॉनिक) स्वअधिगम सामग्री शामिल होगी। पारस्परिक वैचारिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए आपूर्ति की पद्धति के रूप में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का अधिकाधिक रूप से प्रयोग किया जाना चाहिए। पाठ्यचर्या संचालन के लिए विश्वविद्यालय 2/3 स्तरीय तंत्र का निर्माण करेगा।

नोडल स्तर, विश्वविद्यालय के मुख्यालय में होगा और दूसरे/तीसरे स्तर क्षेत्रीय केन्द्र/अध्ययन केन्द्रों में होंगे।

7. मुख्यालय में सुविधाएं

(क) मुख्यालय में संकाय

- (i) दाखिल किए जाने वाले 500 अथवा इससे कम छात्रों के निमित्त मुख्यालय में पाठ्यक्रम के संबंध में न्यूनतम कोर संकाय में एक प्रोफेसर, एक रीडर तथा चार प्राध्यापक शामिल होंगे।
- (ii) दाखिल किए जाने वाले प्रत्येक 100 अथवा उससे कम छात्रों के लिए एक अतिरिक्त पूर्णकालिक संकाय सदस्य अथवा दो अंशकालिक संकाय सदस्य उपलब्ध कराए जाएंगे।
- (iii) अध्यापकों की नियुक्ति को इस प्रकार बांटा जाएगा कि सभी अध्यापन प्रविधि और आधारिक पाठ्यक्रमों के लिए अपेक्षित प्रकृति और विशेषज्ञता का स्तर सुनिश्चित किया जा सके।
- (iv) बी.एड. (500 स्थान) तथा एम.एड. 150 स्थान) -दोनों पाठ्यक्रमों की पेशकश करने वाले विश्वविद्यालय के कोर संकाय में एक प्रोफेसर, दो रीडर और छः लेक्चरर शामिल होंगे।
- (v) पाठ्यक्रम के सुचारु संचालन के लिए मुख्यालय में अपेक्षित प्रशासनिक तथा अन्य शिक्षकेतर स्टाफ उपलब्ध कराया जाएगा।

Attested

Sm 21/5/11

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-34

530

(ख) अध्यापन स्टाफ की योग्यताएं

❖ प्रोफेसर/अध्यक्ष

- (i) शैक्षणिक और व्यावसायिक अर्हताएं वही होंगी जोकि लेक्चरर के पद के लिए निर्धारित हैं ।
- (ii) पीएच.डी. अथवा समतुल्य प्रकाशित शोध-कार्य ।
- (iii) अध्यापक शिक्षा में, अधिमानतः दूरस्थ शिक्षा का कम से कम 10 वर्ष का अनुभव ।

❖ रीडर

- (i) शैक्षणिक और व्यावसायिक अर्हताएं वही होंगी जोकि लेक्चरर के पद के लिए निर्धारित हैं ।
- (ii) शिक्षा अथवा किसी स्कूल विषय में पीएच.डी. अथवा समतुल्य प्रकाशित शोध-कार्य ।
- (iii) अध्यापक शिक्षा में, अधिमानतः दूरस्थ शिक्षा में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव ।

❖ लेक्चरर


55 प्रतिशत अंकों सहित एम.एड./एम.ए. (शिक्षा) सहित उत्तम शैक्षणिक रिकार्ड।

अथवा

संगत स्कूल विषय में 55 प्रतिशत अंकों के साथ एम.ए. की डिग्री सहित उत्तम शैक्षणिक रिकार्ड और 50 प्रतिशत अंकों के साथ एम.एड./एम.ए. (शिक्षा) पास ।

टिप्पणियां

- (i) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रत्याशियों के मामले में एम.ए. स्तर पर 5 प्रतिशत अंकों की छूट दी जाएगी अर्थात् अंकों का न्यूनतम प्रतिशत 55 प्रतिशत से घटा कर 50 प्रतिशत कर दिया जाएगा ।
- (ii) उक्त निर्धारित योग्यताओं के अलावा प्रत्याशियों से यह अपेक्षा की जाती है कि उनके पास विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, डी.ई.सी. आदि जैसे अन्य विनियामक निकायों द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएं भी होनी चाहिए ।

Attested


हायक नियंत्रक (प्रशासन)
 भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
 सेविल लाइन्स, दिल्ली-54

(ग) भौतिक आधारिक सुविधाएं

संकाय सदस्यों के लिए कक्षों/केबिनो, कम्प्यूटर कक्ष, सामग्री उत्पादन केन्द्र, स्टोर रूमों, कार्यालय कक्षों, सम्मेलन कक्ष तथा पाठ्यक्रम-सामग्री विकास के लिए श्रुत्य-दृश्य स्टूडियो जैसी अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

(घ) पुस्तकालय

अध्यापक शिक्षा सम्बन्धी पाठ्य और संदर्भ पुस्तकों, शैक्षिक विश्वकोष, अब्दकोष, इलेक्ट्रानिक प्रकाशनों, सीडी-रोम तथा अध्यापक शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा आदि विषयक पत्रिकाओं से सुसज्जित एक पुस्तकालय होना चाहिए।

8. अध्ययन केन्द्र

- (क) अध्ययन केन्द्र नियमित बी.एड. कार्यक्रम की पेशकश करने वाले केवल उन्हीं अध्यापक शिक्षा संस्थानों में स्थापित होंगे जिन्हें राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त हो।
- (ख) किसी अध्ययन केन्द्र के माध्यम से दाखिल किए जाने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या एक बैच में 100 से अधिक नहीं होगी।
- (ग) संस्थान के प्रिंसीपल अथवा किसी वरिष्ठ सदस्य को समन्वयकर्ता के रूप में नियुक्त किया जाएगा। संस्थान के एक संकाय सदस्य को सहायक समन्वयकर्ता के रूप में नियुक्त किया जाएगा। कार्यक्रम के सुचारु संचालन के लिए अध्ययन केन्द्र में अपेक्षित सहयोगी स्टाफ उपलब्ध कराया जाएगा। समन्वयकर्ता/सहायक समन्वयकर्ता और सहयोगी स्टाफ को दिए जाने वाला पारिश्रमिक विश्वविद्यालय द्वारा नियत किया जाएगा।

9. शैक्षणिक इन्पुट

(क) सामग्री

डी.ई.सी. मानदंडों के अनुसार अभिकल्पित और तैयार की गई स्वअधिगम मुद्रित और गैर-मुद्रित पाठ्यक्रम सामग्री छात्रों को उपलब्ध कराई जाएगी।

(ख) संपर्क कार्यक्रम

अध्ययन केन्द्र में प्रत्येक छात्र के लिए दो-दो सप्ताह की अवधि के दो अनिवार्य सम्पर्क कार्यक्रमों (कार्यशालाओं) सहित समूची पाठ्यक्रम अवधि में समान रूप में विभाजित कम से कम 300 सम्पर्क घंटे उपलब्ध कराए जाएंगे। सम्पर्क कार्यक्रम विश्वविद्यालयों/प्रशिक्षण कालेजों के अध्यापक प्रशिक्षकों द्वारा

Attested

5/11

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सेविल लाइन्स, दिल्ली-54

532

आयोजित किए जाएंगे । एक सम्पर्क कक्षा में छात्रों की अधिकतम संख्या चचास होगी ।

(ग) अध्यापन अभ्यास

प्रत्येक छात्र एक माध्यमिक (मिडिल)/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्कूल में कम से कम 40 पाठ (प्रत्येक विषय में 20) पढ़ाएगा जिसमें से कम से कम 10 पाठ (प्रत्येक विषय में 5) अध्यापक प्रशिक्षकों और 20 पाठ (प्रत्येक विषय में 10) मेन्टर्स की देखरेख में पढ़ाए जाएंगे ।

(घ) मूल्यांकन

पाठ्यक्रम के सभी पाठ्यचर्यात्मक तथा सह-पाठ्यचर्यात्मक क्षेत्रों में निर्माणात्मक तथा संकलनात्मक मूल्यांकन किया जाएगा । यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रदत्त कार्य, प्रायोगिक कार्य के मूल्यांकन तथा अन्य मूल्यांकनों पर आधारित फीडबैक प्रत्येक छात्र को उपलब्ध कराया जाए ।

(ङ.) छात्र सहयोगी सेवाएं

- पाठ्यक्रम के छात्रों को संस्थान के पुस्तकालय के प्रयोग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी ।
- अध्ययन केन्द्रों में इन्टरनेट/टेलीविजन/वीसीआर/ओएचपी आदि जैसे गैर-मुद्रित अधिगम सामग्री की सुलभता की सुविधा प्रदान की जाएगी ।
- अध्ययन केन्द्रों में छात्रों को मेन्टर सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा ।

(च) अनुश्रवण और पर्यवेक्षण,

अधिगम क्रियाकलापों के सुचारु संचालन तथा अध्ययन केन्द्रों का उपयुक्त कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए कोर संकाय द्वारा मुख्यालय में नियमित अनुश्रवण किया जाएगा ।

10. शुल्क संरचना

शिक्षण शुल्क तथा अन्य शुल्क विश्वविद्यालय/संबंधित सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर लिए जाएंगे ।

Attested

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सेविल लाइन्स, दिल्ली-54

533

11. कार्यक्रम की मान्यता की मंजूरी किए जाने के लिए आवेदन करने की पूर्वापेक्षाएं

बी.एड. (दूरस्थ शिक्षा पद्धति) शुरू करने के लिए मान्यता प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् को आवेदन करने से पूर्व विश्वविद्यालय को निम्न कार्य पूरे कर लेने चाहिए -

1. परीक्षा की योजना सहित पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम का निर्माण ।
2. मुद्रित तथा गैर-मुद्रित पाठ्यक्रम-सामग्री का निर्माण ।
3. अध्यापन अभ्यास के लिए अध्ययन केन्द्रों और स्कूलों का निर्धारण।
4. डी.ई.सी. से इस आशय का प्रमाण पत्र कि पाठ्यक्रम सामग्री डी.ई.सी. के मानदंडों के अनुरूप अभिकल्पित और तैयार की गई है ।

NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION NOTIFICATION

New Delhi, the 13 th November, 2002

No. F. 9-18/2002/NCTE.—In the initial years of the establishment of NCTE, a number of regulations and amendments thereto were issued on matters relating to form of application for recognition, time limit for submission of application, "No Objection Certificate" by the States/UTs, norms and standards for various teacher education programmes, etc. An exercise has since been undertaken to consolidate all these regulations so as to make them available at a single point of reference. Now, therefore, in exercise of the powers conferred under clauses (f) & (g) of sub-section 2 of section 32 read with sections 14 and 15 of the NCTE Act, 1993 (No. 73 of 1993), the National Council for Teacher Education hereby makes the following regulations.

1. Short Title and Commencement

- (i) These Regulations may be called the NCTE (Form of application for recognition, the time limit of submission of application, determination of norms and standards for recognition of teacher education programmes and permission to start new course or training) Regulations, 2002.
- (ii) They shall come into force with effect from the date of publication in the Official Gazette.

2. Applicability

These regulations will be applicable to all matters relating to grant of recognition/permission for starting a course or training in teacher education including teacher education courses through Open and Distance learning system.

3. Manner of making application

- (i) An application for grant of recognition of / permission for teacher education institutions/ programmes including application for additional intake in respect of courses through face to face mode shall be submitted to the Regional Committee concerned in the form given in Appendix - 1A.

534

Attested
5/11/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

The list of essential documents to be attached to the application shall be as given in Appendix – 1 B. The land title certificate by a local practicing lawyer shall be submitted as per the format at Appendix – 1 C. An undertaking on a non-judicial stamp paper shall be submitted as per the format at Appendix 1– D.

- (ii) An application for grant of recognition of / permission for teacher education institutions / courses including application for additional intake in respect of courses through Open and Distance Learning System shall be submitted to the Regional Committee concerned in the form given in Appendix – 2A. The list of essential documents to be attached with the application for starting a teacher education course through Open and Distance Learning System shall be as given in Appendix – 2 B. An undertaking on a non judicial stamp paper shall be submitted as per the format at Appendix – 2-C.
- (iii) Every application referred to at (i) and (ii) above shall be submitted in triplicate, with copies of all enclosures.

4. Cost of the application form

The form of application may be obtained from the concerned Regional Committee's Office on payment of Rs. 100/- in cash or in the form of a Demand Draft drawn in favour of concerned Regional Committee, NCTE and payable at the place of location of the Regional Committee. Alternatively the application form may be downloaded from the NCTE web site (www.ncte-in.org) in which case the payment of Rs. 100/- towards the cost of application form shall be made in the form of a Demand Draft and sent along with the application form.

5. Fees

Every application for grant of recognition for conducting a teacher education programme or permission for starting a new course or training in teacher education in a recognised institution or for increasing intake in a teacher training programme shall be accompanied by fees as prescribed in the Rules from time to time and shall be in the form of a Demand Draft drawn in favour of the concerned Regional Committee payable at the place where the Regional Committee is located.

6. Requirement of No Objection Certificate from the State Government / U.T. Administration

- (i) Application from every institution seeking recognition to start a course or training in teacher education or from an existing institution seeking permission to start a new course or training and / or increase in intake shall be accompanied by a No Objection Certificate (NOC) from the State or Union Territory in which the institution is located.

Attested
 सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
 भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
 सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

- (ii) The endorsement of the State Government / UT Administration in regard to issue of No Objection Certificate (NOC) will be considered by the Regional Committee while taking a decision on the application for recognition.
- (iii) If the NOC issued by the State Government / UT Administration does not indicate the intake, it will be for the Regional Committee to determine the intake taking into account the infrastructural and instructional facilities available in the institution and other relevant provisions in the Norms and Standards applicable to the relevant teacher training programme.
- (iv) The NOC issued by the State Government / UT Administration will remain valid till such time the State Government / UT Administration withdraws / cancels it.
- (v) The NOC will be deemed to have lapsed if the institution fails to get recognition within three years from the date of its issue.
- (vi) Requirement of NOC shall not apply to Government Institutions.
- (vii) Requirement of NOC shall not apply to University Departments for taking up innovative teacher education programmes for a maximum intake of 50 (fifty only). The question as to whether a programme is innovative will be decided by the concerned Regional Committee.

7. Time limit for making application

Every institution seeking recognition to start a course or training in teacher education or an existing institution seeking permission to start a new course or training and / or increase in intake shall make an application in the prescribed form so as to reach the concerned Regional Committee on or before 31st December every year. Provided that in the case of States where academic session begins from January every year the last date for submission of application would be 30th June of every year for the course or training commencing in the next academic session.

8. Norms and Standards for various teacher education programmes

- (i) The Norms and Standards for various teacher education courses are given in the Appendices 3 to 14 as indicated below which an institution offering the said course is required to comply with.

| | | |
|------|--|--------------|
| (i) | Norms and Standards for Pre – school Teacher Education Programme | Appendix - 3 |
| (ii) | Norms and Standards for Nursery Teacher Education Programme | Appendix - 4 |

Attested
 5/11/11
 सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
 भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
 सेविल लाइन्स, दिल्ली-54

| | | |
|--------|---|---------------|
| (iii) | Norms and Standards for Elementary Teacher Education Programme | Appendix - 5 |
| (iv) | Norms and Standards for Bachelor of Elementary Education (B.El.Ed) | Appendix - 6 |
| (v) | Norms and Standards for Secondary Teacher Education Programme | Appendix - 7 |
| (vi) | Norms and Standards for Master of Education (M.Ed.) Programme | Appendix - 8 |
| (vii) | Norms and Standards for Master of Education (M.Ed.) Programme (part time) | Appendix - 9 |
| (viii) | Norms and Standards for Certificate in Physical Education (C.P.Ed.) Programme | Appendix - 10 |
| (ix) | Norms and Standards for Bachelor of Physical Education (B.P.Ed.) Programme | Appendix - 11 |
| (x) | Norms and Standards for Master of Physical Education (M.P.Ed.) Programme | Appendix - 12 |
| (xi) | Norms and Standards for B.Ed. (Open and Distance Learning System) | Appendix - 13 |
| (xii) | Norms and Standards for M.Ed. (Open and Distance Learning System) | Appendix - 14 |

- (ii) The norms and standards herein notified are minimum and essential. The institution may strengthen further the physical and instructional infrastructure.
- (iii) These norms and standards shall also apply to the institutions that have already been recognised by the National Council for Teacher Education and any reduction in intake, necessitated as a result of the ceiling in intake wherever indicated in these norms and standards, will be effected from the academic session following the publication of these Regulations. However, for any increase in intake due to re-fixation as per these norms and standards, such institutions shall be required to submit application in the form at Appendix 1A / Appendix 2A as the case may be, to the concerned Regional Committee before expiry of the last date prescribed in para 7 of these Regulations.
- (iv) No institution shall be permitted to apply for enhancement of its intake over and above the basic unit as indicated in the Appendices 3 to 14 of these Regulations unless it has been granted permanent recognition and has continuously run teacher training programme or course for a period of three years.
- (v) If a request is received from the concerned State Government/UT administration for removal of any hardship caused in adhering to the norms and standards, the Council may, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these norms and standards in

Attested
 5/11/11
 सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
 भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
 सेबिल लाइन्स, दिल्ली-54

537

respect of any class or category of institutions, to such extent and subject to such conditions, as may be considered necessary.

9. Conditions of recognition

The Regional committee, before passing an order for grant of recognition/ permission under Section 14 or Section 15 of the Act, shall satisfy itself, on the basis of scrutiny and verification of facts as contained in the application for recognition/ grant of permission and/ or inspection of the institution, where considered necessary or any other manner deemed fit, that the institution fulfills the Norms and Standards laid down for the relevant teacher education course as given in the Appendices 3 to 14 of these Regulations.

10. Innovative course

Application for recognition of institutions offering a course or training in teacher education of innovative nature and or different in terms of course content methodology, duration etc. shall be dealt by the Regional Committee concerned in such manner as may be determined by the Council either by general or special order.

11. Repeal of regulations

(i) In view of coming into force of the present Regulations - the following Regulations stand repealed.

| S.No. | G. Notification No./Order No. & Date | Name of NCTE Regulation |
|-------|---|---|
| 1. | 8, 24.2.96/28-11/95 NCTE dt.29.12.95 | The NCTE (application for recognition the manner for submission, determination of conditions for recognition of institutions and permission to start new course or training) Regulations, 1995 |
| 2. | 27, 6.7.96/28-3/96 NCTE dt.14.6.96 | The NCTE (guidelines for B.Ed. through correspondence for regular serving teachers) Regulations, 1996 |
| 3. | 14,5.4.97, 28-9/96 NCTE | The NCTE (determination of conditions for recognition of institutions offering or intending to offer through correspondence education or distance education including open distance education, or any mode other than face to face instruction for any course leading to B.Ed. degree or its equivalent and |

Attested

[Signature]

भाषा नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सेविल लाइन्स, दिल्ली-54

| | | |
|-----|---|--|
| | | permission to start any new course or training) Regulations 1996. |
| 4. | 19, 10.5.97/28-3/96-NCTE dt.19.3.97 | The NCTE (guidelines for B.Ed. through correspondence for regular serving teachers) Amendment Regulations, 1997 |
| 5. | 29, 19.7.97/28-11/95-NCTE dt.24.6.97 | The NCTE (application for recognition the manner for submission, determination of conditions for recognition of institutions and permission to start new course or training) Amendment Regulations, 1997 |
| 6. | 17, 25.4.98, 28-3/96 NCTE dt.30.3.98 | The NCTE (guidelines for B.Ed. through correspondence for regular serving teachers) Amendment Regulations, 1998 |
| 7. | 7,13.2.99/28-2/98/NCTE dt.29.12.98 | The NCTE (norms and conditions for recognition of M.Ed. face to face and M.Ed. through distance education) Regulations, 1998 |
| 8. | 12,20.3.99, 28-9/96-NCTE dt.29.12.98 | The NCTE (determination of conditions for recognition of institutions offering or intending to offer through correspondence education or distance education including open distance education, or any mode other than face to face instruction for any course leading to B.Ed. degree or its equivalent and permission to start any new course or training) Amendment Regulations 1998 |
| 9. | 12,20.3.99, 28-3/98-99/NCTE dt.29.12.98 | The NCTE (norms and conditions for recognition of teacher education programme in Physical Education – C.P.Ed., B.P.Ed. and M.P.Ed.) Regulations, 1998 |
| 10. | 12, 20.3.99, 28-4/98-99/NCTE dt.29.12.98 | The NCTE (norms and conditions for recognition of Bachelor of Elementary Education B.El.Ed.) Regulations, 1998 |
| 11. | 13, 27.3.99/28-11/95-NCTE dt.29.12.98 | The NCTE (application for recognition the manner for submission, determination of |

Attested

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

5-39

| | | |
|-----|---|---|
| | | conditions for recognition of institutions and permission to start new course or training) Amendment Regulations, 1998 |
| 12. | 44, 28.10.2000, 1-30/2000 NCTE dt.18 th Sept., 2000 | The NCTE (time limit for submission of application for recognition) (Amendment) Regulations, 2000 |
| 13. | 239 dt.4 th Sept., 2001/9-3/2001/NCTE dt.3 rd Sept., 2001 | The National Council for Teacher Education (norms and standards for recognition of teacher education programmes) Regulations, 2001 |
| 14. | 307 dt.26 th Nov., 2001/9-3/2001/NCTE dt.6 th Nov., 2001 | The National Council for Teacher Education (Norms and Standards for recognition of teacher education programmes) (Amendment) Regulations, 2001 |
| 15. | 328 dt. 8 th Dec., 2001/9-1/2001/NCTE (Admn.) dt.28 th Nov., 2001 | The National Council for Teacher Education (consideration of No Objection Certificate) (Amendment) Regulations, 2001. |
| 16. | 139 dated 8 th July, 2002 / 9-14/2002/NCTE dt.1 st July, 2002 | The National Council for Teacher Education (application for recognition the manner for submission, determination of conditions for recognition of institutions and permission to start new course or training) (Amendment) Regulations, 2002. |

- (ii) The repeal of the aforesaid Regulations will not affect previous operation of any Regulation so repealed or anything duly done thereunder.

S. K. RAY, Member Secy.

[No. ADVT-3/4/Extraordinary/131/02]

Appendix- 1A


NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION

Form of Application for grant of Recognition of Teacher Education Institutions/Permission to start a new course or increase in intake (other than Open and Distance Learning System)

1. General particulars / information

1.1 Name of the Institution

1.2 Postal Address in full (including PIN code)

Attested

 सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
 भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
 सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

540

- 1.3 Telephone No./Fax/E mail
- 1.4 Nearest Railway Station with distance in Kms.
- 1.5 Nearest town with distance in Km., if located in rural area
- 1.6 Name of the programme
- 1.7 No. of units/intake proposed (indicate whether it is for a new programme or for an additional intake in a recognized programme)
- 1.8 Academic year (indicating the month) from which the programme is proposed
- 1.9 Name of the affiliating/examining body
- 1.10 Type of Institution (Boys/Girls/Co-ed.)
- 1.11 Whether the No Objection Certificate (NOC) issued by the State Govt. for starting the proposed programme has been attached?
- 1.12 Details of Application Fee
 - (a) amount
 - (b) draft No. and date
 - (c) Name of the Bank

2. Type of Management

- 2.1 Please indicate if the institution is to be managed by a Society or Trust/Board. (A copy each of the Certificate of Registration, Memorandum of Association, Bye-laws etc. should be attached)

3. Infrastructural facilities

- 3.1 Please indicate if land is available in the name of the Institution, either on ownership or on long term lease basis.
- 3.2 If the course is proposed to be started in a building already constructed, following details/documents may be furnished
 - (a) approved building plan with the details of area floor/room wise

Attested
[Signature]

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

541

(b) total plinth area

(c) completion certificate from the local authority

3.3 If a building is yet to be constructed, the following details/documents should be furnished

(a) site plan

(b) approved building plan with details of area floor/room wise

(c) date of commencement of construction

(d) likely date of completion of construction

3.4 Pending construction of own building, details of building(s) identified for starting the course

3.5 If more than one building has been identified, distance from one building to the other be given

3.6 Usable area of the building(s) in sq. ft.

Attested
Gm 15/11

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

542


- 3.7 Are water, electricity and toilet facilities available?
- 3.8 Location of the building – whether residential or non-residential?
- 3.9 Following specific details of accommodation may be furnished
- | | Number of
rooms | Area in sq.ft. |
|--------------------------|--------------------|----------------|
| Classrooms | | |
| Activity room | | |
| Principal room | | |
| Faculty room | | |
| Library | | |
| Learning resource center | | |
| Office room | | |
| Store room | | |
- 3.10 Give details of space available for outdoor (play ground, etc.)/indoor games
- 3.11 Give full details of furniture available

4 Curriculum transaction

- 4.1 Details of full time teaching staff /non-teaching staff, as per norms, if already appointed/selected/identified (A separate statement giving name, date of birth, educational and professional qualifications with year of passing and date of joining to be enclosed)
- 4.2 Please indicate the steps that are being taken for recruiting teaching staff and non-teaching staff for the course (Give the procedure of recruitment and composition of selection committee)
- 4.3 Names of primary schools/lower primary schools/ elementary schools/secondary schools/ senior secondary schools identified for practice teaching/internship and their distance from the institution

5. Instructional facilities

- 5.1 Details of laboratory facilities such as Science Laboratory/Psychology Laboratory/Education Technology and media laboratory along with available equipment and software and hardware facilities may be given.
- (a) Science Laboratory

Attested

 सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
 भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
 सेविल लाइन्स, दिल्ली-54

543

(b) Psychology Laboratory

(c) Education Technology and media laboratory

5.2 Give details of laboratory equipment, computer hardware and software and other teaching aids

5.3 For C.P.Ed./B.P.Ed./M.P.Ed. Courses, following details may be furnished
(a) details of play fields/multipurpose hall/gymnasium for indoor sports

(b) details of various equipment for games and sports

(c) facilities of health education and anatomy and physiology lab. along with the details of equipment

5.4 Give details of books, magazines, journals, audio-visual aids, teaching aids and play materials

6. Finance

6.1 Indicate the sources of finance and funds available for running the institution/programme

6.2 Has the institution provided endowment and reserve funds? Original Fixed Deposit Receipt for Rs.5.00 lacs towards Endowment Fund to be enclosed which will be converted for joint operation after grant of recognition

7. Other information

7.1 Details of other courses, if any, being run by the institution

| | | | |
|---------------------------|---------------|-----------------|---------------------------------------|
| <u>Name of the course</u> | <u>Intake</u> | <u>Duration</u> | <u>Affiliating/examining Body</u> |
|---------------------------|---------------|-----------------|---------------------------------------|

7.2 Details of other institutions, if any, being run by the Society/ Trust/Board

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| <u>Name of the institution</u> | <u>Courses conducted</u> |
|--------------------------------|--------------------------|

Signature, name and designation of the
Applicant with Seal of the institution

Place :

Attested
[Signature]
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सेविल लाइन्स, दिल्ली-54

547

Appendix- IB

List of Essential Documents

Application for grant of recognition including permission for additional intake should be submitted in triplicate in the format given at Appendix 1A to the concerned Regional Committee along with the following essential documents.

- (i) Prescribed Application fee (Non-refundable) in the form of a crossed Demand Draft drawn in favour of the concerned Regional Committee, NCTE payable at the place of the Regional Committee concerned.
- (ii) "No Objection Certificate" from the State Govt./UT Administration (in original).
- (iii) Copies of valid land documents along with a "Land Title Certificate" by a local practising lawyer (as per the format at Appendix - 1C).
- (iv) Copy of Approved Building Plan
- (v) Fixed deposit receipt in original for Rs. 5.00 lacs (Rupees five lacs only) towards endowment fund.
- (vi) A copy each of the Certificate of Registration, Memorandum of Association and Bye-laws in case the institution is managed by a Society/ Trust/Board.
- (vii) Undertaking in non-judicial stamp paper (As per the format at Appendix - 1D).
- (viii) A sworn affidavit verifying the contents given in the application form and the documents attached therewith. The affidavit must be attested through a First Class Magistrate/SDM/ADM

- Note : (1) If the application is found incomplete i.e. without all the essential documents, the institution may be asked to make good deficiencies in the application on or before the last date prescribed in the regulations.
- (2) In the event when deficiencies in an application get removed only after the last date, the application of institution shall be carried forward by the Regional Committee for consideration for the subsequent academic year i.e. for the course that would be offered one year later.

Attested
[Signature]

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सेविल लाइन्स, दिल्ली-54

545

Appendix-IC

LAND TITLE CERTIFICATE

From:- Issuing Advocate/Legal Counsel

To :- The Regional Director

Committee
National Council for Teacher Education
Jaipur/Bhopal/Bhubaneswar/Bangalore

Subject :- Land Title Certificate

On the request of _____
Trust / Society/ Institute. I have personally examined the various land
Documents/Records pertaining to the following land.

- 1) Address :- _____

- 2) Location :- _____

- 3) Area/
Measurement:- _____

After careful examination of the documents and satisfying myself, I certify that the
above mentioned land is presently in the Name/ Title of

Society/Trust/ Institution.

Further, it is clarified that there are no restrictions for construction of Buildings to
be used for Teacher Education Courses.

(ADVOCATE)
Signature

Name : _____
Place: _____
Date : _____

Attested

11/5/11
हायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सेबिल लाइन्स, दिल्ली-54

546

Appendix – 1D

Undertaking on non-judicial stamp paper to be submitted by a Competent/ authorised Functionary representing the Management/Institution after attestation by a Notary

I/we.....(Name of the Trustee/ Chairman/ Principal/ Director/ Head/ Registrar/ Correspondent) of the (name of the College/ Institution/ Trust/ Society, etc.) hereby undertake to comply with the following connection with my/ our application for grant of recognition of(name of the Institution/ Course/ Programme) from the session.....(academic year).

1. That infrastructural, instructional and other facilities will be provided as per the NCTE norms, standards and guidelines prescribed from time to time.
2. That admission of students, satisfying the eligibility conditions will be made either on the basis of marks obtained in the qualifying examination or in the entrance examination conducted by the State Govt./University as per its policy.
3. That there shall be reservation of seats for SC/ST/OBC/handicapped etc. as per the Policy of State Govt.
4. That admission to the Course will be made only after recognition is granted by the concerned Regional Committee of the NCTE.
5. (a) That the full time staff will be appointed on regular basis as per the qualifications prescribed in the Norms and Standards through a reasonably wide advertisement and open selection on the basis of the recommendation of duly constituted Selection Committees.

Attested
 5/11/11
 सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
 भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
 सेविल लाइन्स, दिल्ली-54

547

- (b) That the part time staff will be appointed as per the guidelines of the State Govt./the affiliating University.
6. That the tuition and other fees will be charged at rates prescribed by the concerned state Govt./affiliating University.
 7. That the academic and other staff of the institution (including part time staff) shall be paid such salary as may be prescribed by the concerned State Govt./University from time to time.
 8. That the Management shall discharge the statutory obligations relating to provident fund, pension, gratuity etc. in respect of all its employees.
 9. That the Management will make adequate funds available for providing satisfactory facilities and for proper programme implementation.
 10. That the Management shall maintain (i) an Endowment Fund of Rs. 5.00 lacs (Rupees five lacs only) to be operated jointly by the authorized representative of the Management and an officer of the concerned Regional Committee and (ii) a reserve fund equivalent to three months salary of the staff.
 11. That the accounts of the institution will be properly maintained and audited annually by the audit authorities or a Chartered Accountant, and will be open for inspection.
 12. That the Management will strictly follow all conditions and norms prescribed by NCTE from time to time, conduct the programme in all earnestness, and submit itself to inspection by the NCTE as required at any time.
 13. In the event of non-compliance by the(name of the Society/ Trustee/ College/ Institution etc.) with regard to the norms and standards and any other condition laid down/prescribed by the NCTE from time to time, the NCTE or a body or a person authorized by it will be free to take all necessary measures for effecting withdrawal of its recognition or permission, without consideration of any other issue, and that all liabilities arising out of such a withdrawal would solely be that of the Institution/Management.
 14. That the Management will not cause or allow discontinuation of the Course in any year or for any batch, and that where compelled, it will seek the concurrence of NCTE for discontinuation on the completion of the year/batch.

Attested

महायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सेविल लाइन्स, दिल्ली-54

548

15. That the Management has seen, studied and understood the norms and conditions stipulated by the NCTE for grant of recognition to the programme proposed and feels that they are satisfied, or can be satisfied by the time of inspection, failing which it would be willing to accept an unfavourable decision.
16. The (College/Institution) by virtue of the approval given by the NCTE shall not automatically become claimant of any financial grant or assistance from the Central or State Govt., or support from the NCTE.

(Signature of the authorized designated authority
giving undertaking alongwith his/her official position
and office Seal)

NAME IN BLOCK LETTERS

Place :

Date :

Witnesses :-

1.

2.

Attested
Gm 11/5/11
राहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

549

Appendix – 2 A

NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION

Application for grant of Recognition of B.Ed. and M.Ed.
Teacher Education Institutions/Programmes under Open
and Distance Learning System

1. General particulars/information

- 1.1 Name of the University
- 1.2 Postal address in full
(including PIN code)
- 1.3 Telephone No./Fax/E mail
- 1.4 Name of the Programme
- 1.5 No. of units/intake proposed (indicate whether
it is for a new programme or for an additional intake
in a recognised programme)
- 1.6 Academic year (indicating the month) from which
the programme is proposed
- 1.7 Whether the No Objection Certificate (NOC) issued
by the State Govt. has been attached?
- 1.8 Details of Application Fee
(a) amount
(b) draft No. and date
(c) name of the Bank

Attested
[Signature]
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सेविल लाइन्स, दिल्ली-54

550

2. Infrastructural facilities

- 2.1 Details of accommodation available for faculty Members, materials production center, computer room, office room, conference room, audio-video studio etc.
- 2.2 Details of library and collection of books, electronic Publications, CD ROMs and journals relevant to the Programme.

3. Curriculum transaction

- 3.1 Details of full time teaching staff /non-teaching staff, as per norms, if already appointed/selected/identified (A separate statement giving name, date of birth, educational and professional qualifications with year of passing and date of joining to be enclosed)
- 3.2 Please indicate the steps that are being taken for recruiting teaching staff and non-teaching staff for the course (Give the procedure of recruitment and composition of selection committee)
- 3.3 Arrangements made/available for designing and developing course-ware
- 3.4 Names of Study Centres identified. Also give facilities available in the study Centres.
- 3.5 Names of Secondary/Senior Secondary schools identified for practice teaching
- 3.6 Has the curriculum and syllabi including scheme of examination been prepared?
- 3.7 Has the print and non-print courseware been prepared?

Attested
[Signature]
[Stamp]
साहायक नियंत्रक (प्रशिक्षण)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सेविल लाइन्स, दिल्ली-54

3.8 Arrangements proposed for monitoring and supervision

3.9 Has a certificate from Distance Education Council (DEC) to the effect that study materials are designed and developed as per DEC norms been obtained? If so attach a copy thereof.

4. **Finance**

4.1 Indicate the sources of finance and funds available for running the institution/programme

5. **Other information**

5.1 Details of other teacher education courses, if any, being run by the institution.

Name of the course

Intake

Duration

Signature, name and designation of the Applicant with Seal of the institution

Place :

Date :

Attested
[Signature]

प्रिन्सिपल
राष्ट्रीय शिक्षण नियंत्रक
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

552

Appendix - 2 B

List of Essential Documents

Application for grant of recognition including permission for additional intake should be submitted in triplicate in the format given at Appendix 2 A to the concerned Regional Committee along with the following essential documents.

- (i) Prescribed Application fee (Non-refundable) in the form of a crossed Demand Draft drawn in favour of the concerned Regional Committee, NCTE payable at the place of the Regional Committee concerned.
- (ii) "No Objection Certificate" from the State Govt./UT Administration (in original).
- (iii) Undertaking in non-judicial stamp paper as per the format attached to the application form (As per the format at Appendix - 2 C).
- (iv) A sworn affidavit verifying the contents given in the application form and the documents attached therewith. The affidavit must be attested through a First Class Magistrate/SDM/ADM.
- (v) A certificate from Distance Education Council (DEC) to the effect that study materials are designed and developed as per DEC norms be obtained.

Note : (1) If the application is found incomplete i.e. without all the essential documents, the institution may be asked to make good deficiencies in the application on or before the last date prescribed in the regulations.

(2) In the event when deficiencies in an application get removed only after the last date, the application of institution shall be carried forward by the Regional Committee for consideration for the subsequent academic year i.e. for the course that would be offered one year later.

Appendix - 2 C

Undertaking on non-judicial stamp paper to be submitted by
a Competent/authorised Functionary representing University
after attestation by a Notary

I/we.....(Name of the Registrar or any other
authority designated by the university) of the
(name of the university) hereby undertake to comply with the following in connection
with my/our application for grant of recognition of (name
of the Institution /Course/Programme) from the session.....(academic year).

Attested

हायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सेविल लाइन्स, दिल्ली-54

553

1. That infrastructural, instructional and other facilities will be provided as per the NCTE norms, standards and guidelines prescribed from time to time.
2. That admission of students, satisfying the eligibility conditions will be made either on the basis of marks obtained in the qualifying examination or in the entrance examination conducted by the State Govt./University as per its policy.
3. That there shall be reservation of seats for SC/ST/OBC/handicapped etc. as per the Policy of State Govt.
4. That admission to the Course will be made only after recognition is granted by the concerned Regional Committee of the NCTE.
- 5.(a) That the full time staff will be appointed on regular basis as per the qualifications prescribed in the Norms and Standards through a reasonably wide advertisement and open selection on the basis of the recommendation of duly constituted Selection Committees.
(b) That the part time staff will be appointed as per the guidelines of the State Govt./the affiliating University.
6. That the tuition and other fees will be charged at rates prescribed by the concerned state Govt./affiliating University.
7. That the academic and other staff of the institution (including part time staff) shall be paid such salary as may be prescribed by the concerned State Govt./University from time to time.
8. That the University shall discharge the statutory obligations relating to provident fund, pension, gratuity etc. in respect of all its employees.
9. That the University will make adequate funds available for providing satisfactory facilities and for proper programme implementation.
10. That the accounts of the University for the programme will be properly maintained and audited annually by the audit authorities or a Chartered Accountant, and will be open for inspection.
11. That the University will strictly follow all conditions and norms prescribed by NCTE from time to time, conduct the programme in all earnestness, and submit itself to inspection by the NCTE as required at any time.
12. In the event of non-compliance of norms and standards and any other condition laid down/prescribed by the NCTE from time to time, the NCTE or a body or a person authorized by it will be free to take all necessary measures for effecting withdrawal of its recognition or permission, without consideration of any other issue, and that all liabilities arising out of such a withdrawal would solely be that of the University.
13. That the University will not cause or allow discontinuation of the Course in any year or for any batch, and that where compelled, it will seek the concurrence of NCTE for discontinuation on the completion of the year/batch.

554

Attested
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सेविल लाइन्स, दिल्ली-54

14. That the University has seen, studied and understood the norms and conditions stipulated by the NCTE for grant of recognition to the programme proposed and feels that they are satisfied, or can be satisfied by the time of inspection, failing which it would be willing to accept an unfavourable decision.
15. The University by virtue of the approval given by the NCTE shall not automatically become claimant of any financial grant or assistance from the Central or State Govt., or support from the NCTE.

(Signature of the authorized designated authority giving undertaking alongwith his/her official position and office Seal)

NAME IN BLOCK LETTERS

Place :

Date :

Witnesses :-

1.

2.

Attested
Smt. S. S. S.

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

555

Appendix - 3

Norms and Standards for Pre-School Teacher Education Programme

1. Preamble

This programme is meant for the preparation of Pre-school teachers for teaching children in the age group of 4-6 years. This will enable creation of cadre of teachers for pre-school education of children. As pre-school education has not yet been integrated with the primary school education and it is being run generally as private initiative, it needs to be recognised as different from nursery teacher training which is for children for age group 4-8 years.

2. Duration and Intake

- (a) The programme shall be of a duration of one academic year.
- (b) There shall be a unit of 50 students to ensure optimum utilisation of physical and instructional infrastructure and expertise of the teaching staff.

3. Eligibility

- (a) Secondary Examination (Class X) or its equivalent.
- (b) Admission shall be made either on the basis of marks obtained in the qualifying examination or in the entrance examination conducted by the state government as per the policy of the state government.
- (c) There shall be reservation of seats for SC/ST/OBC/Handicapped/Women etc., as per the policy of the concerned state government.

4. Curriculum Transaction and Requirement of Teaching Staff :

- (a) There shall be at least 150 teaching days exclusive of period of admission, examination etc. Every student teacher shall be required to undergo internship in school experiences at least for 30 days in nearby pre-schools. To ensure optimal interaction of teacher-trainees with the kids, the programme may also be conducted by an institution having nursery school teaching.
- (b) Curricular transaction should emphasise approaches and methods, like, role playing, games, quiz, material preparation, project work, bal mela etc., by which prospective teachers can be trained to create joyful environment so that children of the age group of 4-6 years may have attraction towards school education.

Attested

11/5/11

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

556

(c) For a unit of 50 students, the faculty shall comprise of the Principal/Head, two full time teachers and two part time teachers. For intake of students in excess of the prescribed unit, the number of teachers shall be increased proportionately.

(d) For co-curricular activities like physical education, art, work experience, music, etc. part time instructors may be appointed.

5. Qualifications of Teaching Staff

(a) Principal/Head

1. Academic and professional qualifications will be as prescribed for the post of teacher
2. At least five years experience of teaching in Elementary Teacher Education / Pre-school Teacher Education Institution.

(b) Teachers

Candidate should have a good academic record with the following academic qualification :-

Good academic record with graduation with B.Ed./B.El.Ed./B.Ed. (nursery) or

Graduation with diploma in Pre-school and Lower Primary Education/Diploma in Elementary Education.

- (c) Qualification of teachers of physical education art, work experience, etc. shall be as prescribed by the concerned state government.

6. Administrative Staff

Administrative and other support staff may be provided as per the norms prescribed by the concerned state government for secondary schools.

7. Infrastructural Facilities

- a) Adequate number of classrooms and activity room for approved intake of students, rooms for the Principal and faculty members and office for the administrative staff and a store should be available in the institution. The size of instructional space shall not be less than 10 sq. ft. per student.

- b) There shall be appropriate space for outdoor and indoor games.

- c) To provide these facilities, the Management / Institutions shall, at the time of making application, have in its possession adequate land / land and building on ownership basis free from all encumbrances. Govt. land acquired on long-term lease as per the law of the concerned State / UT will also be considered valid for the purpose. Pending construction of

Attested

हायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

557

permanent building in the above land, the institution may provide these facilities in suitable temporary premises up to a maximum period of 3 years, before expiry of which the institution should shift to its permanent building.

8. Instructional Facilities

There should be a Learning Resource Centre housed in a bigger room and having books, magazines, journals, audio-visual aids, teaching aids, play material, computer, etc.

9. Terms and Conditions of service of staff

- a) The appointments shall be made on the basis of the recommendations of the selection committee constituted as per the policy of the concerned state government.
- b) All appointments are to be made on full-time and regular basis.
- c) Institutions may make appointments on deputation or contract basis as an interim measure, in the absence of availability of suitable candidates.
- d) Appointment of part-time instructors and other staff can be made as per the norms of the concerned government.
- e) The academic and other staff of the institution (including part-time staff) shall be paid such salary as may be prescribed by the concerned government from time to time.
- f) The management of the institution shall discharge the statutory obligations relating to pension, gratuity, provident fund, etc.
- g) The age of superannuation of staff shall be determined by the policy of the concerned government subject to maximum age not exceeding 65 years.

10. Management

- a) In case of private institutions, the institution shall be run by a society/trust which should be registered with competent authority as per the provisions of the relevant Act.
- b) The tuition fees and other fees shall be charged at rates prescribed by the concerned state government.
- c) In case of unaided institutions there shall be an endowment fund of Rs.5.00 lacs to be operated jointly by the authorized representative of the management and an officer of the concerned regional committee and a reserve fund equivalent to three months' salary of the staff.

11. Affiliation

The examination would be conducted by the examining body designated by the State Government.

Attested

558
 महायक नियंत्रक (प्रशासन)
 भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
 सेंट्रल लाइन्स, दिल्ली-54

Appendix-4

Norms and Standards for Nursery Teacher Education Programme

1. Preamble

This programme is meant for preparation of nursery teachers for teaching in pre school stage for children in the age group of 4-6 years followed by the first two years of the formal school i.e of children in the age group of 6-8 years. This will enable creation of a cadre of teachers trained to teach children in nursery schools having facility for pre-school education integrated with teaching of classes 1 and 2 of the primary stage.

2. Duration and Intake


- (a) The programme shall be of a duration of two academic years.
- (b) There shall be a unit of 50 students to ensure optimum utilisation of physical and instructional infrastructure and expertise of the teaching staff.

3. Eligibility

- (a) Candidates with 45% marks in the Senior Secondary Examination (Class XII or its equivalent) are eligible for admission
- (b) Admission shall be made either on the basis of marks obtained in the qualifying examination or in the entrance examination conducted by the state government as per the policy of the State Government.
- (c) There shall be reservation of seats for SC/ST/OBC/Handicapped/women etc. as per the policy of the concerned State Government.

4. Curriculum Transaction and Requirement of Teaching Staff

- (a) There shall be atleast 150 teaching days exclusive of period of admission, examination etc. Every student teacher shall be required to undergo internship in school experiences atleast for 30 days in nearby pre schools and lower primary schools. To ensure optimal interaction of teacher-trainees with the kids, the programme may also be conducted by an institution having nursery school teaching.
- (b) Curricular transaction should emphasise approaches and methods, like role playing, games, quiz, material preparation, project work, bal mela etc., by which prospective teachers can be trained to create joyful environment so that children of the age group of 4-8 years may have attraction towards school education.

Attested


राहायक नियंत्रक (प्रशासन)
 भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
 सेविल लाइन्स, दिल्ली-54

559

- (c) For a unit of 50 students, the faculty shall comprise the Principal/ Head, two full time teachers and two part time teachers. For intake of students in excess of the prescribed unit, the number of teachers shall be increased proportionately.
- (d) For co-curricular activities like physical education, art, work experience, music etc. part time instructors may be appointed.

5. Qualifications of teaching staff

(a) Principal/Head :

- i) Academic and professional qualification will be prescribed for the post of Lecturer.
- ii) At least five years experience of teaching in nursery/primary/elementary teacher education institutions

(b) Lecturer

Candidates should have a good academic record with the following academic qualifications :

- i) Graduates with B.Ed. having specialisation in early childhood education/child development/elementary education.

Or

- ii) Graduates with B.Ed. nursery or equivalent

Or

- iii) Bachelor of Elementary education (B.El. Ed.)

Or

Bachelor Degree in Home Science or social work with specialisation in child development or pre school education.

Or

- iv) Graduates with Diploma in pre school education or Diploma in elementary education (D.Ed.)

Qualification of teachers of physical education, art, work experience shall be as prescribed by the concerned state government for secondary schools.

6. Administrative Staff

The administrative and other support staff may be provided as per the norms prescribed by the concerned state government for senior secondary schools.

Attested

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

560

7. Infrastructural Facilities

- a) Adequate number of classrooms and activity room for approved intake of students, rooms for the Principal and faculty members and office for the administrative staff and a store should be available in the institution. The size of instructional space shall not be less than 10 sq. ft. per student.
- b) There shall be appropriate space for outdoor and indoor games.
- c) To provide these facilities, the Management / Institutions shall, at the time of making application, have in its possession adequate land and building on ownership basis free from all encumbrances. Govt. land acquired on long-term lease as per the law of the concerned State / UT will also be considered valid for the purpose. Pending construction of permanent building in the above land, the institution may provide these facilities in suitable temporary premises up to a maximum period of 3 years, before expiry of which the institution should shift to its permanent building.

8. Instructional Facilities

There should be a Learning Resource Centre housed in a bigger room and having books, magazines, journals, audio-visual aids, teaching aids, play material, computer, etc.

9. Terms and Conditions of service of staff

- a) The appointments shall be made on the basis of the recommendations of the selection committee constituted as per the policy of the concerned state government.
- b) All appointments are to be made on full-time and regular basis.
- c) Institutions may make appointments on deputation or contract basis as an interim measure, in the absence of availability of suitable candidates.
- d) Appointment of part-time instructors and other staff can be made as per the norms of the concerned government.
- e) The academic and other staff of the institution (including part-time staff) shall be paid such salary as may be prescribed by the concerned government from time to time.
- f) The management of the institution shall discharge the statutory obligations relating to pension, gratuity, provident fund, etc.
- g) The age of superannuation of staff shall be determined by the policy of the concerned government subject to maximum age not exceeding 65 years.

10. Management

- a) In case of private institutions, the institution shall be run by a society/trust, which should be registered with competent authority as per the provisions of the relevant Act.

Attested

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सेविल लाइन्स, दिल्ली-54

561

- b) The tuition fees and other fees shall be charged at rates prescribed by the concerned state government.
- c) In case of unaided institutions there shall be an endowment fund of Rs. 5.00 lacs to be operated jointly by the authorized representative of the management and an officer of the concerned regional committee and a reserve fund equivalent to three months' salary of the staff.

11. Affiliation

The examination would be conducted by the examining body designated by the State Government.

Appendix-5

Norms and Standards for Elementary Teacher Education Programme

1. Preamble

The elementary teacher education programme is meant for preparing teachers for elementary schools (primary and upper primary/middle).

2. Duration and Intake

- a) The elementary teacher education programme shall be of a duration of two academic years.
- b) For effective curriculum transaction and for ensuring optimum utilisation of physical and instructional infrastructure and expertise of the teaching staff, there shall be a unit of 50 students for intake each year.

3. Eligibility

- a) Candidates with at least 45% marks in the senior secondary examination (+2), or its equivalent, are eligible for admission.
- b) Admission should be made either on the basis of marks obtained in the qualifying examination or in the entrance examination conducted by the State Government, as per the policy of the State Government.
- c) There shall be reservation of seats for SC/ST/OBC, Handicapped, Women, etc. as per the rules of the concerned State Government.

4. Curriculum Transaction and Requirement of Teaching Staff

- a) There shall be at least 150 teaching days in a year exclusive of period of admission, examination, etc. Besides, every teacher trainee shall be required to undergo internship in teaching (including practice teaching/skill development) at least for 30 days in nearby elementary schools.

Attested

राहाबक नियंत्रक (प्रशासन)
भरत सरकार, प्रकाशन विभाग
सेविल लाइन्स, दिल्ली-54

562

- b) Apart from teaching of foundation subjects, there shall be provision for teaching of methods subjects relating to primary and upper primary curriculum, namely, Regional Language/Mother Tongue, English, Mathematics, Science and Social Studies.
- c) For a unit of 50 students or less (with combined strength of 100 or less for the two-year course), the full-time teaching faculty shall comprise of the Principal/Head and at least five lecturers. For intake of students in excess of the prescribed unit, the number of full time teachers shall be increased proportionately.
- d) Appointment of teachers should be so distributed as to ensure the required nature and level of expertise for teaching methodology courses and foundation courses.
- e) For teaching subjects such as physical education, art, work experience, music, information technology literacy, etc., part-time instructors may be appointed.

5. Qualifications of Teaching Staff

a) **Principal/Head**

- i. Academic and professional qualification will be as prescribed for the post of Lecturer.
- ii. At least five years' experience of teaching in elementary teacher education institutions.

b) **Lecturer**

Good academic record with M.Ed./M.A. (Education) with 55% marks, preferably with specialisation in elementary education.

OR

Good Academic record with Master's Degree with 55% marks in the relevant school subject and Bachelor of Elementary Education (B.El.Ed.), or B.Ed. preferably with specialisation in elementary education, and with five years' teaching experience in recognised elementary schools.

- c) A relaxation of 5% may be provided, from 55% to 50% of the marks, at the Master's level for SC/ST Category.
- d) Qualifications for other academic staff for teaching physical education, art, work experience, information technology literacy, etc. shall be as prescribed by the concerned State Government.

6. Administrative Staff

The administrative and other support staff may be provided as per the norms prescribed by the concerned State Government.

7. Infrastructural Facilities

- a) There shall be provision for adequate number of classrooms, hall, laboratory space for conducting instructional activities for approved intake of students, rooms for the principal and faculty members, and office for the administrative staff and a store. The size of instructional space shall not be less than 10 sq.ft. per student.

Attested
11/5/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सेविल लाइन्स, दिल्ली-54

563

- b) There shall be a library equipped with text and reference books relating to prescribed courses of study, education encyclopaedia, year books, electronic publications (CD-ROMs) and journals on teacher education and other software relevant to the elementary stage.
- c) There shall be games facilities with playground. Alternatively, the playground available with the attached school or local body may be utilized and where there is scarcity of space as in metropolitan towns/hilly regions, facilities for yoga, indoor games may be provided.
- d) To provide these facilities, the Management / Institutions shall, at the time of making application, have in its possession adequate land / land and building on ownership basis free from all encumbrances. Govt. land acquired on long-term lease as per the law of the concerned State / UT will also be considered valid for the purpose. Pending construction of permanent building in the above land, the institution may provide these facilities in suitable temporary premises up to a maximum period of 3 years, before expiry of which the institution should shift to its permanent building.

8. Instructional Facilities

- a) There shall be a multi-purpose educational laboratory with psychology and science sections, and a workshop attached to it.
- The science section shall have the apparatus and chemicals required to demonstrate all the experiments as per the syllabus of elementary schools.
 - The psychology section shall have facilities for conducting the following tests : Sensory-motor, Intelligence (Performance, Verbal and Non-verbal), Aptitude, Personality and Interest Inventories including Projective Tests : provision for conducting simple Piagetian and Brunnerian experiments.
- b) There shall be hardware and software facilities for language learning.
- c) There shall be an Educational Technology laboratory with hardware and software required for imparting Information Technology (IT) literacy.

9. Terms and Conditions of Service of Staff

- a) The appointments shall be made on the basis of recommendations of the Selection Committee constituted as per the policy of the Central/concerned State Government.
- b) All appointments are to be made on full-time and regular basis.
- c) Government institutions/Government-aided institutions, may make appointments on deputation or contract basis as an interim measure, in the absence of availability of

Attested

[Signature]

निहायक नियंत्रक (प्रशासन)

भारत सरकार, प्रकाशन विभाग

सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

suitable candidates recommended by appropriate bodies set up by the concerned government.

- d) Appointment of part-time instructors and other staff can be made as per the norms of the concerned Government.
- e) The academic and other staff of the institution (including part-time staff) shall be paid such salary as may be prescribed by the concerned State Government from time to time.
- f) The management of the institution shall discharge the statutory obligations relating to pension, gratuity, provident fund, etc.
- g) The age of superannuation of staff shall be determined by the policy of the concerned Government subject to maximum age not exceeding 65 years.

10. Financial Management

- a) The tuition fees and other fees shall be charged at rates as prescribed by the concerned State Government.
- b) In case of unaided institutions, there shall be an endowment fund of Rs.5.00 lakh to be operated jointly by the authorised representative of the management and an officer of the concerned Regional Committee, and a reserve fund equivalent to three months' salary of the staff.

11. Relaxation in eligibility/duration of the course

As in some States, the duration of the elementary teacher education course is one year only and the eligibility for admission to such course is a pass in class ten, such States are given time up to the end of academic session 2004-2005 to switch over their programmes for bringing them in conformity with the NCTE Norms and Standards. Meanwhile, recognition for reduced duration of the course, which shall not be less than one year and/or lower eligibility criteria, which shall not be less than a pass in class ten with at least 50% marks in aggregate, may be given subject to the condition that the certificate given by the State authorities in respect of such a course will be valid for employment within that State only and such courses including their duration and admission criteria are those that have been in existence in that State on the date when the NCTE Act, 1993 came into force.

(s)
Attested

11/5/11

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सेविल लाइन्स, दिल्ली-54

565

Appendix-6

Norms and Standards for Bachelor of Elementary Education (B.El.Ed.)

Preface

The National Council for Teacher Education has now been vested with statutory authority to take all such steps as it may think fit for ensuring planned and coordinated development of teacher education and for the determination and maintenance of standards of teacher education including preparation for pre – primary, primary, secondary and senior secondary stages of school education. The formulation of norms and standards for teacher education institutions preparing teacher and teacher educators for different level of school education is essential for a variety of reasons. Norms will help existing institutions offering teacher education programs, to compare the provisions in their institutions with norms of the NCTE and take necessary action to correct deficiencies, if any. Norms will also help in proper planning of new institutions, programs and courses of teacher education.

Here, the norms and standards specify the 'Conditions' required for recognition, permission, and additional intake of seats.

This document specifies norms and standards approved by the NCTE for Bachelor of Elementary Education (B.El.Ed.) Programme by the institutions offering four – year full – time integrated face to face instruction.

It is expected that this document will be used by planners and administrators of teacher education, and by government, autonomous and private managements of teacher education in planning, organizing and recognizing programs of Bachelor of Elementary Teacher Education (B.El.Ed.) Programme. The NCTE will be using these norms for professional recognition of institutions organising Bachelor of Elementary Teacher Education (B.El.Ed.) Programmes. These norms will also be used for advising government, autonomous and private managements for taking suitable action for improving existing programs and institutions.

1. Duration of the Course

- (a) The integrated Elementary Teacher Education Degree programme, henceforth, called the Bachelor of Elementary Education (B.El.Ed.), shall be of a minimum duration of four academic years, including an Internship of a minimum of 16 working weeks in the fourth/final year of study.

Attested
11/5/11
राहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-64

- (b) Candidates admitted in this Programme shall complete the final year examination within 6 years from the year of admission.

2. Admission Criteria

- (a) Candidates seeking admission to the four – year degree programme in Elementary Teacher Education shall have to qualify in the prescribed Centralised Entrance Test (CET), especially designed to assess the candidate's potential.

Reservation of seats may be provided in accordance with the constitutional / legislative provisions.

- (b) Qualification for admission

- (i) The minimum qualification for admission to the B.El.Ed. shall be a pass in the 10 + 2 Senior Secondary Examination or any other examination recognised as equivalent thereto with a minimum aggregate of 50% marks.
- (ii) Candidate seeking admission to this programme must have completed the age of 17 years on or before the commencement of admission as per University Calendar.

3. Intake and Migration

- (a) The intake of candidates in one unit shall not exceed 35 in a class.
- (b) The institutions may permit migration of students from one institution to another only once at the end of 1st year subject to the number of students not exceeding the permitted maximum intake with prior permission of the NCTE.

4. Courses and Periods of Study

The institutions seeking recognition shall impart instructions in courses of Elementary Teacher Education. As an integral part of the teaching programme, each institution shall arrange for field tours and visits to centres of innovative activity in elementary school education. The institutions imparting instructions shall follow the Scheme of courses given below:

- (a) Scheme of Courses for the Bachelor of Elementary Education (B.El.Ed.)

The B.El.Ed. programme should be designed to integrate the study of subject knowledge, human development, pedagogy and communication skills. The programme should offer both compulsory and optional theory courses; compulsory practicum courses and a compulsory comprehensive

Attested
[Signature]
 सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
 भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
 सेविल लाइन्स, दिल्ली-54

school internship experience. Theory and Practicum courses should essentially cover the following.

Theory Courses

- Foundation Courses
- Core Courses
- Pedagogy Courses
- Liberal Courses
- Other options in Education

Practicum

- Performing and Fine Arts, Crafts and Physical Education
- Participatory Work
- Observing Children
- Self Development Workshop
- School Contact Programme
- School Internship
- Project Work
- Tutorials and Colloquia
- Academic Enrichment Activities

- (b) The theory and practicum courses may be classified in terms of knowledge areas as suggested in Table 1 a and 1b.

Table 1 (a) : Foundational Basis for Professional Education

| Area of Study | B.El.Ed. Course |
|----------------|---|
| Subject | Core Courses: |
| Knowledge Base | C1.1 Nature of Language |
| | C 1.2 Core Mathematics |
| | C 1.3 Core Natural Science |
| | C 1.4 Core Social Science |
| | Two – level liberal discipline specific optional courses : O2.X and O3. X in any one chosen discipline. |
| | Foundation Course (multi – disciplinary) : F1.2 contemporary India |
| Education | Foundation courses : F 3.6 Basic Concepts in Education F 3.7 School Planning and Management F 4.8 Curriculum Studies F 4.9 Gender and Schooling |

Attested
 11/5/11
 सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
 भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
 सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

Child Study

Foundation Courses :
F1.1 Child Development
F2.3 Cognition and Learning
F2.4 Language Acquisition

Table 1 (b) : Applied courses in Professional Training

Area of Study

B.El.Ed. Courses

Child Study

Practicum Courses :

PR1.2 (a) School Contact Programme
(b) Craft

PR2.3 Observing Children

P2.1 Language Across the Curriculum
P 3.2 Logico – Mathematics Education
P 3.3 Pedagogy of Environmental Studies

One of the Optional Pedagogy Courses

OP 4.1 Language
OP 4.2 Mathematics
OP 4.3 Natural Sciences
OP 4.4 Social Sciences

OR

One of the Optional Liberal Courses Related to Education

OL 4.1 Computer Education
OC 4.2 Special Education

School Contact Programme :

SC 3.1 Classroom Management
SC 3.2 Material Development and Evaluation

Development
Teachers and
Trainingof
Skill**Foundation course :**

F 2.5 Human Relations and Communication

Practicum Courses :

PR 1.1 Theatre
PR1.2 Craft
PR 2.4 Self – development
PR 2.5 Physical Education
Colloquia / Tutorials
Academic Enrichment
Field – based projects / assignments

School Experience

SI

School Internship Project

Attested

11/5/11

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

569

Note : Suggestive / Illustrative details are given in ANNEXURE 'A'

(c) Student Contract Hours :

The minimum student contract hours year – wise may be as indicated in Table 2.

Table 2: Year-wise Minimum Student Contact Hours

| Year of Study | Student Contact Hours per day | Student Contact Hours per week | Total No. of Contact Hours |
|---------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| I | 6.7 | 33.5 | 837.5 |
| II | 5.3 | 26.5 | 662.5 |
| III | 5.4 | 27.0 | 675.0 |
| IV | 5.8 | 29.0 | 725.0 |
| Total | 23.2 | 116.0 | 2900.0 |

Students Contact Hours to be read as contact periods. A period is usually of 50 min. duration. Average Student contact/hours, computed at 5 working days per week.

Total No. of Contact Hours computed for 25 working weeks in a year.

5.0 The conduct of the B.El.Ed. Programme

The institutions will have to meet the following specific demands of a professional programme of study :

- Integrate the B.El.Ed. students with other institutions' academic as well as co-curricular, and for the use of all basic facilities such as computers, playground, library, auditorium, etc.
- Promote inter – disciplinary academic activities between various departments within the institutions
- Initiate discourse on education by organizing seminars, lectures and discussion groups for students and faculty.
- Professional assistance must be sought from within and outside the University/Institutions conducting specific of the programme (eg : theatre, craft, self – development workshops).
- The institution must initiate and sustain interaction with at cluster of a least six elementary schools. These schools shall form basic contact point for all practicum activities and related work throughout the programme of study.
- The institution must initiate placement services for the graduates in schools.

Attested

राहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सेविल लाइन्स, दिल्ली-54

Examination, Standards and Qualification of Examiners.

The following shall be integrated into the appropriate Ordinances of the University/Institution concerned which will make provisions through its Statutory Bodies for review as and when appropriate and in consultation with the NCTE.

- (a) The University shall conduct the examination at the end of each year.
- (b) Practicum courses may be assessed internally.
- (c) A Moderation Board constituted by the concerned University/Institution shall monitor issues of quality and parity between Institutions for all Practicum Courses and the Internship Programme.
- (d) The weightage of internal assessment for all theory courses may be 30% and for all practicum courses 100%.
- (e) The minimum marks required to pass the examination may be 40% in each written paper, 45% in the internal assessment, 50% in Practicum and 50% in the aggregate for each year.
- (f) Only those candidates who have passed in the internal assessment, shall be permitted to appear in the examination.
- (g) Any candidates who has obtained not less than 50% in aggregate but has failed in one subject only, obtaining not less than 25% in that subject may be provisionally allowed to proceed to the next year on the condition that she / he will appear for a compartment examination to be held on payment of fees as per University rules. If the candidate fails to pass or fails to present herself/himself at the compartment examination she / he will be reverted to the previous year.
- (h) An examiner for any of the subjects of examination shall have a minimum of 3 years teaching/professional experience in his / her field of study,

7. Staff, Equipment and Training

- (a) Academic Faculty
 - Full - Time Faculty strength : 14
 - Faculty - Student Ratio : 1 : 10
 - Number of Students : 35 x 4 = 140
 - Part - Time Faculty strength : 3
- (b) The institutions shall encourage the faculty members to involve in professional practice including research.
- (c) The institutions shall encourage exchange of faculty members for academic programme.
- (d) Administrative Staff
 - Curriculum Laboratory attendant : 1
 - Resource Laboratory attendant : 1
 - Steno typist : 2

Attested
11/5/11
 महायक नियंत्रक (प्रशासन)
 भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
 सेविल लाइन्स, दिल्ली-54

571

- (e) **Nature of employment of staff**
All staff should be appointed on full time and regular basis. Properly constituted Selection Committee will select the candidates for all positions. The salary structure of teaching staff should be as per UGC / Govt. Norms.
- (f) **Selection of Faculty**
Faculty of the Department of Elementary Teacher Education shall have diverse specialisation (as indicated in Table 3) alongwith a postgraduate professional degree in education* or a research degree in education* or demonstrated experience / research in the field of education*.

Table 3 : Profiles of Faculty Required for the Department of Elementary Education


| Specialisation | No. of Posts | Essential Qualification | Special interest and Demonstrated Experience | Suggested B.El.Ed. course to be Taught |
|-------------------------------|--------------|---|--|--|
| Psychology/ Child Development | One | M.A. Psychology / applied Psychology (with specialisation in Child Development) / M.Sc. Child Development and Research Degree in Education | Work with children / Issues of how children learn, work undertaken with children | Child Development Cognition and Learning |
| | Plus | M.A. Psychology / Applied Psychology (with specialisation in Clinical Psychology / Counselling)/MSW (with specialisation in Personality Development and Counselling) and P.G. Degree/Research in Education. | Clinical Psychology/ Counselling | Related Practicum Human Relations and Communications Related Practicum |
| | one | | | |

* Preferably elementary education.

Attested
[Signature]
राहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिबिल लाइन्स, दिल्ली-54

572

| | | | | |
|---|------|--|--|------------------------------------|
| Mathematics | One | M.A. Maths/M.Sc. Maths and Post graduate professional degree in Education | Creative teaching methods | Core Mathematics |
| | | | | Logico-Math Education |
| | | | | School Contact |
| | | | | Pedagogy of Maths |
| Science Biological Sciences and Physical Sciences | One | M.Sc. Biological Sciences and Postgraduate Professional degree in Education | Psychology of learning, curricular issues, science teaching | Core Natural Science |
| | Plus | | | Pedagogy of Environmental Studies |
| | One | M.Sc. Physical Sciences and Post-graduate professional degree in Education | -do- | School Contact |
| | | | | Pedagogy of Natural Science |
| Social Science | One | M.A. Political Science (with specialisation in Developmental Studies/Political Economy/M.A. Sociology (with specialisation in Developmental Studies/Political and Economic systems)/ M.A. History (with specialisation in Philosophy of Social Sciences and P.G. Degree/Research in Education. | Integrated applications of social sciences, environmental education, multi-disciplinary perspectives on contemporary Indian issues | Core Social Science |
| | Plus | | | Contemporary India |
| | One | | Pedagogic studies in social sciences, creative teaching methods | Pedagogy of Environmental Studies. |
| | | M.A. Social Sciences and a Post-graduate professional degree in Education. | | Pedagogy of Social Science |

Attested

 11/5/11

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
 भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
 सेविल लाइन्स, दिल्ली-54

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------|--|--|--|
| Linguistics | One | M.A. Linguistics / M.A. English/Hindi with Diploma in Linguistics and Research in language development in children/P.G. degree in Education/ Research in Education | Language development in children, creative language teaching | Nature of Language Language Acquisition |
| Language : Hindi or English | One | M.A. English/Hindi and a Post-graduate professional degree in Education. | Development of curricula materials; teaching language through innovative methods; language pedagogy | Language Across the Curriculum Related Practicum Pedagogy of Language |
| Education | One | M.A. Philosophy and Post graduate degree in Education / Professional Degree in Education. | Educational theory, philosophy and Policy | Basic Concepts in Education Child Development Curriculum Studies |
| | Plus one | M.A. Social Science/M.Sc. Science and PG Professional Degree in Education. | Curriculum issues, Practitioners perspective of school education. | Curriculum Studies Relevant units of other courses School Planning and Management. |
| Liberal Optional (at least 4) | Three * | Post-graduate degree in the relevant subject. | Inter-disciplinary perspectives | Liberal Optional offered |
| Part-time Faculty : | Three ** | Training and Demonstrated experience in the relevant field : | | |
| Theatre | | Theatre Education | in Capacity to theatre for self development in Education | Performing and Fine Arts |

Attested

Smt. 11/5/11

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)

भारत सरकार, प्रकाशन विभाग

सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

574

| | | | |
|--------------------|--|---|----------------------------|
| Craft | Craft making / training | Skill in craft making and Capacity to train others | Craft, Participatory work |
| Self Development | Clinical/Counselling Practice/Training in groups | Ability to conduct workshops in personal growth/ counselling | Self Development Workshops |
| Physical Education | Training and Practice in Physical Education | Capacity to integrate varying forms of physical movement with education | Physical Education. |

* These would be from cooperating departments of an Institution

** Equivalent of one full-time faculty (these would be specialised resource personnel from outside the Institution)

8. Other Facilities

The institutions shall provide facilities as follows:
Physical Facilities

The physical facilities to be provided in an institution offering the B.El.Ed. can be classified under (i) Academic area, (ii) Administrative area, and (iii) Amenities area.

Academic area will consist of Class Rooms, Curriculum Laboratory, Resource Laboratory, Conference Room, Workshop, Auditorium, Computer Room and Library

Administrative area will include Principals' Room, Faculty Rooms, Central Office, Conference Room, Record Room, Computer Room and Reception Lounge.

Amenities area will comprises students' Common Room, Staff Room, Hall, Sports/Recreation Centres, Canteen, Cooperative Stores, Dispensary and Security Services.

9. Norms for Space

Where teach education is provided through a Department/College as an integral part of a University/Institution having several Faculties and Departments of Studies, all central facilities/amenities are to be shared between the Department of Elementary Education and other Departments. In the case of laboratories and workshops, necessary additional provisions need be made so that the B.El.Ed. students can make use of them. Apart from the Central Library of the

Attested
Sm 2/15/11
हायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सेविल लाइन्स, दिल्ली-54

University/College, a Department Library may also be developed to cater to the special needs of the B.El.Ed. students. The Resource Laboratory should be equipped with adequate reading material along-with other equipment needed for Pedagogy-based practicum and other School Contact Programmes. Amenities such as Auditorium, Hall, Conference Rooms, etc. could be shared with other departments.

10. Specific Infrastructural Facilities for Students of B.El.Ed.

(a) Curriculum Laboratory : One

The curriculum laboratory shall be the lab, area for conducting hands-on experience activity. The laboratory would serve this purpose for first year courses such as craft, core mathematics, core science and partly for core social science and for third year courses in logico-mathematics education, pedagogy of environmental studies and practicum on material development.

The lab, would contain science and mathematics related material such as apparatus, chemicals, kits, maps, globes, instruments and tools like hammer, pliers, scissors and wires. There should be work tables for small group activities. The furniture should be movable to allow for work area on the floor as well. The lab should also have provision for use of an overhead projector, notice boards and blackboard for holding classes.

(b) Resources Laboratory : One

The resources lab shall serve the purpose of a laboratory-cum-department library. It should have a stores and access to books, curriculum materials, children's literature, textbooks, reports and documents. These materials are essentially for use for the B.El.Ed. courses of study. Materials should be available in sufficient numbers for use by students in schools as well. The Resource Laboratory may also have computer facility for use by the faculty and students. The laboratory should have sufficient space for student meetings, classes and group discussions and reading as well.

(c) Workshop Space : Two

The institution should provide separate space for conducting specific practicum activities such as theatre workshops, self-development workshops and physical education workshops. Such space should allow for free physical movement for a batch of 35-40 students.

11. Fee structure and scholarship Essential.

The fee structure should be as decided by the State Govt./University from time to time. In any case, the total fees and other charges collected from students should not exceed the per pupil recurring expenditure of the institution.

Desirable

Adequate free studentships may be provided for meritorious poor students. Provision for some scholarships on the basis of merit may also be made.

Attested
576
महायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

12. Nature of Employment of Staff.

All staff should be appointed on full time and regular basis. Properly constituted Selection Committee will select the candidates for all positions. The salary structure of teaching staff should be as per UGC/Govt. Norms.


ANNEXURE 'A'**SCHEME FOR FOUR YEAR BACHELOR OF ELEMENTARY EDUCATION PROGRAMME (B.E.Ed)**

Students will be admitted to this Programme after +2

| Theory | | | Practicum | | | Colloquia/Project | | | Enrichment | | |
|--------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------------------|------------------------|-------------|--------------------|------------------------|-------------|--------------------------------|------------------------|-------------|
| | Examination Duration | Total Marks | | Contact Hours per week | Total marks | | Contact hours per week | Total Marks | | Contact hours per week | Grand Total |
| Year 1 | | | | | | | | | | | |
| F1.1 Child Development | 3 | 100 | PR1.1 Performing & Fine Arts | 4 | 75 | | | | | | |
| F1.2 Contemporary India | 3 | 100 | | | | | | | | | |
| C1.1 Nature of language | 2 | 50 | PR1.2 Craft, Participatory work | 3 | 25 | Colloquia Tutorial | 1 | 50 | Academic Enrichment Activities | 1 | |
| C1.2 Core Mathematics | 2 | 50 | | | | | | | | | |
| C1.3 Core Natural Science | 2 | 50 | | | | | | | | | |
| C1.4 core Social Science | 2 | 50 | | | | | | | | | |
| | | 400 | | 7 | 100 | | 1 | 50 | | 1 | 550 |
| YEAR - II | | | | | | | | | | | |
| F2.3 Cognition & Learning | 3 | 100 | PR2.3 Observing Children | 2 | 75 | | | | | | |
| F2.4 Language Acquisition | 2 | 50 | | | | | | | | | |
| F2.5 Human Relations & communication | 2 | 50 | | | | | | | | | |
| P2.1 Language Across the Curriculum | 2 | 50 | PR2.4 Self Development workshops | 3 | 50 | Colloquia Tutorial | 1 | 50 | Academic Enrichment Activities | | |
| | | | PR2.5 Physical Education | 2 | 25 | | | | | | |
| Liberal Course (Optional - 1) | 3 | 100 | | | | | | | | | |
| 02.1 English 1 | | | | | | | | | | | |
| 02.2 Hindi 1 | | | | | | | | | | | |
| 02.3 Maths 1 | | | | | | | | | | | |
| 02.4 Phy. 1 | | | | | | | | | | | |
| 02.5 Chem. 1 | | | | | | | | | | | |
| 02.6 Bio. 1 | | | | | | | | | | | |
| 02.7 Hist. 1 | | | | | | | | | | | |
| 02.8 Pol.Sci. 1 | | | | | | | | | | | |
| 02.9 Geog. | | | | | | | | | | | |
| 02.10 Eco 1 | | | | | | | | | | | |
| | | 350 | | 7 | 150 | | 1 | 50 | | 1 | 550 |

F : Foundation Course ; C : Core Course; P : Pedagogy Course ; O : Optional Liberal Course : OP : Optional Pedagogy Course; OL : Optional Courses PR : Practicum : SC : School Contact Programme; SI: School Internship.

In the course nomenclature, the numeral immediately following letters (F,C,P etc) denotes the year of the programme in which the course is to be taught. The second numeral denotes the serial number in a particular course type. For instance, F2.5 signifies that Human Relations and Communication is the 5th foundation Course to be taught in the 2nd year of the Programme of study.

Attested

 सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
 भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
 सेविल लाइन्स, दिल्ली-54

577

Appendix-7

Norms and Standards for Secondary Teacher Education Programme

1. Preamble

The secondary teacher education programme, commonly known as B.Ed., is meant for preparing teachers for secondary/senior secondary schools.

2. Duration and Intake

- a) The B.Ed. programme shall be of a duration of at least one academic year.
- b) There shall be a unit of 100 students for ensuring optimum utilisation of physical and instructional infrastructure and expertise of the teaching staff. Division into appropriate batches may be done at the institutional level for effective curriculum transaction.

3. Eligibility

- a) Candidates with at least 45% marks in the Bachelor's/Master's Degree with at least two school subjects at the graduation level are eligible for admission.
- b) Admission should be made either on the basis of marks obtained in the qualifying examination or in the entrance examination conducted by the University/State Government, as per the policy of the State Government/University, to which the institution is affiliated.
- c) There shall be reservation of seats for SC/ST/OBC, Handicapped, Women, etc. as per the rules of the concerned State Government.

Attested
Smt. S. P. Singh
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सेविल लाइन्स, दिल्ली-54

4. Curriculum Transaction and Requirement of Teaching Staff

- a) There shall be at least 150 teaching days in a year exclusive of period of admission, examination, etc. Besides, every teacher trainee shall be required to undergo internship-in-teaching (including practice teaching and skill development) for at least 30 days in nearby secondary/senior secondary schools.
- b) Apart from teaching of foundation courses, there shall be provision for methodology of teaching two out of five school subjects at the secondary level (Regional Language/Mother Tongue, English, Mathematics, Science, Social Sciences), or discipline-specific subjects at the senior secondary level (Physics, Chemistry, Mathematics, Biology, History, Geography, Political Science, Economics, Commerce etc.)
- c) For an intake of 100 students or less, the teaching faculty shall comprise of Principal/Head and at least seven lecturers. For intake of students in excess of the prescribed limit, the number of full time teachers shall be increased proportionately.
- d) Appointment of teachers shall be so distributed as to ensure the required nature and level of expertise for teaching methodology courses and foundation courses.
- e) For teaching subjects such as physical education, art, work experience, information technology literacy, etc., part-time instructors may be appointed.

5. Qualifications of Teaching Staff**a) Principal/Head**

- i) Academic and professional qualification will be as prescribed for the post of Lecturer.
- ii) Ten years' experience of which atleast five years should be in a secondary teacher education institution.

b) Lecturer

Good academic record with M.Ed./M.A. (Education) with 55% marks.

Attested

Smrati

हायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

Good academic record with Master's Degree with 55% marks in the relevant school subject and M.Ed./M.A. (Education) with 50% marks

OR

Good academic record with Master's Degree with 55% marks in the relevant school subject and a B.Ed. Degree with 55% marks, with five years' teaching experience in a recognised secondary/senior secondary school. (This alternative qualification shall be applicable only in those States where prior to the establishment of the NCTE, the qualification for appointment of teachers in B.Ed. institutions was a Post-graduate Degree in a school subject with B.Ed. However, teachers appointed with this qualification will have to acquire M.Ed. qualification within five years).


- c) A relaxation of 5% may be provided from 55% to 50% of the marks, at the Master's level for the SC/ST Category.
- d) Apart from the qualifications prescribed at (a) and (b) above, the candidates shall be required to have such other qualifications as may be prescribed by other regulatory bodies like the University Grants Commission (UGC), etc.
- e) Qualifications for other academic staff for teaching physical education, art, work experience, information technology literacy, etc. shall be as prescribed by the concerned affiliating University/UGC.

6. Administrative Staff

The administrative and other support staff may be provided as per the norms prescribed by the concerned State Government/Affiliating University.

7. Infrastructural Facilities

- a) There shall be provision for adequate number of classrooms, hall, laboratory space for conducting instructional activities for approved intake of 100 students, separate rooms for the principal, faculty members, office for the administrative staff and a store. The size of instructional spaces shall not be less than 10 sq. ft. per student
- b) There shall be a library equipped with text and reference books related to the prescribed courses of study, educational Encyclopedia, year books, electronic publications (CD-ROMs) and journals on teacher education.

Attested

 सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
 भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
 सिविल लाइन्स, दिल्ली-54


- c) There shall be games facilities with a playground. Alternatively, the playground available with the attached school/college may be utilised and where there is scarcity of space as in metropolitan towns/hilly regions, facilities for yoga, indoor games may be provided.
- d) To provide these facilities, the Management / Institutions shall, at the time of making application, have in its possession adequate land / land and building on ownership basis free from all encumbrances. Govt. land acquired on long-term lease as per the law of the concerned State / UT will also be considered valid for the purpose. Pending construction of permanent building in the above land, the institution may provide these facilities in suitable temporary premises up to a maximum period of 3 years, before expiry of which the institution should shift to its permanent building.

8. Instructional Facilities

- a) There shall be a science laboratory or alternatively, science laboratory of the attached school/college may be used. The laboratory shall have multiple sets of science apparatus required to perform and demonstrate the experiments prescribed in the syllabus for secondary/senior secondary classes. Chemicals, etc. should be provided in the required quantity.
- b) There shall be a Psychology Laboratory with apparatus for simple experiments related to educational psychology – intelligence tests (performance, verbal, non-verbal) aptitude tests, creativity tests, personality test, attitude test, interest inventories, etc.
- c) There shall be hardware and software facilities for language learning.
- d) There shall be an educational technology laboratory with hardware and software required for Information Technology (IT) literacy.

9. Terms and Conditions of Service of Staff

- a) The appointment shall be made on the basis of recommendations of the Selection Committee constituted as per the policy of the Central / concerned State Government / Affiliating University, whichever is applicable.
- b) All appointments are to be made on full-time and regular basis.
- c) Government Institutions / Government-aided institutions may make appointments on deputation or contract basis as an interim measure, in the absence of availability of suitable candidates recommended by appropriate bodies set up by the concerned government.

Attested

 सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
 भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
 सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

- d) Appointment of part-time instructors and other staff can be made as per the norms of the concerned Government/Affiliating University/ UGC.
- e) The academic and other staff of the institutions (including part-time staff) shall be paid such salary as may be prescribed by the concerned State Government/University from time to time.
- f) The management of the institution shall discharge the statutory obligations relating to pension, gratuity, provident fund, etc. for its employees.
- g) The age of superannuation of staff shall be determined by the policy of the concerned Government/Affiliating University subject to maximum age not exceeding 65 years.

10. Financial Management

- a) The tuition fees and other fees shall be charged at rates as prescribed by the concerned State Government/Affiliating University.
- b) In case of unaided institutions, there shall be an endowment fund of Rs.5.00 lakh to be operated jointly by the authorised representative of the management and an officer of the concerned Regional Committee, and a reserve fund equivalent to three months' salary of the staff.

Appendix-8

Norms and Standards for Master of Education Programme (M.Ed.)

1. Preamble

- a) The Master of Education (M.Ed.) programme, which may be general or specialised, is meant for candidates desirous of pursuing post-graduate programme in teacher education, on full-time basis, and for preparing a professional cadre of teacher educators.
- b) Only University Departments or institutions running B.Ed. programme are eligible to offer M.Ed. course.

2. Duration and Intake

- a) The M.Ed. programme shall be of a duration of one academic year, after B.Ed.
- b) The intake of students shall not exceed 40.

3. Eligibility

- a) Candidates who have obtained at least 55% in the B.Ed. Degree, are eligible for admission.

Attested

5/5/11

हायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सेबिल लाइन्स, दिल्ली-54

582

- b) Admission shall be made either on the basis of marks obtained in the qualifying examination or in the entrance examination conducted by the University/State Government, as per the policy of the State Government/University, to which the institution is affiliated.
- c) There shall be reservation of seats for SC/ST/OBC, Handicapped, Women, etc. as per the rules of the State/Central Government as the case may be.

4. Curriculum Transaction and Requirement of Teaching Staff

- a) There shall be at least 180 teaching days exclusive of period of admission and examination, etc. for instruction, field work for dissertation and internship in a school.
- b) Field-based dissertation and internship in school shall be compulsory component of the M.Ed. programme.
- c)
 - i) Field visit for dissertation shall be of a duration of four weeks.
 - ii) Not more than 7 students shall be attached with a teacher for supervision of field-based dissertation work.
- d) Each M.Ed. student will be associated with the supervisors of the internship programme of B.Ed. students, for acquiring experience of organising and supervising internship-in-teaching programme.
- e) For an intake of 25 students or less, teaching faculty shall comprise of a Head in the rank of Professor/or Reader, and 3 Readers/Lecturers. One additional lecturer shall be appointed for every additional intake of five students or part thereof.

5. Qualifications of Teaching Staff

a) **Professor**

- M.Ed. or M.A. (Education)
- Ph. D. or equivalent published research work
- At least, 10 years' experience of teaching in teacher education institutions at post graduate level.

Or

An outstanding scholar with established reputation who has made significant contribution to knowledge.

b) **Reader**

- Good academic record with M.Ed. or M.A. (Education)
- Ph D. or equivalent published research work
- At least 5 years' experience of teacher education

Attested
Signature

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सेविल लाइन्स, दिल्ली-54

c) **Lecturer**

- Good academic record with M.Ed./M.A. (Education) with 55% marks.

Or

- Good academic record with Master's Degree with 55% marks in the relevant school subject with M.Ed./M.A. (Education) with 50% marks.

- d) A relaxation of 5% may be provided from 55% to 50% of the marks, at the master's level for the SC/ST category.
- e) Apart from the qualifications prescribed at (a), (b) and (c) above, the candidates shall be required to have such other qualifications as may be prescribed by other regulatory bodies like the University Grants Commission (UGC), etc.

6. **Administrative Staff**


The administrative and other support staff may be provided as per the norms prescribed by the State Government/University.

7. **Infrastructural Facilities**

- a) There shall be provision for adequate number of classrooms, hall, seminar room, laboratory space for conducting instructional activities for approved intake of students, separate room for Head/Principal, faculty members, office for the administrative staff and a store. The size of instructional space shall not be less than 10 sq. ft. per student.
- b) There shall be a library with reading room facility having adequate number of books, electronic publications (CD-ROMs) and journals and other related software on teacher education.

8. **Instructional Facilities**

There shall be a well-equipped educational technology and media laboratory, and psychology laboratory with hardware and software required for imparting Information Technology (IT) literacy and for using digital resources in teacher education. In the psychology laboratory tests and equipment for performing experiments as listed in the curriculum shall be made available. Psychological testing material should include intelligence tests (verbal, non-verbal and performance), personality tests and aptitude tests. Attitude tests, interest inventories, etc. shall also be stocked in adequate quantity.

Attested

 सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
 भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
 सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

9. Terms and Conditions of Service of Staff

- a) The appointment shall be made on the basis of recommendations of the Selection Committee constituted as per the policy of the Central / concerned State Government / Affiliating University, whichever is applicable.
- b) All appointments are to be made on full-time and regular basis.
- c) Government institutions / Government-aided institutions may make appointments on deputation or contract basis as an interim measure, in the absence of availability of suitable candidates recommended by appropriate bodies set up by the concerned government.
- d) Appointment of other staff can be made as per the norms of the concerned Government/Affiliating University/UGC.
- e) The academic and other staff of the institutions (including part-time staff) shall be paid such salary as may be prescribed by the concerned State Government/University from time to time.
- f) The management of the institution shall discharge the statutory obligations relating to pension, gratuity, provident fund, etc.
- g) The age of superannuation of the staff shall be determined by the policy of the concerned Government/Affiliating University, subject to maximum age not exceeding 65 years.

10. Financial Management

- a) The tuition fees and other fees shall be charged at rates as prescribed by the concerned State Government/Affiliating University.
- b) In case of private and unaided institutions there shall be an endowment fund of Rs.5.00 lakh to be operated jointly by the authorised representative of the management and an officer of the concerned Regional Committee, and a reserve fund equivalent to three months' salary of the staff.

Appendix-9**Norms and Standards for Master of Education Programme (M.Ed.) (Part time)****1. Preamble**

- a) Master of Education (M.Ed.) (Part Time) is an in-service professional programme open to teachers and educational administrators, for strengthening the cadre of teacher educators.
- b) Only University Departments of Education, Institutes of Advanced Studies in Education (IASes) and Colleges of Teacher Education (CTEs) which run M.Ed. programme, are eligible to offer M.Ed. (Part Time) programme subject to such a course instituted by the concerned affiliating university.

Attested
 15/11/11
 सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
 भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
 सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

585

3

2. Duration and Intake

- a) The M.Ed. (Part Time) programme shall be of a duration of two academic years.
- b) The intake of student shall not exceed 40.

3. Eligibility

Teachers and educational administrators in service, with at least two years of teaching/administrative experience, and having at least 55% marks in B.Ed. Degree, are eligible for admission.

4. Curriculum Transaction and Requirement of Teaching Staff

- a) The M.Ed. (Part Time) programme shall be identical to M.Ed. programme in all academic requirements except that its duration shall be two academic years.
- b) In addition to the faculty for M.Ed. course, additional teachers for M.Ed. (Part Time) course shall be appointed to ensure that not more than 7 students are attached with a teacher for supervision of field-based dissertation work.
- c) Total duration of curriculum transaction shall be the same as required for M.Ed. course except that the same shall be spread over two academic years.
- d) For field visit for dissertation work and for acquiring first-hand experience of organising and supervising internship-in-teaching programme for students of B.Ed. course, M.Ed. (Part Time) students shall be required to be available on full-time basis.

5. Qualifications of Teaching Staff
6. Administrative Staff
7. Infrastructural Facilities
8. Instructional Facilities
9. Terms and Conditions of Service of Staff
10. Financial Management

Norms in respect of these aspects as prescribed for M.Ed. programme shall apply mutatis mutandis for M.Ed. (Part Time) programme as well.

Attested

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

586

Appendix-10

Norms and Standards for Certificate in Physical Education Programme (C.P.Ed.)**1. Preamble**

The Certificate in Physical Education (C.P.Ed.) programme is meant for preparing teachers in physical education for elementary schools (primary and upper primary/middle).

2. Duration and Intake

- (a) The C.P.Ed. programme shall be of a duration of two academic years.
- (b) For effective curriculum transaction and for ensuring optimum utilisation of physical and instructional infrastructure and expertise of the teaching staff, there shall be a unit of 50 students each year.

3. Eligibility

- (a) Candidates with at least 45% marks in the senior secondary examination (+2), or its equivalent, are eligible for admission. For those who have participated in State or National level sports events, the minimum percentage of marks in the senior secondary examination (+2) should be at least 40.
- (b) Admission should be made either on the basis of marks obtained in the qualifying examination or in the entrance examination conducted by the State Government, with due weightage for physical fitness/proficiency, as per the policy of the State Government.
- (c) There shall be reservation of seats for SC/ST/OBC, Handicapped, Women, etc. as per the rules of the concerned State Government.

4. Curriculum Transaction and Requirement of Teaching Staff

- a) There shall be at least 150 teaching days in a year exclusive of period of admission, examination, etc. Besides, every teacher trainee shall be required to undergo internship-in-teaching (including practice teaching/skill development) at least for 30 days in nearby elementary schools.
- b) For a unit of 50 students or less (with combined strength of 100 or less for the two year course), the full time teaching faculty should comprise of the Principal/Head and at least five lecturers. For intake of students in excess of the prescribed unit the number of full time teachers shall be increased immediately.
- c) Appointment of teachers shall be so distributed as to ensure the required nature and level of expertise for teaching various courses related physical education.

Attested

Sanjay Singh

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

587

- d) Part-time coaches for specialisations offered, other than those covered by full-time teachers and a part-time medical officer, shall be appointed.

5. Qualifications of Teaching Staff

- a) Principal
 ➤ M.P.Ed./M.P.E. with at least 5 years' experience of teaching physical education.
- b) Lecturer
 ➤ Good academic record with M.P.Ed./M.P.E. with 55% marks, preferably with specialisation in physical education for the elementary stage.
- c) A relaxation of 5% may be provided from 55% to 50% of the marks, at the Master's level for the SC/ST category.
- d) Qualifications for coaches and medical officer shall be such as may be prescribed by the concerned State Government.

6. Administrative Staff

The administrative and other support staff may be provided as per the norms prescribed by the concerned State Government

7. Infrastructural Facilities

- a) There shall be provision for adequate number of classrooms, and one multi-purpose hall of a size essential for conducting instructional activities for the approved intake of students, room for the Principal, faculty members, office for the administrative staff and a store. The size of instructional space shall not be less than 10 sq.ft. per student.
- b) There shall be a multi-purpose playfield for outdoor sports and a 200 mt. track and a hall for gymnastics and indoor sports and games.

Or

Alternatively, in hilly regions and in big cities where availability of open space is a constraint, facilities for such outdoor sports as are feasible and a hall/gymnasium for indoor sports/games, yoga, aerobics, gymnastics etc. shall be provided.

- c) There shall be adequate equipment for various indoor and outdoor sports/games.
- d) There shall be a library with adequate number of books, electronic publications (CD-ROMs) and journals on physical education and related subjects, and other software relevant thereto.
- e) To provide these facilities, the Management / Institutions shall, at the time of making application, have in its possession adequate land / land and building on ownership basis free from all encumbrances. Govt. land acquired on long-term lease as per the law of the concerned State / UT will also be considered valid for the purpose. Pending construction of permanent building in the above land, the institution may provide these facilities in suitable temporary premises up to a maximum period of 3 years, before expiry of which the institution should shift to its permanent building.

Attested
 5/11/11

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
 भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
 सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

5-88

8. Instructional Facilities

- (a) There shall be a Health Education & Anatomy and Physiology Laboratory, having the following essential equipment :-
- A standard weighing machine
 - An anthropometer
 - Growth charts and body system charts
 - Desirable weight – height tables
 - Models of body organs/systems
 - skeleton articulated / disarticulated
- b) There shall be an Education Technology laboratory with hardware and software required for imparting Information Technology (IT) literacy.

9. Terms and Conditions of Service of Staff

- The appointment shall be made on the basis of recommendations of the Selection Committee constituted as per the policy of the concerned Central/State Government.
- All appointments are to be made on full-time and regular basis.
- Government institution/Government-aided institutions, may make appointments on deputation or contract basis as an interim measure in the absence of availability of suitable candidates as per the policy of the concerned Government.
- Appointment of part-time instructors and other staff can be made as per the norms of the concerned Government.
- The academic and other staff of the institution (including part-time staff) shall be paid such salary as may be prescribed by the concerned State Government from time to time.
- The management of the institution shall discharge the statutory obligations relating to pension, gratuity, provident fund, etc.
- The age of superannuation of staff shall be determined by the policy of the concerned Government subject to maximum age not exceeding 65 years.

10. Financial Management

- The tuition fees and other fees shall be charged at rates as prescribed by the concerned State Government.
- In case of unaided institutions there shall be an endowment fund of Rs.5.00 lakh to be operated jointly by the authorised representative of the management and an officer of the concerned Regional Committee and a reserve fund equivalent to three months' salary of the staff.

11. Relaxation in eligibility/duration of the course

As in some States the duration of the Certificate Course in Physical Education (C.P.Ed.) is one year only and the eligibility for admission to such course is a pass in class ten, such states are given time up to the end of the academic

Attested
 589
 1. हायक नियंत्रक (प्रशासन)
 भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
 सेविल लाइन्स, दिल्ली-54

session 2004-2005 to switch over their programmes for bringing them in conformity with the NCTE Norms and Standards. Meanwhile, recognition for reduced duration of the course which shall not be less than one year and/or lower eligibility criteria, which shall not be less than a pass in class ten with at least 45% marks in aggregate, may be given subject to the condition that the certificate given by the State authorities in respect of such a course will be valid for employment within that States only and such courses including their duration and admission criteria are those that have been in existence in that State on the date when the NCTE Act, 1993 came into force.

Appendix-11

Norms and Standards for Bachelor of Physical Education Programme (B.P.Ed.)

1. Preamble

The Bachelor of Physical Education (B.P.Ed.) programme is meant for preparing teachers in physical education for secondary/senior secondary schools.

2. Duration and Intake

- a) The B.P.Ed. programme shall be of duration of at least one academic year.
- b) For effective curriculum transaction and for ensuring optimum utilisation of physical and instructional infrastructure and expertise of the teaching staff there shall be a unit of 50 students.

3. Eligibility

- a) Graduate in Physical Education, i.e, B.P.E. Course (or its equivalent) of three year duration

Or

Graduate having represented State/University in sports/games/athletics.

Or

Graduate who has secured 1st, 2nd or 3rd position in inter-collegiate sports/games tournaments/possessing NCC 'C' certificate or passed basic course in adventure sports.

Or

Graduate with one year training programme in sports science, sports management, sports coaching, yoga, Olympic education, sports journalism, etc.

- b) Admission shall be made either on the basis of marks obtained in the qualifying examination or in the entrance examination conducted by the University/State Government, with due weightage for physical fitness/proficiency, as per the policy of the State Government.
- c) There shall be reservation of seats for SC/ST/OBC, Handicapped, Women, etc. as per the rules of the State Government concerned.

Attested

[Signature]

भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

590

4. Curriculum Transaction and Requirement of Teaching Staff


- a) There shall be at least 150 teaching days in a year exclusive of period of admission, examination etc. Besides, each teacher trainee shall be required to undergo internship-in-teaching (including practice teaching/skill development) at least for 30 days in nearby secondary/senior secondary schools.
- b) For an intake of 50 students or less, teaching faculty shall comprise of a Principal/Head and at least three lecturers. For intake in excess of the prescribed unit the number of full time teachers shall be increased proportionately.
- c) Appointment of teachers shall be so distributed as to ensure the required nature and level of expertise for teaching various courses related to physical education.
- d) Part time coaches for specialisation offered, other than those covered by full time teachers and a part-time medical officer, shall be appointed.

5. Qualifications of Teaching Staff

- a) Principal
 - M.P.Ed./M.P.E
 - Ph.D. or equivalent published work
 - At least 5 years' experience of teaching physical education.
- b) Lecturer
 - Good academic record with M.P.Ed./M.P.E with 55% marks
- c) A relaxation of 5% may be provided, from 55% to 50% of the marks at the Master's level for the SC/ST category.
- d) Apart from the qualifications prescribed at (a) and (b) above, the candidates shall be required to have such other qualifications as may be prescribed by other regulatory bodies like the University Grants Commission (UGC), etc.
- e) Qualifications for coaches/medical officer shall be such as may be prescribed by the concerned affiliating university/UGC.

6. Administrative Staff

The administrative and other support staff may be provided as per the norms prescribed by the concerned State Government/affiliating university.

Attested

 सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
 भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
 सेविल लाइन्स, दिल्ली-54

7. Infrastructural Facilities

a) There shall be provision for adequate number of classrooms and one multi-purpose hall of a size essential for conducting instructional activities for approved intake of students, room for the Principal, faculty members, office for the administrative staff and a store. The size of instructional spaces shall not be less than 10 sq.ft. per student.

b) There shall be a multipurpose playfield for outdoor sports, a 200 mt. track, gymnasium, and a hall for indoor sports and games.

OR

Alternatively, in hilly regions and in big cities, where availability of open space is a constraint, facilities for outdoor sports as are feasible and a hall/gymnasium for indoor sports, games, yoga, aerobics, gymnastics, etc. shall be provided.

c) There shall be adequate equipment for various indoor and outdoor sports/games.

d) There shall be a library equipped with text and reference books related to the prescribed courses of study, educational encyclopaedia, year books, electronic publication (CD-ROMs), and journals on physical education and related subjects, and other software relevant thereto.

e) To provide these facilities, the Management / Institutions shall, at the time of making application, have in its possession adequate land / land and building on ownership basis free from all encumbrances. Govt. land acquired on long-term lease as per the law of the concerned State / UT will also be considered valid for the purpose. Pending construction of permanent building in the above land, the institution may provide these facilities in suitable temporary premises up to a maximum period of 3 years, before expiry of which the institution should shift to its permanent building.

8. Instructional Facilities

a) There shall be a Psychology Laboratory with apparatus for simple experiments related to educational psychology – intelligence tests (performance, verbal, non-verbal) aptitude tests, creativity tests, personality test, attitude test, interest inventories, etc.

b) There shall be a health education and anatomy and physiology laboratory having following essential equipment:-

- (i) A standard weighing machine
- (ii) An anthropometer
- (iii) Growth charts

Attested
 4/5/11
 सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
 भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
 सेविल लाइन्स, दिल्ली-54

592

- (iv) Desirable weight and height tables
 - (v) Skinfold calipers
 - (vi) Models of body organs & systems, skelton-articulated and disarticulated
- (ii) There shall be an Educational Technology laboratory with hardware and software required for imparting Information Technology (IT) Literacy.

9. Terms and Conditions of Service of Staff

- a) The appointment shall be made on the basis of recommendations of the Selection Committee constituted as per the policy of the concerned Central/State Government.
- b) All appointments are to be made on full-time and regular basis.
- c) Government institutions/Government-aided institutions, may make appointments on deputation or contract basis as an interim measure in the absence of availability of suitable conditions, as per the policy of the concerned Government.
- d) Appointment of part-time instructors and other staff can be made as per the norms of the concerned Government.
- e) The academic and other staff of the institution (including part-time staff) shall be paid such salary as may be prescribed by the concerned State Government/University from time to time.
- f) The management of the institution shall discharge the statutory obligations relating to pension, gratuity, provident fund, etc.
- g) The age of superannuation of the staff shall be determined by the policy of the concerned Government subject to maximum age not exceeding 65 years.

10. Financial Management

- a) The tuition fees and other fees shall be charged at rates as prescribed by the concerned State Government.
- b) In case of unaided institutions there shall be an endowment fund of Rs.5.00 lakh to be operated jointly by the authorised representative of the management and an officer of the concerned Regional Committee, and a reserve fund equivalent to three months' salary of the staff.

Attested

Signature 11/5/11

हायक नियंत्रक (प्रशासन)
भ. रत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

593

Appendix-12

Norms and Standards for Master of Physical Education Programme (M.P.Ed.)**1. Preamble**

- a) The Master of Physical Education (M.P.Ed.) programme is meant for candidates desirous of pursuing post-graduate programme in physical education, and for preparing a professional cadre of physical education teachers at the senior secondary level as well as teacher educators in Colleges of Physical Education and University Departments of Physical Education.
- b) Only University Departments or institutions offering B.P.Ed. programme are eligible to offer M.P.Ed. course.

2. Duration and Intake

- (a) The M.P.Ed. programme shall be of a duration of two academic years.
- (b) The intake of students shall not exceed 30.

3. Eligibility

- a) Candidates with B.P.Ed. with at least 50% marks or B.P.E. course (or its equivalent) of 3 year duration with at least 50% marks are eligible for admission.
- b) Admission shall be made either on the basis of marks obtained in the qualifying examination or in the entrance examination conducted by the University/State Government, as per the policy of the State Government/University to which the institution is affiliated.
- c) There shall be reservation of seats for SC/ST/OBC, Handicapped, Women, etc. as per the rules of the State/ Central Government, as the case may be.

4. Curriculum Transaction and Requirement of Teaching Staff

- a) There shall be at least 180 teaching days in each academic year exclusive of period of admission and examination, etc. for instruction, field work and internship in a school.
- b) For an intake of 30 students or less (with combined strength of 60 or less for the 2 year course) the teaching faculty shall comprise of a Head in the rank of Professor/or Reader, and 4 Readers/Lecturers.

Attested
Sanjay Singh
 11/5/11

सहायक नियंत्रक (प्रशिक्षण)
 भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
 सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

597

- c) Each M.P.Ed. student shall be associated with the supervisors of the internship programme of B.P.Ed. students for acquiring experience of organizing and supervising internship-in-teaching programme.
- d) Part time coaches for specialisations offered, other than those covered by full-time teachers and a medical officer, shall be appointed.

5. Qualifications of Teaching Staff

a) Professor

- M.P.Ed. or M.P.E.
- Ph.D. or equivalent published work
- At least 10 years' experience of teaching in M.P.Ed./M.P.E programmes.

Or

An outstanding scholar with established reputation who has made significant contribution to knowledge

b) Reader

- Good academic record with M.P.Ed./M.P.E. with at least 55% marks
- Ph.D. or equivalent published research work
- At least 5 years' experience of teaching in B.P.Ed./M.P.Ed./M.P.E programmes.

c) Lecturer

- Good academic record with M.P.Ed./M.P.E with 55% marks

- d) A relaxation of 5% may be provided, from 55% to 50% of the marks, at the Master's level for SC/ST category.
- e) Apart from the qualifications prescribed at (a), (b) and (c) above, the candidates shall be required to have such other qualifications as may be prescribed by other regulatory bodies like the University Grants Commission (UGC), etc.
- f) Qualifications for coaches/medical officer shall be such as may be prescribed by the concerned affiliating university/UGC.

Attested

Smt. S. S. P.

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-64

595

6. Administrative Staff

The administrative and other support staff may be provided as per the norms prescribed by the concerned State Government/affiliating university.

7. Infrastructural Facilities

- a) There shall be adequate number of classrooms and one multi-purpose hall of a size essential for conducting instructional activities for 30 students, room for the Principal, faculty members, and office-cum-store for the administrative staff. Size of instructional space shall not be less than 10 sq.ft. per student.
- b) There shall be a library equipped with adequate number of text and reference books related to the prescribed courses of study, educational encyclopaedia, year books, electronic publications (CD-ROMs) and journals on physical education and related subjects, and other software relevant thereto.
- c) There shall be a multi purpose hall/gymnasium for indoor sports and facilities for outdoor sports.
- d) There shall be adequate equipment for various indoor and outdoor sports and games.

8. Instructional Facilities

- a) There shall be a Health Education, Physiotherapy and Sports Medicine laboratory with the following equipments:
 - (i) A standard weighing machine
 - (ii) An anthropometer/ height stand
 - (iii) Desirable weight and height tables
 - (iv) Infrared Lamp
 - (v) Ultraviolet Lamp
 - (vi) Short wave diathermy
 - (vii) Motorized tread mill
 - (viii) Bicycle Ergometer
 - (ix) B.P. Apparatus
 - (x) Harward step test equipment
- b) There shall be a Psychology Laboratory with apparatus for simple experiments related to educational psychology – intelligence tests (performance, verbal, non-verbal) aptitude tests, creativity tests, personality test, attitude test, interest inventories, etc.

Attested

Sanjay S. P.

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

- c) There shall be a Physiology Laboratory with the following equipment.
- (i) Metronomes-1
 - (ii) Models and charts of various body systems
 - (iii) Stopwatches-5
 - (iv) Spirometers-2
 - (v) Electronic barometer
 - (vi) Weighing machines-2
 - (vii) Peak flow meter -1
 - (viii) Goniometer-1
 - (ix) Dynamometers(hand, leg back)-1 each
- d) There shall be an Educational Technology and Media Laboratory with hardware and software required for imparting Information Technology (IT) literacy and for using digital resources in teacher education.

9. Terms and Conditions of Service of Staff

- a) The appointment shall be made on the basis of recommendations of the Selection Committee constituted as per the policy of the Central/concerned State Government/Affiliating University, whichever is applicable.
- b) All appointments are to be made on full-time and regular basis.
- c) Government institution/Government-aided institutions, may make appointments on deputation or contract basis as an interim measure, in the absence of availability of suitable candidates recommended by appropriate bodies set up by the concerned government.
- d) Appointment of part-time instructors and other staff can be made as per the norms of the concerned Government.
- e) The academic and other staff of the institution (including part-time staff) shall be paid such salary as may be prescribed by the concerned State Government/University from time to time.
- f) The management of the institution shall discharge the statutory obligations relating to pension, gratuity, provident fund, etc.
- g) The age of superannuation of staff shall be determined by the policy of the concerned Government subject to maximum age not exceeding 65 years.

10. Financial Management

- a) The tuition fees and other fees shall be charged at rates as prescribed by the concerned State Government.
- b) In case of unaided institutions there shall be an endowment fund of Rs.5.00 lakh to be operated jointly by the authorised representative of the management and an officer of the concerned Regional Committee, and a reserve fund equivalent to three months' salary of the staff.

Attested
5/9/7

महायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सेविल लाइन्स, दिल्ली-54

Appendix-13

Norms and Standards for B.Ed. (Open and Distance Learning System)

1. Course Title – Bachelor of Education (B.Ed.)

2. Institutions offering the course

The course will be offered only by the Open Universities or Directorates of Distance / Correspondence Education of the Universities.

3. Jurisdiction

Each University will admit only those candidates who are working in schools located in the territorial jurisdiction assigned to it by The University Act.

4. Duration and intake

(i) **24 months** excluding time taken for admission.

(ii) **Number of Seats** – The basic unit of B.Ed. through distance mode shall comprise 500 seats. However, a university may have additional seats in multiples of 100 subject to the maximum intake restricted to 1000 seats provided it makes available additional faculty and other instructional facilities as per norms.

Provided that the above ceiling in intake capacity may be relaxed on merit by the council for universities having jurisdiction over more than one state.

5. Eligibility and Admission Criteria

Teachers serving in a recognised school with a Bachelor's degree and having at least 2 years experience are eligible for admission to the course.

The university shall develop a suitable procedure for the selection of candidates.

There shall be reservation of seats for SC/ST/OBC, handicapped, women etc. as per the rules of the concerned government.

6. Course Development and Delivery

The learning material for the B.Ed. course shall consist of print, non-print (multi media, audio-video/electronic) self-learning materials. Information and communication technology should be extensively used as a mode of delivery to improve interactivity. The university shall create a two/three tier mechanism for curriculum transaction.

The nodal tier will be at the headquarters of the university and the second/third tiers will be Regional Centres/Study Centres.

Attested
5/11/11

हायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सेविल लाइन्स, दिल्ली-54

598

7. Facilities in the Headquarters

(a) Faculty at the Headquarters

- (i) For an intake of 500 students or less the minimum core faculty for the course at the Headquarters will comprise one Professor, one Reader and four Lecturers.
- (ii) For every additional intake of 100 students or part thereof there shall be one additional full time faculty member or two part time faculty members.
- (iii) Appointment of teachers shall be so distributed as to ensure the required nature and level of expertise for all teaching methodology courses and foundation courses.
- (iv) A university offering both B.Ed. (500 seats) and M.Ed. (150 seats) shall have the core faculty strength of one Professor, two Readers and six Lecturers.
- (v) Administrative & other non-teaching staff essential for smooth running of the course shall be provided at the Headquarters.

(b) Qualifications of Teaching Staff

* Professor/Head

- i) Academic and professional qualification will be as prescribed for the post of lecturer.
- ii) Ph. D. or equivalent published research work.
- iii) At least, ten years' experience in teacher education, preferably in distance education.

* Reader

- i) Academic and professional qualifications will be as prescribed for the post of lecturer.
- ii) Ph. D. in Education or in a school subject or equivalent published research work.
- iii) At least, five years experience as lecturer in teacher education, preferably in distance education.

* Lecturer

Good academic record with M.Ed./M.A. (Education) with 55% marks.

Or

Good academic record with Master's Degree with 55% marks in the relevant school subject and M.Ed./M.A. (Education) with 50% marks.

Attested

[Signature] 11/5/11

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)

भारत सरकार, प्रकाशन विभाग

सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

Notes :

(i) A relaxation of 5% may be provided from 55% to 50% of the marks, at the Master's level for the SC/CT Category.

(ii) Apart from the qualifications prescribed above, the candidates shall be required to have such other qualifications as may be prescribed by other regulatory bodies like the UGC, DEC etc.

c) Physical Infrastructure

Rooms/cabins for faculty members, computer room, material production centre, store rooms, office rooms, conference room and facilities such as audio-video studio for courseware development should be provided.

d) Library

There shall be a library equipped with text and reference books on teacher education, educational encyclopaedia, year-books, electronic publications, CD ROMs and journals on teacher education, distance education etc.

8. Study Centres

a) Study centres shall be located only in teacher education institutions offering regular B.Ed. programme which have been recognized by the NCTE.

b) Maximum number of students enrolled through a study centre shall not exceed 100 in a batch.

c) The principal or a senior member of the institution shall be appointed as the Coordinator. One faculty member of the institution shall be appointed as the Assistant Co-ordinator. Supporting staff required for smooth running of the programme will be provided in the Study Centre. The remuneration to be paid to the Co-ordinator/Assistant Co-ordinator and the supporting staff will be fixed by the University.

9. Academic Inputs**a) Materials**

Self-learning print and non-print courseware designed and developed as per DEC norms will be made available to the students.

b) Contact Programmes

A minimum of 300 contact hours including two compulsory contact programmes (workshops) each of 2 weeks' duration evenly spread throughout the course shall be arranged in the Study Centre for each student. The contact programmes will be conducted by teacher educators from the university/training colleges.

The maximum number of students in a contact class shall be fifty.

Attested

Sanjay K. Singh

उप-निर्देशक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सेविल लाइन्स, दिल्ली-54

600

c) Teaching Practice

Each student shall teach at least 40 lessons (20 in each subject) in a upper primary(middle)/secondary/senior secondary school, out of which at least 10 lessons (5 in each subject) shall be supervised by the teacher educators and 20 lessons (10 in each subject) by the mentors.

d) Evaluation

Formative and summative evaluation will be conducted in all curricular and co-curricular areas of the course. It will be ensured that regular feedback based on evaluation of assignment, practicals, and other assessments is given to each student.

e) Student Support Services

- * Use of library of the institution will be made available to the students of the course.
- * Facilities for accessing non-print learning materials such as internet/television/VCR/OHP etc. will be made available at the Study Centres.
- * Mentoring support to the students shall be provided at the Study Centres.

f) Monitoring and supervision

In order to ensure smooth transaction of learning activities and proper functioning of Study Centres regular monitoring will be conducted by the core faculty at the Headquarters.

10. Fee Structure

The tuition fee and other fee shall be charged at rates as prescribed by the University/ the concerned Government.


11. Pre-requisites for applying for grant of recognition of the programme

Before applying to the NCTE for grant of recognition for starting B.Ed. (Distance Education Mode) the university should have accomplished the following tasks :

1. Preparation of curriculum and syllabi including scheme of examination.
2. Preparation of print and non-print courseware.
3. Identification of study centres and schools for teaching practice.
4. A certificate from DEC that the course material have been designed and developed as per DEC norms.

Appendix - 14**Norms and Standards for M.Ed. (Open and Distance Education Learning System)****1. Preamble**

The aim of the M.Ed. programme through Open and Distance learning system is to provide an opportunity, preferably to serving teachers/teacher educators and educational administrators, to pursue M.Ed. course for professional development.


 : प्रायक नियंत्रक (प्रशासन)
 भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
 सेविल लाइन्स, दिल्ली-54

2. Course Title

Master of Education (M.Ed.)

3. Institutions Offering the Course

The course will be offered only by the Open Universities or Directorates of Distance/Correspondence Education of the universities.

4. Jurisdiction

Jurisdiction for the course shall be determined as per the provisions contained in the University Act. Considering the non-availability of qualified teacher educators in the North-Eastern States and Sikkim the universities in this region intending to offer M.Ed. (Distance Education Mode) course may enroll students from all the North Eastern States and Sikkim.

5. Duration and Intake

- i) 24 months excluding time taken for admission.
- ii) Number of Seats : The basic unit for conducting M.Ed. (Distance Education Mode) shall be 150 seats without any provision for additional intake.

6. Eligibility and Admission Criteria

- i) Eligibility for admission to the course shall be B.Ed. or equivalent degree with 55% marks.
- ii) The university shall develop a suitable procedure for selection of the candidates.
- iii) There shall be reservation of seats for SC/ST/OBC/Handicapped/ Women etc. as per the rules of the State/Central Government.

7. Course Development and Delivery

The learning material for the course shall consist of print and non-print (multi-media - audio-video-electronic) self-learning materials. Information and communication technology should be extensively used as a mode of delivery to promote interactivity. The University shall create a 2-3 tier mechanism for curriculum transaction. The nodal tier will be at the Headquarters of the University and the second / third tiers will be the Regional Centre/Study Centres. The Course materials should be designed and developed as per the DEC norm.

A) Facilities in the Headquarters**I. Faculty**

- i) Core Faculty for an intake of 150 students shall comprise one Professor, one Reader and two lecturers.
- ii) A University offering both B.Ed and M.Ed. programmes through ODL system shall have the core faculty strength of One Professor, Three Readers and Six Lecturers.

Attested

Sm 215711

हायक नियंत्रक (प्रशासन)
भरत सरकार, प्रकाशन विभाग
सेविल लाइन्स, दिल्ली-34

602

B. Qualifications of Teaching Staff**I Professor/Head**

- i. Academic and professional qualification shall be as prescribed for the post of lecturer.
- ii. Ph.D. or equivalent published research work.
- iii. At least, ten years' experience in teacher education, preferably in distance education.

II Reader

- i) Academic and professional qualifications will be as prescribed for the post of lecturer.
- ii) Ph.D. in Education or in a school subject or equivalent published research work.
- iii) At least, five years experience as lecturer in teacher education, preferably in distance education.

III Lecturer

Good academic record with M.Ed./M.A. (Education) with 55% marks.

Or

Good academic record with Master's Degree with 55% marks in the relevant school subject and M.Ed./M.A. (Education) with 50% marks.

Notes:

- i) A relaxation of 5% may be provided from 55% to 50% of the marks, at the Master's level for the SC/ST Category
- ii) Apart from the qualifications prescribed above, the candidates shall be required to have such other qualifications as may be prescribed by other regulatory bodies like the UGC, DEC etc.

C) Physical Infrastructure

Rooms/cabins for faculty members, computer room, material production centre, store, office rooms, conference room, hardware and software and facilities such as audio-video studio for courseware development should be provided.

D) Library

There shall be a library equipped with text and reference books on teacher education, educational encyclopedia, year-books, electronic publications, CD ROMs and journals on teacher education, distance education etc.

8. Study Centres

- i) Study Centres shall be located in the NCTE recognised teacher education institutions offering regular M.Ed. programme.

Attested

11/5/11

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

603

- ii) Maximum number of students enrolled through a Study Centre shall not exceed 25 in a batch.
- iii) Field based dissertation shall be a compulsory component of the course.
- iv) Not more than 5 students shall be attached with a teacher for supervision of dissertation work.
- v) A Principal or a senior member of the institution shall be appointed as the Coordinator. One faculty member of the institution shall be appointed as the Assistant Coordinator. Other faculty members of the University / College education departments / Training institutions having the following qualifications shall be associated for supervision of field based dissertation work in the ratio of 1:10 students:-

"Ph.D. in Education/ M.Phil in Education or M.Ed. / M.A. Education with atleast 5 years of teaching experience.

9. Academic Inputs

A) Materials

Self-learning print and non print courseware will be made available to the study centres for use of the students.

B) Contact Programme

A minimum of 300 contact hours, including contact programmes and field based dissertation work evenly spread throughout the course shall be arranged by the Study Centres for each student. The contact programmes and supervision of the dissertation work will be conducted by teacher educators from the University / College education departments / Training colleges.

C) Evaluation

Regular feedback based on evaluation of assignments, practicals and other assessments will be given to students.

D) Student Support Services

- i) Use of library of the University and its affiliated teacher education institutions will be made available to the students of the course.
- ii) Facilities for accessing non-print learning materials such as Internet/television/VCR/OHP etc. will be made available at the Study Centres.
- iii) Mentoring support to the students shall be provided at the Study Centres.

E) Monitoring and Supervision

In order to ensure smooth transaction of learning activities including dissertation work and proper functioning of Study Centres regular monitoring will be conducted by the Core faculty at the Headquarters.

Attested

[Signature]

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सेविल लाइन्स, दिल्ली-54

604

10. Fee Structure

The tuition fee and other fee shall be charged at rates as prescribed by the University/ concerned Government.

11. Pre-requisites for applying for grant of recognition of the programme

Before applying to the NCTE for grant for recognition for starting M.Ed. (Distance Education Mode) the University should have accomplished the following tasks:

1. Preparation of curriculum and syllabi including scheme of examination
2. Preparation of print and non-print courseware.
3. Identification of study centres.
4. Certificate of DEC to the effect that the study materials are designed and developed as per DEC norms.

*Attested**Sm 11/5/11*

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

605